राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ८] द्वितीय विधान सभा के आठवें सत्र, १९६० का ५१वां दिवस [संख्या ३४

गुरुवार, १४ अप्रेल, १९६०

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ११ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(पंचायत, सिंचाई, स्वास्थ्य, गृह, सहकरिता, विकास एवं योजना, यातायात, स्वायत शासन, तथा आयुर्वेदिक-विभाग)

श्री अध्यक्ष प्रश्न।

प्रश्न संख्या १०१७

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

ग्राम पंचायत बिदारा, जिला जयपुर के सरपंच का चुनाव

१०१८. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) ग्राम पंचायत बिदारा, जिला जयपुर के सरपंच का चुनाव किस तारीख को और किस स्थान पर किस अधिकारी द्वारा कराया गया ?

(ख) क्या यह सही कि ग्राम पंचायत बिदारा के सरपंच का नाम एस० डी० ओ० कोटपुतली ने चुनाव के कुछ दिन पूर्व ही वोटर लिस्ट में लिखा था ? यदि हां, तो कब ?

(ग) क्या यह भी सही है कि एस० डी०-ओ० कोटपुतली के आचरण संबंधी शिकायतों के कारण सरकार द्वारा उनको इस पंचायत के चुनाव अधिकारी के पद से हटा दिया ? यदि हां, तो कब और किस प्रकार से ?

(घ) क्या यह सही है कि आदेश के विपरीत इन्हीं एस० डी० ओ० ने इस पंचायत के सरपंच का चुनाव नियत स्थान के अलावा दूसरी जगह कराया ? यदि हां, तो क्यों ?

(ङ) क्या यह सही है कि एस० डी०-ओ० के विरुद्ध चुनावों संबंधी कई शिकायतें

(श्री भैरोंसिंह)

राज्य सरकार, विभागीय अधिकारियों तथा जिला कलेक्टर के पास भेजी हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) सरपंच का चुनाव २० मार्च, १९५९ को स्थान सादूड़ा के जोहड़े पर एस० डी० ओ०, कोटपुतली द्वारा कराया गया।

(ख) जी हां। दिनांक दर्ज न होने से जानकारी की जा रही है ।

(ग) जी हां। निर्वाचनाधिकारी एस०-डी० ओ०, कोटपुतली की शिकायत होने पर निर्वाचन अधिकारी मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, शाहपुरा को दिनांक १८-२-५९ को नियुक्त किया गया। लेकिन १९-३-५९ को उन्हें पुन: निर्वाचानाधिकारी रहने दिया गया।

(घ) जी नहीं।

(ङ) जी हां। शिकायतें तथ्यहीन होने से फाइल कर दी गई हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि आपने (घ) का उत्तर दिया है इसमें 'जी हां' उत्तर दिया है या 'जी नहीं कहा है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : 'नहीं' उत्तर दिया है। आदेश के विपरीत कुछ नहीं, किया।

श्री भैरोंसिंह : चुनाव किसने कराये थे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कोटपुतली के एस० डी० ओ० ने।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार ने एस० डी० ओ०, कोटपुतली के विरुद्ध आदेश दे दिये थे कि उन्हें निर्वाचना- धिकारी नहीं रखा जाये, उसके बाद भी उनसे यह चुनाव क्यों कराये ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उसके बाद में दूसरे आदेश दिये गये कि उनके द्वारा ही कराये जायें।

श्री भैरोंसिंह : दूसरे आदेश यह दिए गए कि एस० डी० ओ० से ही चुनाव कराये जायें ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : तो जब चुनाव कराने का स्थान निश्चित कर दिया था सरकार ने तो क्या यह चुनाव उसी स्थान पर हुए ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पहले से कुछ-एक चुनाव कराने के स्थान निश्चित से होते आ रहे थे तो पहले जहां चुनाव हुए उस जगह यह हुए, हैडक्वार्टर्स पर नहीं हुए। लेकिन नियमों के अनुसार यह जरूरी नहीं है कि चुनाव हैडक्वार्टर्स पर ही हों।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार ने ऐसे आदेश दे दिये थे कि चुनाव हैडक्वार्टर्स पर ही कराये जायें ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हैडक्वार्टर्स के पास एक जोहड़ है वहां पर ये चुनाव कराये गये।

Page No.3

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जोहड़ और हैडक्वार्टर्स के झगड़े को लेकर कुछ लोगों ने सरकार के सामने अपना प्रतिनिधित्व किया था और उसके ऊपर यह आदेश दिए थे कि जोहड़ के मुकाबले में हैडक्वार्टर्स पर चुनाव करा लिए जायें और ऐसी ही आज्ञा एस० डी० ओ० और पंचायत के पास भी भेज दी थी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (निर्वाचन मंत्री) : जोहड़ हैडक्वार्टर्स पर ही है और हैडक्वार्टर्स पर जगह कम होने की वजह से जोहड़ पर चुनाव कराये गये। जोहड़ पर जगह ज्यादा थी इसलिए सब लोग चुनाव के लिए वहीं इकट्ठे हो गए।

श्री भैरोंसिंह : मेरा सवाल यह है कि जोहड़ पर चुनाव होने के लिए लोगों ने रिप्रेजेन्टेशन किया था कि वहां न कराये जायें और हैडक्वार्टर्स पर ही कराये जायें। जोहड़ को अलग मान कर ही सरकार ने इस प्रकार के आदेश दिए थे कि हैडक्वार्टर्स पर ही चुनाव कराये जायें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जोहड़ को अलग मान कर आदेश नहीं दिए। वैसे आदेश तो यही थे कि हैडक्वार्टर्स पर कराये जायें, पर क्योंकि हैडक्वार्टर्स पर जगह कम थी इसलिए लोग वहां इकट्ठे हो गए।

श्री भैरोंसिंह : मेरा सवाल यह है कि जिस समय जोहड़ पर चुनाव हो रहे थे तो लोगों ने रिप्रेजेन्टेशन किया कि वहां नहीं होने चाहिए और आपने उनके रिप्रेजेन्टेशन को माना और आपने कहा कि हैडक्वार्टर्स पर ही चुनाव कराये जायें, क्या यह सही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जोहड़ तो गांव का ही है इसलिए गांव के हैडक्वार्टर्स और जोहड़ में कोई फर्क नहीं है।

• **श्री अध्यक्ष** : श्रीमती आनन्दी देवी जेलिया।

कोटा जिले की कतिपय तहसील में सिंचाई योजना का अभाव

१०१६. श्रीमती आनन्दीदेवी जेलिया (बारां–सु०) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि कोटा जिले की संलग्न तहसीलें कनवास, सांगोद, चेचट व रामगंज मण्डी के क्षेत्र में प्रथम व दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत मध्यम व छोटी सिंचाई योजना के अन्तर्गत किसी भी नदी व तालाब के बांध बांधकर भूमि के सिंचाई योजना का कार्य नहीं हो पाया है ?

(ख) यदि हां, तो अब सरकार उपर्युक्त चारों तहसीलों के क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि योग्य भूमि को सिंचाई योजना की व्यवस्था के संबंध में क्या कदम उठाने जा रही है ?

(ग) क्या सरकार की जानकारी में है कि इन तहसीलों में कई नदियां ऐसी बहती हैं कि जिनके पानी का उपयोग सिंचाई योजना के निर्माण कार्य के सहारे भूमि सिंचाई हेतु किया जाना सम्भव है ?

(घ) क्या सरकार की ओर से उक्त व्यवस्था करने के उद्देश्य से इस इलाके में किसी सिंचाई योजना के निर्माण कार्य को चालू करने हेतु प्रारम्भिक सर्वे आदि का कार्य किया गया है ?

Page No.4

(श्रीमती आनन्दी देवी जेलिया)

(ङ) यदि हां, तो उक्त कार्य किस नदी व तालाब के बांध के निर्माण हेतु किया गया ?

उप-मंत्री सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (क) जी हां।

(ख) सिंचाई के साधन उपलब्ध करने के लिए सावन-भादों नाम की योजना का सर्वे प्रायः समाप्त हो गया है और इसका तखमीना बनाया जा रहा है। इस क्षेत्र की सर्वे करने के लिए सहायक अभियन्ता नियुक्त कर दिये गये हैं।

(ग) जी हां, बांध बनाने के लिए उपयुक्त जगहों की जांच की जा रही है।

(घ) जी हां, सावन-भादों के अतिरिक्त और योजनाओं की जांच के बाद सर्वे करने के लिए कोटा जिले में एक अलग सहायक अभियन्ता नियुक्त कर दिये गये हैं और शीघ्र ही इस क्षेत्र की योजनाओं पर भी सर्वे शुरू कर दिया जायेगा।

(ङ) सावन-भादों के अतिरिक्त और योजनाएं अभी तय नहीं हो पाई हैं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : यह सावन-भादों की योजना का काम कब शुरू हो जायेगा ?

श्री दौलतराम सारण : अभी तो इसके एस्टीमेट्स बनाये जा रहे हैं।

डॉ० चन्द्रकला : इसमें जो सहायक अभियन्ता की नियुक्ति हुई वह कब हुई ?

श्री दौलतराम सारण : तारीख तो नहीं है लेकिन पिछले दिनों हुआ है।

डॉ० चन्द्रकला : उनकी नियुक्ति के साथ ये आदेश दिए हुए हैं कि निश्चित अवधि में सर्वे करके रिपोर्ट दे ?

श्री दौलतराम सारण : नियुक्ति का मतलब यह होता है कि जिस काम के लिए है वह काम पूरा करे।

डॉ० चन्द्रकला : काम तो पूरा करे लेकिन कितनी अवधि में करे ? क्या समय दिया गया है कि इतने समय में सर्वे कर लिया जाये ?

श्री दौलतराम सारण : ये तो आदेश दिए हुए हैं कि जिन जगहों पर बंध बन सकते हैं, जहां स्कोप हो वहां सर्वे करके उनकी कार्यवाही शीघ्र की जाये।

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न साफ है कि क्या समय दिया गया है कि इतने समय में सर्वे करके रिपोर्ट दे दें ?

श्री दौलतराम सारण : कोई निश्चित समय दिया जाना सम्भव नहीं हो सकता क्योंकि सर्वे में कई तरह की बातों की सर्वे की जाती है, इसलिए उसमें समय लगता है। इसलिए निश्चित समय नहीं दिया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

राजस्थान राज्य की प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्ध योजना

१०२०. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल

Page No.5

(डा० चन्द्रकला)

बाजार, जयपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले दो–एक सालों में कभी प्रान्तीय सरकारों से प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में कोई योजना मांगी गई थी ? यदि हां, तो राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को क्या जवाब भेजा गया और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(२) क्या राजस्थान सरकार प्राकृतिक चिकित्सा को मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडीसिन में मानती है या इन्डीजीनस सिस्टम ऑफ मेडीसिन में या इसका कोई स्वतंत्र सिस्टम मानती है ? सरकार की अपनी मान्यता के पीछे क्या आधार है ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) यहां से कोई योजना नहीं मांगी गई, अतः आगे का प्रश्न नहीं उठता ।

(२) इन्डीजिनस सिस्टम ऑफ मेडीसिन है, मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडीसिन नहीं है । इस मान्यता के आधार आयुर्वेद शास्त्र के मौलिक ग्रन्थ हैं ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या यह सत्य है कि इसको जर्मन डॉक्टर भी मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडीसिन मानते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : But this is not allopathic system of medicine. यह तो आप मानेंगे और एलो-पेथी को मॉर्डन सिस्टम मानते हैं ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या एलोपेथी ही मॉडर्न सिस्टम है, नेचर क्योर नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप इसको मॉडर्न मान लें और चाहें तो अल्ट्रा मॉडर्न मान लें ।

डॉ० चन्द्रकला : मैं तो हमारी सरकार का दृष्टिकोण जानना चाहती हूं कि वह क्या मानती है । हमने तो इन्डीजीनिस सिस्टम माना है और ऐसा ही भारत सरकार मानती है । क्या प्राकृतिक चिकित्सा को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ प्लान केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकारों को भेजा था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक करोड़ रुपया रिसर्च के लिए भारत सरकार ने रखा था, उसमें से कुछ प्रान्तीय सरकार को दिया है ।

डॉ० चन्द्रकला : राजस्थान सरकार को जो मदद मिली उसके साथ ही साथ कुछ आदेश या सूचनाएं भी भेजी होगी कि किस आधार पर नेचर क्योर के लिए प्रान्तीय सरकारें काम करें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उनके आधार बने हुए हैं । जितने रिसर्च के बैड्स होते हैं उनका ७५ पर्सेन्ट देती है रेकरिंग और नानरेकरिंग एक्सपेन्सेज़ । एक रिसर्च सेन्टर उदयपुर में खोला हुआ है और एक प्राइ-वेट है वह और जोधपुर में काम कर रहा है ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : इसके साथ साथ सरकार क्या न्युट्रिम को भी प्रोत्साहन देना चाहती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर आप

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

सुझाव देंगे तो उस पर विचार किया जायेगा।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

सार्वजनिक सम्पर्क विभाग द्वारा दूसरे विभागों से उधार मंगाई गई वस्तुएं

१०२१. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि प्रदर्शनियों में सार्वजनिक सम्पर्क विभाग द्वारा दूसरे विभागों से उधार कई सामान मैप्स, चार्ट्स आदि मंगाये जाते हैं ?

(ख) यदि हां, तो उन वस्तुओं की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें जो दूसरे विभागों से मंगाये गये परन्तु वापिस उन विभागों को नहीं भेजे गये ?

(ग) ये वस्तुएं कहां पड़ी हैं ? इनको कब कब मंगाया गया था और अब तक क्यों नहीं वापिस भेजा गया ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां।

(ख) नवम्बर, १९५६ से पहले जो चार्ट्स, मैप्स आदि दूसरे विभागों से विभिन्न प्रदर्शिनियों के लिए मंगवाये गये थे, वे लौटाये जा चुके हैं। विश्व कृषि मेले के सम्बन्ध में जो हाल ही में समाप्त हुआ है, बड़े उद्योग तथा छोटे उद्योग के पेनल्स एवं रेडिएशन चार्ट इन्डस्ट्रियल सर्वे विभाग से मंगाये गये थे, ये अभी नहीं भेजे गये हैं।

(ग) यह सामान देहली में ही है और दिसम्बर, ५९ में मंगाया गया था और वहां से दूसरे सामान के साथ आने के बाद लौटा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

जोधपुर के निकट बनाड़ के गांव में जोजरी नदी के पानी के उपयोगार्थ योजना एवं उसकी कार्यान्विती

१०२२. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) जोधपुर नगर के निकट बनाड़ गांव में जोजरी नदी के पानी के उपयोग के लिए राजस्थान कृषि विज्ञान कांग्रेस ने सरकार के सामने जो योजना रखी थी उसे अब तक क्यों नहीं क्रियान्वित किया जा सका ?

(ख) क्या यह सही है कि इस छोटी सिंचाई योजना लागू करने से बनाड़ जो मारवाड़ का एक समय में अन्न भण्डार था, वह पुनः अन्न भण्डार बन सकता है ?

(ग) क्या यह सही है कि बनाड़ और आस पास के गांवों के लोगों ने सिंचाई योजना लागू करने में श्रमदान देने का वायदा किया था और हस्ताक्षर कर आवेदन-पत्र भेजा था ?

उप-मन्त्री सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (क) बनाड़ गांव के पास इनन-

Page No.7

(श्री दौलतराम सारण)

डेशन स्कीम की सर्वे १६५८–५६ में शुरू की गई थी । इसमें पक्की नींव नहीं मिल रही है और इसके बनने से जोधपुर बिलाड़ा सड़क डूब में आती है व रेलवे लाइन पर भी असर होने का अनुमान है । इन कारणों से नदी के नीचे की तरफ पिक अप रिवर की दूसरी जगह की जांच की जा रही है ।

(ख) जी हां, सिंचाई के साधन उपलब्ध होने पर वह स्वाभाविक है ।

(ग) ऐसी कोई सूचना इस विभाग को नहीं है ।

डॉ. चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : भाग (ख) के उत्तर में बताया, 'जी हां' । तो किसी समय वह अन्न–भण्डार था । इसका मतलब यह है कि वहां सिंचाई के साधन तब उपलब्ध थे और अब नहीं हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सारण : सिंचाई के साधन उपलब्ध थे, ऐसा नहीं । वहां पहले अच्छी फसल होती थी, अब भी होती है लेकिन सिंचाई की सुविधायें अगर मिल जायें तो और अधिक अच्छी फसल हो सकती है और अन्न–भण्डार हो सकता है, यह मैंने निवेदन किया है ।

डॉ. चन्द्रकला : तो जो पहले अन्न-भण्डार था वह बिना सिंचाई की सुविधा के था और अगर था तो अब भी बिना सुविधा के वहा अन्न–भण्डार हो सकता है ।

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : मारवाड़ में अन्न–भण्डार की बात की जाती है वह समय बहुत दूर है । बात यह है कि दरअसल इनन्डेशन इर्रीगेशन पहले भी होता था । अब यह योजना बनाई जा रही है कि इनन्डेशन इर्रीगेशन होगा तो उसमें अभिवृद्धि होगी, अन्न का उत्पादन बढ़ जायगा ।

डॉ० चन्द्रकला : यह मन्जूर किया गया है कि अन्न का भण्डार था तो वहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध थे तो वह अन्न भंडार कम हुआ है या जितनी आवश्यकता थी उतना ही रहा है या आगे बढ़ गया है । क्या मतलब है ?

उप मन्त्री शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : वहां पर पहले छोटा सा बान्ध जोजरी नदी पर था । बाद में जब रेलवे आई तो वह बांध रेलवे के नजदीक आ गया था । तो उसकी रिपेयर नहीं करवाई गई और ऑटोमैटिकली ६०–७० वर्ष पहले वह बान्ध टूट गया । उस समय जो बांध बांधा गया था बनाड़ के पास तो इस कारण से सिंचाई इनन्डेट होती थी । अब वह बांध नहीं रहा तो उसका असर पड़ा कि खरीफ की फसल होती थी वह बन्द हो गई । इसका सर्वे होकर लोकेशन का प्रश्न है कि कहां किया जायेगा और कहां नहीं किया जायेगा । वहां पर रेलवे की लाइन डूब में आती है । इससे हट कर दूसरी जगह का सर्वे कर रहे हैं ।

प्रश्न संख्या १०२३

श्री अध्यक्ष : श्री मोगजी भाई ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १०२४

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

सीकर जिले की डिफनक्ट (Defunct) सहकारी समितियां

१०२५. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या सहकारिता मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) सीकर जिले की कौन कौन सी सहकारी समितियां डिफन्क्ट हैं तथा कब कब से?

(२) इन डिफन्क्ट सोसाइटीज़ में से किन किन समितियों में रुपयों के गबन, दुरुपयोग तथा अन्य प्रकार की अनियमितताओं की सरकार को सूचना है और कब कब से?

(३) क्या यह सही है कि दिनांक ३ फरवरी, सन् ५६ को सीकर में मन्त्रि-मंडल की बैठक के समय में सरकार की ओर से विभागीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया था कि ऐसी समितियों के मामले पुलिस के हवाले कर दिये जावें?

(४) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उप मन्त्री, सहकारिता (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (क) इसका उत्तर संलग्न सूचि परिशिष्ट के (क) में उपलब्ध है।

(२) इसका भी उत्तर संलग्न सूची के परिशिष्ट (क) में उपलब्ध है।

(३) जी हां, परन्तु दिनांक ३. २. ५६ को नहीं बल्कि ३. २. ६० को।

(४) इसका भी उत्तर संलग्न सूची परिशिष्ट (क) में उपलब्ध है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

तहसील आसीन्द की पंचायत बदनौर के सरपंच के खिलाफ मामले

१०२६. श्री जयसिंह राणावत (आसीन्द) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि पंचायत बदनौर, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा के सरपंच पर दफा ४०६, ४३१, ३७६, १८२ और दफा १०७ के मामले दायर होकर कार्यवाही चली है? यदि हां, तो नतीजा क्या रहा?

(२) क्या एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट ने भी उक्त सरपंच के खिलाफ सरकारी रकमों के दुरुपयोग की कोई जांच गत वर्ष की है? यदि हां, तो क्या नतीजा रहा?

(३) उक्त जांच कब और किस महीने में किसकी शरकत में की गई थी?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): (१) जी हां, भारतीय दण्ड संग्रह की धारा ४०१ के अन्तर्गत एक मुकद्दमा अदालत में विचाराधीन हैं। भारतीय दण्ड संग्रह की धारा ४३१, ३७६ इत्यादि के मुकद्दमे में अपराधी धारा ४३१ के अन्तर्गत रिहा कर दिये गये हैं और इस आज्ञा के विरुद्ध निगरानी के लिये प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दिया गया है जो

(श्री रामकिशोर व्यास)

विचाराधीन हैं। भारतीय दण्ड संग्रह की धारा १८२ के अन्तर्गत एक इस्तगासा अदालत में विचाराधीन है। भारतीय दण्ड विधान की धारा १०७ के अन्तर्गत मुकद्दमे का फैसला हो गया है और उन्हें ६ महीने तक शान्ति रखने के लिये पाबन्द कर दिया गया है।

(२) जी हां। जांच के बाद इस संबंध में संयुक्त विकास आयुक्त (पंचायत) को हिसाबों की जांच करवाने के लिए लिखा गया था।

(३) जांच जुलाई–अगस्त, सन् १६५६ में भ्रष्टाचार विरोधी विभाग के निरीक्षक द्वारा की गई थी।

श्री जयसिंह राणावत : जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री रामकिशोर व्यास : पंचायत वालों को लिखा है कि हिसाब करें।

श्री जयसिंह राणावत : अध्यक्ष महोदय, जांच करवाये काफी अर्सा हो गया है और वे दूसरी रकम का दुरुपयोग कर रहे हैं और जो घाटा हुआ है उसकी पूर्ति के लिए और रकम का दुरुपयोग कर रहे हैं।

सांगानेर विकास खण्ड में किश्तों पर वितरित सिलाई मशीनों की रकम की वसूली

१०२७. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) सांगानेर विकास खंड में सिलाई की मशीनों के किश्त पर देने के नाम पर कितनी रकम कब कब वसूल हुई ?

(ख) वह रकम अब कहां है और मशीनें कितनी दी गईं ?

(ग) क्या अब तक रकम नहीं दी गई है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) अक्टूबर सन् ५६ व मार्च सन् ५६ में क्रमशः ४००) व १८०) रुपये की रकम प्राप्त हुई थी।

(ख) यह रकम नेशनल रूरल इन्डस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली में जमा है। अभी तक कुल ७ मशीनें बांटी गई हैं।

(ग) जी हां, इस संबंध में कम्पनी से पत्र-व्यवहार जारी है और जिन लोगों की रकम वापिस लौटानी है वह शीघ्र ही लौटा दी जावेगी।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : इसका उत्तर रह गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं; भाग (ग) के इस भाग का ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जिम्मेदारी उनकी है जिनके मार्फत मशीनें वितरित की गई हैं। वे ही जिम्मेदार हैं।

डॉ० चन्द्रकला : यह तो हम भी जानते हैं। लेकिन वह कौन है ? यही जानना चाहते हैं।

Page No.10

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरे खयाल से विकास अधिकारी हो सकता है।

श्री लादूराम सुलाणियां (दूदू-सु०) : विकास अधिकारी अपनी मर्ज़ी से मशीनें खरीदते हैं कोआँपरेटिव की बिना मांग पर ही ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह जानकारी तो नहीं है मेरे पास।

श्री लादूराम सुलाणियां : अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देना चाहता हूं माननीय मन्त्री महोदय को कि विकास अधिकारी ने अपनी मर्ज़ी से, मनमाने ढंग से धन का दुरुपयोग किया है। मशीनों की खरीद में धन का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है।

डॉ० चन्द्रकला : विकास अधिकारी ने रकम नहीं दी तो सरकार के और विभाग ने क्या किया है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरा मतलब यह है कि विकास अधिकारी ने अपने पास थोड़े ही रख लिया है। लोगों से वसूल होना बाकी है। लेन देन की जिम्मेदारी विकास अधिकारी की है। वह खा गया हो ऐसी बात नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : यह मैं जानना चाहती हूँ कि खा गया या रह गया, तो सरकार कुछ करेगी या नहीं या खा गया है तो रह जाने देगी।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कम्पनी से लिखा-पढ़ी हो रही है और उसकी व्यवस्था हो रही है।

श्री लादूराम सुलाणियां : कब तक हो जायेगी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जल्दी ही हो जायगी।

श्री लादूराम सुलाणियां : 'जल्दी' का मतलब १०-२० रोज में हो जायगी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरा बस पड़े तो कल ही हो जाय।

(हंसी)

श्री लादूराम सुलाणियां : माननीय अध्यक्ष, बरसात आने से पहले रकम का निबटारा होकर आने वाली काश्त बोयेंगे। उससे पहले इन्तजाम नहीं हो तो अच्छी बात नहीं होगी।

डॉ० चन्द्रकला : बोने है क्या रुपये ?

सब तहसील कुम्हेर के हेलक ग्राम के पास वाले बांध की मरम्मत

१ २८. **श्री गोरधनसिंह केन** (बयाना सु०) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सत्य है कि जिला भरतपुर की सब तहसील कुम्हेर के हेलक ग्राम के पास एक पुराना बांध खराब हालत में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसको ठीक करने की कोई निकट भविष्य में योजना तैयार कर रही है ? यदि हां, तो यह कब तक पूरी हो जायेगी ?

(ख) क्या सरकार को विदित है कि इस बांध के तैयार हो जाने पर इस इलाके के

(श्री गोरधनसिंह केन)

किसानों को काफी लाभ होगा और पैदावार में भी वृद्धि होगी ?

उप मन्त्री सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (क) बांध है, परन्तु बांध की हालत खराब नहीं है ।

जी नहीं । इस बांध की मरम्मत प्रत्येक वर्ष आवश्यकतानुसार करा दी जाती है ।

(ख) ऐसी कोई संभावना नहीं है ।

श्री गोरधनसिंह केन : गत वर्ष में कितना पैसा लगाया गया ?

श्री दौलतराम सारण : पैसों के आंकड़ें इस वक्त मेरे पास उपलब्ध नहीं है ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : तो फिर आपने कैसे कह दिया कि हर वर्ष आवश्कतानुसार मरम्मत करा दी जाती है ?

श्री दौलतराम सारण : प्राप्त सूचना के आधार पर ।

डॉ० बहदुरसिंह : प्राप्त हुई सूचना के आधार पर गत वर्ष में कितना खर्च हुआ ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि आंकडें इस वक्त मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं ।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या आप जांच करवायेंगे कि गत वर्षों में, पिछले वर्ष में कितना खर्च हुआ ?

श्री दौलतराम सारण : आपने मरम्मत के लिए पूछा था कि कब कब मरम्मत की जाती है तो मैंने निवेदन कर दिया कि बांध की मरम्मत की गई है जब, जब आवश्यकता हुई ।

श्री गोरधनसिंह केन : आप किसी वर्ष का दिखा दें ।

श्री दौलतराम सारण : आपने पूछा नहीं है । आप पूछते तो निवेदन कर देता । आपने जो पूछा है उसका निवेदन कर दिया है ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या यह सच है कि पिछली बरसात में बांध टूट चुका है और उसमें मरम्मत की जरूरत है ?

श्री दौलतराम सारण : ऐसा नहीं है ।

श्री गोरधनसिंह केन : आपने कहा कि पिछले साल में मरम्मत हुई तो पिछले साल में कोई मरम्मत नहीं हुई ।

श्री दौलतराम सारण : मैंने यह निवेदन नहीं किया कि पिछले साल मरम्मत हुई है । मैंने यह निवेदन किया है कि आवश्यकतानुसार मरम्मत की जाती है । मरम्मत कब कब की गई ? किस किस सन् में मरम्मत की गई यह तो नहीं पूछा है । आपने जो पूछा है उसका उतर दे दिया कि जब जब मरम्मत की आवश्यकता हुई है तब तब मरम्मत की गई है ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : कई साल हो गये तो किसी साल में तो आवश्यकता महसूस की होगी सरकार ने । तो वह

(श्री श्रीभानसिंह)

साल ही बता दें कि इस साल आवश्यकता महसूस हुई ?

श्री दौलतराम सारण : इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में आपने कहा कि जब जब आवश्यकता हुई तो मरम्मत की गई है, तो किस साल में गवर्नमेंट ने आवश्यकता समझी तो वह साल बता दें।

श्री दौलतराम सारण : माननीय सदस्य किसी साल का प्रश्न में संकेत कर देते तो अवश्य उत्तर निवेदन कर देता। माननीय सदस्य ने जो पूछा है उसका उत्तर निवेदन कर दिया है।

श्री श्रीभानसिंह : आपने उत्तर में कहा है कि रिपेअर्स हुए हैं जब जब आवश्यकता हुई है, तो हर साल तो आवश्यकता नहीं हुई, आप वह ईअर बता दें जब कि गवर्नमेंट ने आवश्यकता महसूस की हो और रिपेअर्स कराये हों।

श्री दौलतराम सारण : माननीय सदस्य ने यह पूछा है, "क्या यह सत्य है कि जिला भरतपुर की सब तहसील कुम्हेर के हेलक ग्राम के पास एक पुराना बान्ध खराब हालत में है ?" तो मैंने उत्तर दिया कि "बांध है, परन्तु बान्ध की हालत खराब नहीं है।" फिर उन्होंने पूछा, "यदि हां, तो क्या सरकार उसको ठीक करने की कोई निकट भविष्य में योजना तैयार कर रही है ? यदि हां, तो यह कब तक पूरी होगी ?" तो मैंने निवेदन किया, "जी नहीं। इस बान्ध की मरम्मत प्रत्येक वर्ष आवश्यकतानुसार करा दी जाती है।"

श्री श्रीभानसिंह : प्रत्येक वर्ष का नहीं पूछ रहा हूँ। आप एक वर्ष का बता दें जब कि आपने रिपेअर्स कराये हों।

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि आवश्यकता जब जब हुई तब तब करवाई है। अब आप वर्ष का अलग से प्रश्न पूछें तो निवेदन कर दूंगा।

श्री श्रीभानसिंह : यह मैं जानना चाहता हूँ कि रिपेअर बान्ध की कब हुई ? किसी साल में तो आवश्यकता हुई होगी और रिपेअर्स की होंगी, क्योंकि बान्ध की आज तक मरम्मत नहीं कराई गई है।

श्री दौलतराम सारण : मेरी सूचना के अनुसार मरम्मत कराते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : आप कहते हैं कि मरम्मत कराते हैं लेकिन आज तक मरम्मत नहीं कराई गई है। आप यदि इन्क्वायरी करना चाहें तो चलियेगा। बान्ध की अभी तक मरम्मत नहीं कराई गई है। एक दफा ईयर बिफोर लास्ट इयर टेन्डर मांगे थे लेकिन टेन्डर रिजेक्ट कर दिये गये।

श्री दौलतराम सारण : आपने जो सूचना दी है उसकी मैं जानकारी करा लूंगा। लेकिन मेरी सूचना के अनुसार आवश्यकतानुसार उसकी मरम्मत कराई जाती रही है।

श्री माला साकिन गोडचावास की थानेदार श्रीनगर, जिला अजमेर द्वारा की गई मारपीट व गिरफ्तारी पर जांच

१०२६. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) :

Page No.13

(श्री भैरोंसिंह)

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि श्री माला पुत्र अज्जा रावत साकिन गोडवावास थाना गेगल को थानेदार श्रीनगर, जिला अजमेर द्वारा गिरफ्तार किया जाकर उसकी मार पिटाई की, जिसकी शिकायत उसके रिश्तेदारों द्वारा उच्चाधिकारियों को की गई है ?

(ख) यदि हां, तो माला रावत को किस अपराध में कब गिरफ्तार किया गया तथा उसको कब छोड़ा गया ?

(ग) इन शिकायतों की जांच किसने की और उसका क्या नतीजा रहा ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) वह गिरफ्तार नहीं किया गया था अपितु गवाह के रूप में मुकदमा नंबर २१६० धारा ३४२ ता० हि० में बयान लेने के लिए थाना श्रीनगर में बुलवाया गया था। उसके रिश्तेदारों ने एक तार और एक दरख्वास्त माला को मारने के बारे में दी थी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सी. आई. केकड़ी को डेप्यूट किया गया था तो कम्प्लेनेन्ट ने यह कहा कि हम नहीं चाहते कि डी. वाई. एस. पी. की रैंक से कम के आदमी को मुकर्रर किया जाय। इसलिए डी. वाई. एस. पी. केकड़ी को मुकर्रर किया गया है।

प्रश्न सख्या १०३०

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

ग्राम उठमान, जिला सिरोही के जग्नेश्वर ब्राह्मण की हत्या

१०३१. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Home Minister be pleased to state:-

1. Whether Shri Jagneshwar Brahmin at village Uthman in the jurisdiction of Erinpura police station Sirohi district was murdered and the police showed the cause of his death as suicide ?

2. Is it a fact that the community of Gorwal Brahmins Persistantly moved the authorities that Shri Jagneshwar, the deceased, was murdered ?

3. Is it a fact that there were allegations of bribe against the station house officer police station Erinpura and enquiry was conducted by the Anti-Corruption branch of the Police in connection with the aforesaid matter ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : No, Sir. From the enquiries conducted by the Police Jagneshwar was found to have committed suicide & not murdered.

2. Yes, Sir.

3. Yes, Sir. Enquiry is being conducted by the Anti Corruption Department.

श्री मोहब्बतसिंह : Is the Government aware that some petitions were submitted before the Magistrate at Pali in this connection stating that Shri Jagneshwar was murdered and they were the persons who had overheard the stories from other persons.

श्री रामकिशोर व्यास : दो आदमियों ने शायद बयान दिये थे।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Is the enquiry conducted by the Anti-Corruption complete...

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो दूसरी बात है, रुपये देने के बारे मे है; जिसे एन्टी-करप्शन में दिया गया। दूसरा मर्डर के बारे में है, उसमें उसने सुसाइड किया।

श्री श्रीभानसिंह : एन्टीकरप्शन में किस बात की उन्नति कर रहे हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : रुपये देने के बारे में।

श्री मोहब्बतसिंह : एन्टीकरप्शन ने रिपोर्ट खत्म कर दी है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : अभी नहीं की है।

प्रश्न संख्या १०३२

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १०३३

श्री अध्यक्ष : श्री बी. एन. जोशी।

(अनुपस्थित)

गंगानगर जिले के चुनावर हत्याकांड मामले में अनुसंधान

१०३४. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : Will the Home Minister be pleased to state :—

1. Whether Shri AnopChand, C. I. of C. I. D. was deputed to dig out murder case of Chunawar in Ganganagar District ? If so, when and by whom ?

2. What has been the result of his appointment for this investigation and how long he remained in that district for this investigation ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : 1. Yes, Sir, he was deputed by the Dy I. G., C. I. D. on 15-12-59 on the request of Dy. Inspector General of Police, Bikaner.

2. The case has been successfully worked out and challanged. He remained in that district from 15-12-59 to 13-2-60.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि इस केस को डिग आउट किया है, उसका सारा श्रेय श्री अनोपचन्द को मिला है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो ओपीनियन की बात है, वे गये और उन्होंने तफतीश की, चालान किया।

श्री भैरोंसिंह : लोकल पुलिस ने किया या उन्होंने किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : ज्यादा इनका मालूम होता है।

प्रश्न संख्या १०३५

श्री अध्यक्ष : श्री रामधन।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०३६

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

जयपुर से गंगापुर तथा दौसा से गंगापुर आनेवाली बसों द्वारा समय की पाबन्दी

१०३७. **श्री पृथ्वीराज पटेल** (गंगापुर सु०) : क्या यातायात मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :–

(१) जयपुर से गंगापुर तथा दौसा से गंगापुर जाने वाली बसें तथा गंगापुर से जयपुर तथा गंगापुर से दौसा आनेवाली बसें समय पर नहीं पहुँचाती है।

(२) क्या इस सम्बन्ध में पिछले तीन सालों से बार २ लिखने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है ? क्या इन बसों को समय पर चलाने के लिये कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

यातायात मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जयपुर से गंगापुर व दौसा से गंगापुर जानेवाली बसों के बारे में देर से पहुंचने की शिकायत इस कार्यालय में हुई थी जिसका कारण जांच करने पर सड़क का खराब होना पाया गया था। अब कोई शिकायत नहीं है।

(२) बसों को समय समय पर चलने का आदेश दे दिया गया है और यातायात स्टाफ को हिदायत कर दी गई है कि वे इस बात का पूरा निरीक्षण रखें कि गाड़ियें समय का पूरा पाबन्द रखती हैं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : आपने यह बताया कि सड़कों की खराबी की वजह से देर से पहुँचती थीं तो क्या सड़कों को ठीक किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : उनकी रिपेअर्स कर रहे हैं।

श्री पृथ्वीराज पटेल : गंगापुर तक पहुँचने में ७॥ घंटे लेती है और डेढ़–डेढ़ घंटे तक रास्ते में पड़ी रह जाती है, बच्चे आदि चिल्लाते हैं। बार-बार शिकायत करते हैं, हर सेशन में प्रश्न पूछते हैं, लेकिन कोई इन्तज़ाम नहीं किया जाता।

तहसील नीम का थाना में भुदोली ग्राम बांध का निर्माण

१०३८. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या तहसील नीम का थाना में भुदौली ग्राम बान्ध का सर्वे हो चुका है ?

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के शुरू होने में अभी कितना समय और लगेगा ?

उप, मन्त्री सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (क) जी हां।

(ख) इस योजना का तख्मीना बनाया जा रहा है और बहुत जल्दी ही इसको मंजूर करने का प्रयत्न किया जावेगा।

श्री ज्ञानचन्द मोदी : तख्मीना कब तक तैयार हो जायेगा ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने यह निवेदन किया न कि जल्दी ही हो जायेगा।

प्रश्न संख्या १०३६

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

नीम का थाना सब डिविजन में दिसम्बर १६५६ से फरवरी १६६० तक हुई चोरियां

१०४०. श्री ज्ञानचन्द मोदी (नीम का थाना) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) नीम का थाना सब-डिवीजन में दिसम्बर १६५६ से फरवरी, सन् १६६० तक कितनी चोरियां हुई और उनमें कितना माल चोरी गया ?

(२) माल की वापसी कितनी हुई और बाकी के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) नीम का थाना सब डिवीजन में ता० १-१२-५६ से १-२-६० तक कुल ५७ चोरियें नकबजनी सहित हुई। उनमें रु० ६६६७३. ६० नये पैसे के मूल्य की सम्पत्ति अपहृत हुई।

(२) रु० ४२२१२. ४७ नये पैसे के मूल्य की सम्पत्ति बरामद करली गई है और बाकी सम्पत्ति बरामद करने के प्रयास जारी हैं।

गंगापुर व बामनवास तहसीलों में पंचायतें निर्माण करने के प्रस्ताव

१०४१. श्री पृथ्वीराज पटेल (गंगापुर-सु०) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) गंगापुर तथा बामनवास से तहसील जिला सवाई माधोपुर में कितनी पंचायतें बनाने के प्रपोज़ल्स प्राप्त हुए हैं तथा उनमें कौन २ से ग्राम रखे गये हैं ? प्रत्येक पंचायत क्षेत्र की आबादी कितनी होगी, इन पंचायतों के चुनाव कब तक हो जाने की आशा है ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) सरकार को ये प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। जिन गांवों की जनसंख्या १५०० या उससे अधिक हो वहां एक अलग पंचायत स्थापित की जाएगी। जिन गांवों की जनसंख्या १५०० से कम होगी, उनका गठन इस प्रकार किया जावेगा जिससे कि वहां एक पंचायत कायम की जा सके। इस प्रकार निर्मित पंचायत की जनसंख्या साधारणतया २००० से अधिक व १५०० से कम नहीं होगी। नवीन पंचायतों के चुनाव १६६० में हो जाने की आशा है।

Page No.17

प्रश्न संख्या १०४२

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

स्थगित प्रश्न

प्रश्न संख्या ८५८

श्री एन. एल. जोशी।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : इसका उत्तर दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : रिपीट करेंगे।

(इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया)

प्रश्न संख्या १०१७

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

श्री मोगजी भाई।

बांसवाड़ा जिले में अन्तर प्रान्तीय अनाज ट्रकों की पकड़

१०२३. **श्री मोगजीभाई** (बांसवाड़ा) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले में अन्तर्प्रान्तीय अनाज ट्रक पकड़े गये हैं ? यदि हां, तो कितने और किन किन व्यक्तियों के ?

(ख) क्या यह सही है कि पुलिस कर्मचारियों ने कई ट्रक माल पकड़ कर छोड़ दिये हैं ? अगर हां, तो क्यों ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

श्री मोगजी भाई : क्या इस सम्बन्ध में सरकार के पास शिकायत आई है कि इस प्रकार की ट्रक चोरी के मामले में पकड़ी गई और छोड़ दी गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, एक की आई है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : इन्टर तहसील में आने जाने में रुकावट है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : कोई रुकावट नहीं है।

श्री दलपतसिंह : रेवती रोड़ से आबू रोड़ तक जो ट्रक आते जाते हैं, उनको क्यों रोकते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : बोर्डर पर ऐसा हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : यह शिकायत कब आई थी आपके पास ?

श्री रामकिशोर व्यास : फरवरी के लास्ट वीक में आई।

श्री भैरोंसिंह : क्या इसकी जांच कर ली गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसा है कि वह चावल का ट्रक था और चावल के एक्सपोर्ट पर रोक नहीं है।

श्री दलपतसिंह : आपने बोर्डर का

(श्री दलपतसिंह)

फरमाया, अगर गुजरात की तरफ जावें तो रोकना वाजिब है लेकिन एक तहसील से दूसरी तहसील में जाने पर क्यों रोकते है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इस तरह से रोकना बेजा है। एक तहसील से दूसरी तहसील में जाने पर रोक नहीं है।

श्री मोगजी भाई : क्या यह सच है कि यह ट्रक अशोककुमार एण्ड कम्पनी, छोटी सासण का था ? इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : चावल का ट्रक था जिसके जाने के लिये मनाई नहीं है।

श्री मोगजीभाई : छोटी सासण में अशोक कुमार एण्ड कम्पनी नाम की कोई ऐसी पेढी है क्या जिसका यह ट्रक था ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसके बारे में मैं अर्ज नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष : ये कहते हैं कि चावल का ट्रक था और चावल बाहर ले जाने पर रोक नहीं है।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : चावल का ट्रक पकड़ा कैसे गया, जब कि चावल पर पाबन्दी नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास : पुलिस का इससे ताल्लुक नहीं है लेकिन ऑक्ट्रॉय पर तलाश करने पर मालूम हुआ कि यह चावल का ट्रक था।

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने शिकायत की कि इस तारीख को ट्रक पकड़ा गया था और छोड़ दिया गया। जांच करने पर आप इस नतीजे पर पहुँचे कि पुलिस ने उसको पकड़ा ही नहीं बल्कि चैक भी नहीं किया, क्या यही बात है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इन्होंने शिकायत की, इस पर इन्क्वायरी कराई गई। नाकेदार को पूछने पर उसने बताया कि चावल का ट्रक था। नाके पर कुछ जमा कराना पड़ता है और वहां पर एन्ट्री होती है; इससे मालूम हो गया कि यह चावल का ट्रक था।

श्री भैरोंसिंह : इस शिकायत में क्या था ?

श्री रामकिशोर व्यास : शिकायत में यह था कि ट्रक से सामान बाहर ले जाया गया।

श्री भैरोंसिंह : शिकायत की जांच की क्या ?

श्री मोगजी भाई : चावल के बारे में शिकायत नहीं है, गेहूं के मामले में थी।

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं, निकला चावल है।

श्री मोगजी भाई : उस कम्पनी के सम्बन्ध में नहीं बताया ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने उत्तर दे दिया कि गेहूं नहीं ले जा रहा था, चावल ले जा रहा था।

श्री मोगजी भाई : किसका था ?

श्री भैरोंसिंह : एक बात होनी चाहिए, अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के माननीय सदस्य शिकायत करें, उसकी जांच की जाय और जिनसे उसकी सूचना मिली, उनसे जानकारी नहीं ली जाय और फिर जांच के आधार पर कह दिया जाय कि हमने जांच कर ली है और जांच से पाया गया कि उसमें चावल था; जब कि वे कह रहे हैं कि गेहूं था। उनसे आप पूछते नहीं, ऐसी स्थिति में शिकायत की सेन्क्टिटी नहीं रहती।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं अर्ज कर दूँ कि इनकी शिकायत आई है, उस पर इन्क्वायरी की है। उसमें पुलिस इनवॉल्व्ड नहीं थी। आपकी शिकायत आई तो मालूम किया, जिस ऑक्ट्रॉय पोस्ट से पास हुआ है वहां के नाकेदार से मालूम किया, उसने कहा कि चावल का ट्रक इतने नम्बर का था और उसने इतना रुपया जमा कराया।

श्री भैरोंसिंह : वे कहते हैं कि गेहूँ का ट्रक गया और जांच करनेवाले कहते हैं कि चावल का ट्रक गया। जांच करने वालों को चाहिए था कि वे पहले इनसे पूछते।

श्री रामकिशोर व्यास : जहां से वह गुजरा है, जहां पैसा जमा कराया है, वह कहता है....

श्री भैरोंसिंह : वह तो पैसा लेकर भी कह सकता है, चावल की एन्ट्री करके गेहूं का ट्रक पास कर सकता है।

श्री रामकिशोर व्यास : आप इस तरह की कोई फर्दर एवीडेन्स दे सकते हैं तो दीजिये, उस पर कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह सवाल नहीं है। आज आप फर्दर एवीडेन्स की बात करते हैं, जब कि सवाल पूछ लिया है और उस पर ६ रु० २ आ० खर्च हो गये हैं अब कहते हैं कि फर्दर एवीडेन्स दीजिये। मैं समझता हूं कि अगर कोई माननीय सदस्य शिकायत करता है तो उसके लिए पुलिस ऑफिसर को ड्यूटी बाउन्ड कर दीजिये कि वह फैक्ट्स को मालूम कर ले और कम्प्लेन्ट की जांच जरूर करनी चाहिए। वह तो करते नहीं हैं, और जब हाउस में क्वेश्चन आता है, तब कहते हैं फर्दर एवीडेन्स दे दीजिये यह ठीक नहीं है। जो माननीय सदस्य शिकायत करें, उनसे पहले जानकारी कर ली जानी चाहिए।

श्री मोगजी भाई : यह जो पुलिस अधिकारी ने पकड़ा, वह अधिकारी कौनसा था ?

श्री अध्यक्ष : वे कह रहे हैं कि पुलिस अधिकारी नहीं था, ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर रोक दिया था।

श्री मोगजी भाई : पुलिस का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

पाली बांगड़ हॉस्पिटल के लिए विजीटिंग कमेटी का निर्माण

१०२४. **श्री मूलचन्द डागा** [पाली-श्री शंकरलाल (रायपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

Page No.20

(श्री मूलचन्द डागा)

(क) पाली बांगड़ हॉस्पिटल के लिए कोई हॉस्पिटल विज़ीटिंग कमेटी बनी हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ख) क्या सरकार इस प्रकार की विज़िटिंग कमेटी का शीघ्रातिशीघ्र निर्माण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी नहीं । सरकार की ओर से विज़ीटिंग कमेटी के नाम मनोनीत नहीं किये गये हैं ।

(ख) जी हां । राज्य के समस्त जिलाधीशों व अस्पताल के अधिकारियों को लिखा गया है कि वे सदस्यों के नाम भेजें जिससे समस्त अस्पतालों के लिये विज़ीटिंग कमेटी बनाई जाये ।

श्री शंकरलाल : यह कब तक बन जायेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कलेक्टर और डी० एम० एच० ओ० की रिकमन्डेशन मांगी गई है, उसके बाद की जायेगी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : यह रिकमन्डेशन कब मांगी गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : थोड़े दिन पहले मांगी गई है ।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

आदर्श नगर बस्ती के पूर्व में स्थित चूने के भट्टे

१०३०. श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) आदर्श नगर बस्ती, जयपुर के पूर्व में चूने के कितने भट्टे हैं तथा वे कब से चालू हैं ?

(ख) इनको लाइसेन्स कब कब दिया गया ?

(ग) क्या यह सही है कि नगरपालिका ने इनको यहां से हटाने के आदेश जारी किये थे ? यदि हां, तो कब ? उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(घ) यदि हां, तो फिर इनको लाइसेन्स क्यों रिन्यू किये गये ?

(ङ) यदि ये बिना लाइसेन्स के ही कार्य कर रहे हैं तो इनके खिलाफ कार्यवाहियां क्यों नहीं की गई ?

(च) क्या इन भट्टों के खिलाफ शिकायतें हुई ? यदि हां, तो कितनी व उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (क) २६ भट्टे हैं जो सन् ४० से चालू हैं ।

(ख) इनको लाइसेन्स ३१ अगस्त, सन् ५६ तक दिये गये थे ।

(ग) जी हां । दिनांक ८–५–५६ को ।

Page No.21

(श्री सम्पतराम)

उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(घ) कोई लाइसेन्स रिन्यू नहीं किये गये।

(ङ) समस्त मालिकान को नोटिस दिये गये हैं ।

(च) सेक्रेटरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, आदर्श नगर द्वारा एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ जिस पर इन भट्टों को बन्द किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सन् १९५६ में जब म्युनिसिपैलिटी ने डिसीज़न ले लिया कि भट्टे हटा दिये जायं और लाइसेन्स रिन्यू नहीं किये गये तो आज तक किस तरह काम करते रहे बिना लाइसेन्स के ?

श्री सम्पतराम : जब इन भट्टों को हटाने का प्रश्न था उस वक्त यह सवाल पैदा हुआ कि उन भट्टों को उस जगह से हटा कर कहां ले जाया जाय । जब तक यह निश्चय नहीं हुआ, तब तक हटाना वाजिब नहीं समझा ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : स्थान निश्चित हो जाय तो फिर हटा कर ले जायेंगे ?

श्री सम्पतराम : जी हां ।

डॉ० चन्द्रकला : भट्टे कब तक हट जायेंगे ?

श्री सम्पतराम : मार्च के आखिर तक के लिए अन्तिम नोटिस दे दिया है। इस पीरियड में उठा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो कानूनी कार्यवाही करके हटाये जायेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितने पीरियड के लिए नोटिस दिया है ?

श्री सम्पतराम : दो महीने का दिया है ।

डॉ० चन्द्रकला : कब दिया है ?

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर दिलवा दीजिये ।

जनता से अपेक्षित श्रमदान वाली लघु सिंचाई योजना

१०३२. **श्री मूलचन्द डागा** [पाली—डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) किन किन स्थितियों में लघु सिंचाई योजनाओं को पूरा कराने में जनता से सरकार श्रमदान की अपेक्षा करती है ?

(२) क्या सरकार, उन सिंचाई योजनाओं में जनता श्रमदान करती है काश्तकारों से आबपाशी की रकम वसूल करती है ? यदि हां, तो फिर श्रमदान क्यों कराया जाता है ?

उप-मंत्री सिंचाई, (श्री दौलतराम सारण): (१) २५,००० से कम की लागत की

(श्री दौलतराम सारण)

वे सिंचाई योजनाएं जो भारत सेवक समाज के द्वारा बनवाई जा रही हैं उनमें भारत सेवक समाज ने २५ प्रतिशत श्रमदान दिलाने का आश्वासन दिया था। और किसी भी लघु सिंचाई योजना में श्रमदान नहीं लिया जाता है।

(२) जी नहीं। उक्त श्रमदान द्वारा बनवाई हुई योजनायें आम तौर पर ५० एकड़ से कम सिंचाई करती हैं और उनकी आबपासी की रकम की वसूली पंचायतों के जिम्मे है।

डॉ० चन्द्रकला : ऐसी कोई योजना श्रमदान से बनी है अपने यहां ?

श्री दौलतराम सारण : क्या ?

डॉ० चन्द्रकला : अपने यहां पर ऐसी कोई योजना भारत सेवक समाज की सहायता से जनता के श्रमदान से बन कर तैयार हुई है क्या ?

श्री दौलतराम सारण : निवेदन कर चुका हूं, प्रश्न नम्बर १ के उत्तर में।

डॉ० चन्द्रकला : आपने जो बताया है, वह जनरल बात बताई है। मैं पर्टिक्यूलर पूछना चाहती हूं; एक, दो, चार योजना तैयार हुई हैं ?

श्री दौलतराम सारण : कई योजनाओं पर काम चल रहा है।

डॉ० चन्द्रकला : अभी तैयार एक भी नहीं हुई ?

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : इस प्रकार की कई योजनायें भारत सेवक समाज ने 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन में चलाईं, लेकिन काम बहुत कम हुआ है। आगे से भारत सेवक समाज के सम्बन्ध में दूसरी नीति निर्धारित करने के लिए सोच रहे हैं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : जहां श्रमदान भारत सेवक समाज के थ्रू होता है उसमें २५ पर्सेन्ट गवर्नमेंट एड देती है लेकिन गांवों में जहां पब्लिक श्रमदान करती है वहां उनसे ५० पर्सेन्ट क्यों श्रमदान और ७५ पर्सेन्ट मांगा जाता है ?

श्री दौलतराम सारण : सिंचाई की योजना पब्लिक के श्रमदान की योजना नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सच है कि जो श्रमदान लिया जाता है वह श्रमदान के रूप में न होकर मज़दूरी के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है ?

श्री दौलतराम सारण : यह अलग से प्रश्न है। भारत सेवक समाज का काम है, किसी से ले, किसी से न ले, किसी से १५ ले, किसी से २५ ले उससे हमारा सम्बन्ध नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, लघु सिंचाई योजना में श्रमदान लिया जाता है। मेरा प्रश्न है कि जहां श्रमदान लिया जाता है वह क्या मजदूरी स्वीकार कर लेते हैं, २५ पर्सेन्ट, १५ पर्सेन्ट स्वीकार कर लेते हैं, यह राइट दे दिया कि योजना में २५ रुपया स्वीकार किया ?

श्री पी० के० चौधरी : लघु सिंचाई योजना में श्रमदान नहीं है, यह कैसे कहा ? भारत सेवक समाज द्वारा सिंचाई के काम किये जाते हैं, उसको श्रमदान कैसे

(श्री पी के. चौधरी)

मिलता है ! आपने फरमाया कि सिंचाई योजना में श्रमदान नहीं मिलता है। मैं कहता हूं, सिंचाई योजना में श्रमदान लेते हैं, तालाब वगैरह बनाते हैं, वहां गांववाले श्रमदान देते हैं, उनमे आप ५० पर्सेन्ट का कन्ट्रीब्यूशन चाहते हैं और भारत सेवक समाज के जरिये जो काम होता है उसमें आप २५ पर्सेन्ट चाहते हैं ?

श्री भीखाभाई : दर असल बात यह है कि माइनर इरिगेशन प्रारम्भ होता है, उसमें गवर्नमेंट देखे कि रिटर्न नहीं बैठता है तो गांव के लोगों को कहते हैं कि काम होना चाहिये। सरकार रिटर्न बैठानेवाली है, वह पूरा करना चाहती है। जैसे ऊटड़ा की योजना है, अजमेर में है। लोग कहते हैं इसको करना चाहिये। हमने स्वीकार किया है। लेकिन वहां श्रमदान आता नहीं है। सिंचाई विभाग का उसमें सारा खर्चा हुआ। अब भारत सेवक समाज ने कार्य हाथ में लिया। तो जहां श्रमदान होता है, उनका जो वहां पर अनुभव रहा है, उसके आधार पर उसको अधिक सफल नहीं कहा जा सकता ....

श्री पी.के.चौधरी : मेरा क्वेश्चन है कि why this is discrimination that the when Shramdan is performed through the agency of Bharat Sewak Samaj Government's contribution is 25 percent and when the villagers perform, then the Government contributes 50 percent.

श्री अध्यक्ष : वे स्वीकार नहीं करते हैं कि उनके विभाग से काम होता है, उसमें श्रमदान लिया जाता है।

श्री पी० के० चौधरी : It is done, Sir. For either irrigation etc. if it is done through Bharat Sewak Samaj then the Shramdan is necessary for 25 percent otherwise upto the extent of 50 percent.

प्रश्न संख्या १०३३

श्री अध्यक्ष : श्री बी. एन. जोशी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०३५

श्री रामधन।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री दलपतसिंह (आबू) : इसका उत्तर दें साहब।

जिला जालोर के निम्बलाना गांव से माह फरवरी, १९६० में डाकू द्वारा उड़ाये गये दो व्यक्ति

१०३६.**श्री लक्ष्मीचन्द** [सांचोर—श्री दलपतसिंह (आबू) द्वारा पूछा गया] : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

क्या सरकार को विदित है कि जिला जालोर के निम्बलाना गांव से २ व्यक्तियों को डाकू माह फरवरी, सन् १९६० में उड़ा कर ले गये ? यदि हां, तो किस किस व्यक्ति को और क्या वे वापिस आ गये हैं ? यदि हां,

Page No.24

(श्री लक्ष्मीचन्द)

तो कितने दिन बाद और पुलिस ने इसके मुताबिक किन किन डाकुओं के प्रति जानकारी हासिल कर गिरफ्तार किया ?

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क)..

श्री अध्यक्ष : यह तो होम मिनिस्टर साहब का है।

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : दिनांक ५–२–६० को सर्व श्री पुखराज व दीपचन्द को डकैत भगा कर ले गए और उनको १२ रोज के पश्चात् यानि १७–२ ६० को छोड़ दिया और वे १८–२–६० को अपने घर वापिस आ गये। अपराधी नामजद हो गये हैं और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। अपराधियों के नाम ये हैं :—

संघसिंह पुत्र कलसिंह भाटी, जवाहरसिंह पुत्र कलसिंह भाटी, करमिया पुत्र गंगा बागीर, मादिया पुत्र गंगा बागीर, किशनसिंह पुत्र मानसिंह भाटी।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : डाकुओं ने कितने पैसे लेकर उनको छोड़ा ?

श्री रामकिशोर व्यास : रुपया लेने की तो कोई शिकायत नहीं हैं।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : ये २ आदमीं वापिस आ गये हैं तो पुलिस की कार्यवाही से छूटे हैं या डाकुओं ने अपने आप छोड़ दिया ?

श्री रामकिशोर व्यास : डाकुओं पर छापा डाला था, घेरा डाला था इसलिये सब छोड़ छाड़ कर भाग गये।

श्री दलपतसिंह : यह तो निश्चित है कि डाकुओं ने छोड़ा है तो निश्चित रूप से लेकर छोड़ा होगा। पुलिस को जांच करने से क्या पता चला ?

श्री रामकिशोर व्यास : पुलिस ने परस्यू किया है, एरिया पर छापा मारा है, आपको मालूम है, तभी छोड़ कर भागे।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : आपको मालूम होने से क्या सदन को मालूम होना चाहिये ?

श्री रामकिशोर व्यास : सदन को मालूम कराने के लिए ही तो अर्ज किया है कि उस एरिया पर पुलिस ने छापा मारा तो डाकू सब छोड़–छाड़ कर भाग गये।

श्री दलपतसिंह : What is the latest report ?

श्री रामकिशोर व्यास : यही तो अर्ज किया।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : कितने रुपये मांगे थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : किसने मांगा, अन्दाज से मत पूछिये। वाकयात मालूम हों तो दर्याफ्त फरमाइये।

श्री दलपतसिंह : पैसा नहीं लिया तो फिर कैसे छोड़ा ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा न

(श्री रामकिशोर व्यास)

कि पुलिस ने छापा मारा उस एरिया में...

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : चैंज ऑफ हार्ट हो गया था डाकुओं का ?

श्री रामकिशोर व्यास : डर से भी छोड़ सकते हैं, पुलिस पीछा करती रही, छोड़ कर भाग गये।

प्रश्न संख्या १०३६

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री दलपतसिंह : इस प्रश्न का उत्तर दिया जाय।

आयुर्वेदिक विभाग द्वारा चौगान में लगाई गई प्रदर्शनी

१०३६. श्री लक्ष्मीचन्द [सांचोर-श्री दलपतसिंह (आबू) द्वारा पूछा गया] : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि माह दिसम्बर, १९५९ में जो राजस्थान प्रदर्शनी चौगान में में लगाई गई थी उसमें आयुर्वेदिक विभाग द्वारा एग्जीबिशन लगाया गया था ?

(ख) यदि हां, तो क्या उस एग्जीबिशन में सन् १९५६-५७ में केन्द्रीय अनुदान से भारत सेवक समाज द्वारा निर्मित किये जाने वाले चिकित्सालयों के भवनों के स्थान का सूचना पट्ट लगाया था ?

(ग) क्या यह भी सही है कि उस सूचना पट्ट में आइटम नं० ५ पर भीनमाल में चिकित्सालय भवन भारत सेवक समाज द्वारा बना बताया गया है ? यदि हां, तो क्या वह भवन बन चुका है ? यदि नहीं, तो ऐसे गलत सूचना पट्ट लगाने से सरकार को क्या फायदा है और इसका उत्तरदायित्व किस पर था ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) जी हां।

(ख) यह विभाग की जानकारी में नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री एन. एल. जोशी।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : इस प्रश्न का उत्तर दिया जाय।

६ अप्रेल १९६० का स्थगित तारांकित प्रश्न

पिलानी नगरपालिका के विरुद्ध लगाये अभियोगों में कार्यवाही

८५८. श्री नरोत्तमलाल जोशी [झुंझुनू-श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) द्वारा पूछा गया]: क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) पिलानी नगरपालिका, जिला झुंझुनू के अध्यक्ष के विरुद्ध क्या फर्जी पट्टे करने का

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

नोटिस दिया जाकर जांच कराई गई थी ? क्या उक्त जांच के फलस्वरूप लगभग उन १०० से ऊपर पट्टों को फर्जी करार दिया जाकर कैन्सिल करके खरीददारों को जमीन की कीमत वापिस दी गई थी ?

(२) क्या इस विषय में नगरपालिका पिलानी के अध्यक्ष और सदस्यों को अपदस्थ करने का नोटिस सरकार की ओर से दिया गया है ? उक्त नोटिस में क्या अन्य अभियोग भी उक्त नगरपालिका के विरुद्ध लगाये गये हैं ? यदि हां, तो कब तक तथा उसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

(३) क्या इस प्रकार के फर्जी और गैर-कानूनी पट्टों के करने के अपराध में तथा सार्वजनिक भूमि को अनधिकृत रूप से बेचने के फलस्वरूप सरकार कोई कानूनी कार्यवाही उक्त बोर्ड के सदस्यों के विरुद्ध करने का विचार रखती है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां।

(२) जी हां। जमीन बिक्री के अलावा और कोई अभियोग नहीं लगाया गया।

(३) उचित कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या इन्क्वायरी से साबित हुआ था कि उन्होंने फर्जी पट्टे बनाये थे ?

श्री सम्पतराम : जब तक सरकार फाइनल निर्णय नहीं दे दे यह कहना संभव नहीं कि फर्जी थे या गैर फर्जी थे।

श्री भैरोंसिंह : सरकार के निर्णय का नहीं कह रहा हूं जिस ऑफिसरने जांच की थी और उसकी जांच के आधार पर पट्टे कैन्सिल हुए, क्या उस जांच के आधार पर मालूम हुआ कि फर्जी पट्टे बनाये गये ?

श्री सम्पतराम : जो प्रश्न पूछने वालों का मेन इन्टेन्शन था, मैंने उसका जवाब दे दिया है।

श्री भैरोंसिंह : दूसरे की इच्छा तो आप जान नहीं सकते। पहले प्रश्नके उत्तर में आपने 'हां' भरा है, उसमें यह पूछा गया "पिलानी नगरपालिका, जिला झुंझुनूं के विरुद्ध क्या फर्जी पट्टे करने का नोटिस दिया जाकर जांच करवाई गई थी ? क्या उक्त जांच के फलस्वरूप उन लगभग १०० से ऊपर पट्टों को फर्जी करार दिया जाकर कैन्सिल करके खरीददारों को जमीन की कीमत वापिस दी गई थी ?" मैं इसी प्रश्न को पूछ रहा हूं। इस प्रश्न के उत्तर में आपने 'हां' भरी है तो क्या उस जांच से यह बात सिद्ध हो गई कि उन्होंने फर्जी पट्टे बनाये हैं ?

श्री सम्पतराम : मैंने कहा न कि इस प्रकार की शिकायत थी। सरकार के पास रेकॉर्ड वगैरह भेजा है, यह सारा का सारा मामला एग्ज़ामिनेशन में है।

श्री भैरोंसिंह : पट्टे कैन्सिल करने का निर्णय सरकार ने लिया था ?

श्री सम्पतराम : सरकार ने लिया था।

श्री भैरोंसिंह : यह निर्णय लेने से पहले क्या सरकार को विश्वास हो गया था कि फर्जी पट्टे बनाये गये हैं ?

श्री सम्पतराम : सरकार कोई भी आज्ञा देती है, तो अपना सेटिस्फेक्शन करके देती है।

श्री भैरोंसिंह : पट्टे फर्जी नहीं थे तो कैन्सिल करने के आॅर्डर क्यों दिये ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): यह शिकायत थी कि बहुत कम कीमत पर जमीन दी गई है; २ आने गज पर जमीन बेची है। इस प्रकार की शिकायत आई तो इन्क्वायरी होकर कार्यवाही हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : इन दोनों उत्तरों में से कौनसा उत्तर सही माना जाय, एक मन्त्री महोदय ने यह उत्तर दिया कि फर्जी पट्टे बनाने की शिकायत आई इसलिए पट्टे कैन्सिल किये गये और दूसरे मन्त्री महोदय यह उत्तर दे रहे हैं कि कम कीमत में जमीनें बेची गई इसलिए पट्टे कैन्सिल किये गये। कौनसा उत्तर सही समझा जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दोनों तरह की शिकायतें थीं।

श्री भैरोंसिंह : पट्टे किस कारण से कैन्सिल किये गये ? क्या फर्जी पट्टे काफी थे जिसकी वजह से पट्टे कैन्सिल किये गये या जमीन सस्ते भाव पर बेची, इस कारण पट्टे कैन्सिल किये गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दोनों बातों की शिकायत थीं, पट्टे कुछ रेकॉर्ड चैंज करके कर दिये और जमीन की कीमत बहुत कम थी ; इसलिए इस प्रकार की आज्ञा दी गई।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार के ध्यान में एक भी पट्टा ऐसा है जो फर्जी पाया गया हो और सरकार को संतोष हो गया हो कि पट्टे फर्जी बन गये हैं ?

● **श्री सम्पतराम** : सरकार जब तक फाइनल नहीं कर दे तब तक कुछ कहना संभव नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने मालूम किया कि एक भी पट्टा फर्जी है ?

श्री सम्पतराम : फर्जी होने की भी एन्क्वायरी का प्रश्न है। दो आने गज पर जमीन दी थी, जो बहुत सस्ती है, इसलिए पट्टों को कैन्सिल किया गया। पट्टों के साथ ही सस्ते भाव पर जमीन देने की शिकायत है। वह किस अंश तक सत्य है, इस सब की डिटेल्ड एन्क्वायरी हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि सरकार ने पट्टे कैन्सिल किये, इस कारण किये कि कम कीमत पर जमीन दी गई और पट्टे फर्जी नहीं थे ?

श्री सम्पतराम : मैं जबाव दे रहा हूं कि जमीन सस्ती दी और फर्जी पट्टे कराने का भी कुछ शक होता है। दोनों बातों को देख कर सेल को कैन्सिल किया गया और लोगों से रुपया लिया गया था वह वापिस दिलाया गया।

श्री भैरोंसिंह : जब सरकार के पास प्राइमाफेसी केस था कि फर्जी पट्टे बनाये थे तो सरकार ने प्रोसीक्यूशन के लिए पुलिस को क्यों नहीं सौंपा ?

श्री सम्पतराम : जब तक कि एन्क्वायरी पूरी नहीं हो जाय तब तक प्रोसीक्यूशन के लिये आॅर्डर देना जरूरी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या किसी अधिकारी का सिर्फ इतना लिख कर देना कि पट्टे फर्जी बनाये गये हैं, इस बात के लिए काफी नहीं है कि पुलिस को केस दिया जाय और कोर्ट में चालान करके तस्दीक करावे ?

श्री सम्पतराम : जब सरकार के पास किसी नगरपालिका की किसी प्रकार की शिकायत आती है तो कानून की व्यवस्था है कि कोई भी एन्क्वायरी ऑफिसर मुकर्रर करके उस एन्क्वायरी की रिपोर्ट से सरकार किसी कन्क्लूज़न पर पहुँचती है तो वह जुडिशियल एन्क्वायरी के लिए भी दे सकती है और प्रोसीक्यूशन के लिए भी दे सकती है। पर यह सारा मामला अभी पेन्डिंग हैं, तब तक कुछ भी कहना सम्भव नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस स्थिति में उन सदस्यों को सस्पेन्ड किया जा सकता था पर किया नहीं गया ?

श्री सम्पतराम : मैंने कहा कि नोटिस दे रहे है। जो जवाब देंगे उस पर सरकार अन्डर दी प्रोविजन ऑफ दी लॉ सस्पेन्ड कर सकती है तो सस्पेन्ड करेगी। दोनों ही बातें हैं ऑफेन्स की सीरियसनेस क्या है, इस बात पर डिपेन्ड करेगा। सारी एन्क्वायरी कम्प्लीट हो जायगी तो जो उचित होगा वह एक्शन लिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार उचित नहीं समझती कि नगरपालिका के किसी सदस्य को सस्पेन्ड किया जाय ?

श्री सम्पतराम : जब तक कि पूरा निर्णय नहीं हो।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि फर्जी कार्यवाही से, प्रोसीक्यूशन से बचने के लिए नगरपालिका के चेयरमैन जिम्मेदार थे; वे ही अब भी नगरपालिका के चेअरमैन हैं और सारी नगरपालिका के रेकॉर्ड को गलत बनाया जा रहा है, फाड़ा जा रहा है ?

श्री सम्पतराम : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जानकारी दें तो क्या सरकार उचित और अविलम्ब कार्यवाही करेगी ?

श्री सम्पतराम : सरकार के पास इत्तला आई और हर सम्भव प्रयत्न किये हैं और आइन्दा भी पिलानी का ही सवाल नहीं, किसी भी नगरपालिका का सवाल आयेगा तो वाजिब एक्शन लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

११. ५०. म. पू.

विभिन्न समितियों हेतु सदस्यों का निर्वाचन

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि नियम १८३ के अन्तर्गत जनलेखा समिति (१९६०–६१) के लिए श्री हरिदेव जोशी तथा प्राक्कलन समिति (१९६०–६१) के लिए श्री भोलानाथ सभापति नियुक्त किये गये हैं।

(हर्षोल्लास)

जनलेखा समिति, १९६०-६१ व प्राक्कलन समिति, १९६०–६१ का कार्यकाल दिनांक १४ मई, १९६० से प्रारम्भ होगा।

(श्री अध्यक्ष)

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली २४५, २२७, २३६ एवं २३४ के अन्तर्गत निम्नांकित समितियां मनोनीत की गई हैं :

आश्वासन समिति

(१) श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी, चेयरमैन
(२) श्रीमती गोरी पूनिया,
(३) श्री मोहरसिंह,
(४) श्री जेठमल बरवड़,
(५) श्री मोगजीभाई।

इस समिति का कार्यकाल दिनांक १८ मई, १६६० से प्रारम्भ होगा।

याचिका समिति

(१) राव श्री नारायणसिंह (मसूदा) चेयरमैन
(२) श्री शंकरलाल,
(३) श्री श्रीनिवास शारदा,
(४) श्री हरिकिशन,
(५) श्री अर्जनदास,
(६) रावल श्री नरेन्द्रसिंह,
(७) श्री शिवचरणदास,
(८) डॉ० चन्द्रकला,
(९) श्री अब्दुलगफ्फारखां,
(१०) श्री जयचन्द्र मोहिल।

सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन समिति

(१) श्री चन्दनमल वैद चेयरमैन
(२) श्रीमती गंगादेवी डाटा,
(३) श्री सोहनलाल भटनागर,
(४) श्री रघुवीरसिंह,
(५) श्री मोतीलाल,
(६) श्री महेन्द्रसिंह पंवार,
(७) सुश्री कुमारी शन्नोदेवी,
(८) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल,
(९) श्री तेजाराम गहलोत,
(१०) श्री आबिदअली।

इसका कार्यकाल १८ मई, १६६० से प्रारंभ होगा।

विशेषाधिकार समिति

(१) श्री तेजमल बापना,
(२) श्री भैरोंसिंह खेजड़ला,
(३) श्री बृजमोहनलाल शर्मा,
(४) श्री तेजपाल,
(५) श्री नाथूराम (बागीडोरा),
(६) श्री मरूपराम परिहार,
(७) श्री रामचन्द्र,
(८) मेजर श्री फतहसिंह,
(९) श्री अनूपसिंह,
(१०) श्री शीशराम ओला।

स्थगन प्रस्ताव

श्री भोलानाथ (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपना स्थगन-प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

श्री अध्यक्ष : आपके स्थगन-प्रस्ताव की सूचना सरकार से मांगी है ।

श्री भोलानाथ : कब तक दे दी जावेगी ?

श्री अध्यक्ष : शीघ्र दे दी जावेगी ।

श्री भोलानाथ : असेम्बली के एडजोर्न होने से पहले ?

श्री अध्यक्ष : Yes.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ में रेप केस हुआ, इसके बारे में क्या हुआ ?

एक माननीय सदस्य : आपने बात तो यहां बता दी, फिर क्या कॉन्फीडेन्शियल बात रही ?

श्री अध्यक्ष : इस बारे में माननीय सदस्य को उत्तर भेज दिया गया है ।

प्राक्कलन समिति, १६५६–६० के १४वें व १५वें प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री भोलानाथ (सभापति, प्राक्कलन समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति के १६५६–६० के निम्नांकित विभागों से सम्बन्धित १४वें व १५वें प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :

(१) सहकारिता विभाग ।

(२) खनिज एवं भूगर्भ विभाग ।

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १६६०

(अग्रेतर खण्डश: विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान पंचायत (एमेंडमेंट) बिल, १६६० ।

(विराम)

क्लॉज़ ४६, श्री दयाकृष्ण विजय

(अनुपस्थित)

एक माननीय सदस्य : क्लॉज़ ४८ का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : डेफर किया गया है ।

एक माननीय सदस्य : कब तक के लिये ?

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : उस मोशन का क्या हुआ जो श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा था ।

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में निर्णय अभी नहीं हुआ है । अभी बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी की बैठक रखी है । सदन को आज तीसरे पहर अवगत कर दिया जावेगा कि क्या स्थिति है ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी हाउस के रूलिंग को ओवर रूल नहीं कर सकती ।

श्री अध्यक्ष : The position as at present is as elaborated by the House yesterday.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): क्लॉज़ ३८ डेफर हो गया है इसलिये जो जो क्लॉज़ उससे प्रभावित होते हैं वे सारे ही डेफर कर दिये जावें।

श्री अध्यक्ष : That is for the Government to look and move.

श्री भैरोंसिंह : कोई एमेंडमेंट एक्सेप्ट हो जावे जिसका सम्बन्ध ३८ से हो, इस लिये जितने भी इससे सम्बन्धित क्लॉजेज़ हैं वे डेफर कर दिये जावें।

श्री अध्यक्ष : सरकार इस सम्बन्ध में जागरूक है और ऐसा नहीं करेगी।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : मैं यह चाहता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय यह कह क्यों नहीं देते ?

श्री अध्यक्ष : उनका यही मतलब है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री) : कोई दुबारा आवेगा तो ध्यान रखा जाएगा।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले भी म्युनिसिपल एक्ट में एमेंडमेंट पास किया गया और जब समय आया तो उन्होंने हाउस को उसके लिये बाउन्ड डाउन कर दिया। इसलिये ३८ के रिलेवेन्ट क्लॉजेज़ हैं उनके लिये माननीय मन्त्री कह क्यों नहीं देते ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमें मालूम है कि इसका असर किन किन पर पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : आप कह रहे हैं वही स्थिति है।

श्री श्रीभानसिंह : यह हर एक क्लॉज़ की है....

श्री अध्यक्ष : जिन क्लॉजेज़ पर धारा ३८ का प्रभाव पड़ेगा, उनको सारे को डेफर कर दिया जावे।

[खण्ड ४६ पर निम्न सदस्यों के संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुये :

श्री शंकरलाल :—

78. (1) In section 65 B sought to be inserted, substitute the words 'Zila Parishad' for the words 'State Government' occurring in sub-section (1).

(2) Delete the words 'and the decision of the State Government thereon shall be final' occurring in sub-section. (2).

(3) A new sub-section (3) be added as under :—

"(3) Any person aggrieved by the decision of the Zila Parishad may appeal within ninety days from the date of the decision to the State Government and the decision of the State Government thereon shall be final."

श्री पी० के० चौरधी :—

79. Delete new section 65C sought to be inserted in the principal Act.]

श्री शंकरलाल (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल के क्लॉज़ ४६ में जो

Page No.32

(श्री शंकरलाल)

धारा ६५ बी जोड़ी गई है उसके लिये मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है। यह जो क्लॉज़ है यह पंचायतों द्वारा टैक्स लगाये जायेंगे और उन टैक्स लगाने के बाद में अपील के प्रावधान के सम्बन्ध में है। अध्यक्ष महोदय, आपने राजस्थान पंचायत एक्ट, १६५३ के अन्तर्गत जो भी पंचायतों को कर लगाने का प्रावधान रखा है जहां तक मुझे स्मरण है उस कर को लगाने के ३० दिन के बाद में तहसील पंचायत में कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति पेश कर सकता है। तो जो पंचायतें टैक्स लगाती हैं उसके लिये पुराने एक्ट में आपत्ति पेश करने का प्रावधान तो रूल्स में था और अब जो प्रावधान है वह यह है कि इस बिल के द्वारा जो टैक्स पंचायतें लगावेंगी उसके लिये अपील करने का प्रावधान सरकार के पास सीधा रहेगा। अध्यक्ष महोदय, पहले पंचायतों के मामलों में तहसील पंचायतों के पास जा सकते थे। अब न तो तहसील पंचायतों के पास न जिला परिषद के पास जा सकते हैं। अब तो आपने रखा है कि सरकार के सामने सीधा जावेगा। इस बात का प्रावधान रखा है। इसमें यह है कि "Any person aggrieved by the assessment, levy or imposition of any tax or fees under this Act may appeal therefrom to the State Government." तो अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें यह संशोधन रखा है कि यह जो टैक्सों की अपील का प्रावधान है वह सीधा सरकार के समक्ष न रह कर जिला परिषदों के पास अपील का प्रावधान रहना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, जिला परिषदों को यह प्रावधान दिया जावे या नहीं, लेकिन जहां तक मैंने माननीय मंत्री महोदय के भाषण को कल या परसों सुना, तो उसमें जिला परिषद के बारे में माननीय मंत्री की ओर से ऐसा जाहिर हुआ और सरकार की राय तो मैं समझता हूं कि शायद वे इस राय को रीपीट करेंगे; इसलिये मैं अपने विचार सदन में रखना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि जिला परिषदों को अधिकार देने के पक्ष में वे नहीं हैं। हम यह चाहते हैं कि पंचायतें और पंचायत समितियों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिये जावें और उनकी राय में कि यह एक लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण है और पंचायतें और पंचायत समितियों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिये जावें और जिला परिषदों को नहीं दिये जावें। अध्यक्ष महोदय, जितने भी एमेंडमेंट सदन में आये हैं वे पंचायत और पंचायत समितियों से अधिकार लेकर जिला परिषद को देने के विपक्ष में नहीं आये हैं लेकिन वे एमेंडमेन्ट इसलिए आये हैं कि सरकार जो अधिकार अपने में लेना चाहती है वे अधिकार जिला परिषद को दिये जावें; इस सम्बन्ध में आये हैं। इसलिये यह कहना कि पंचायत समिति और पंचायतों को अधिकार देना चाहिये, इसके लिये माननीय सदस्यों को आपत्ति नहीं और न मेरी कोई आपत्ति है कि आप पंचायतों और पंचायत समितियों को अधिकार क्यों देते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जो अधिकार अपने पास रखना चाहती है और एक तरफ यह कहती है कि विकेन्द्रीयकरण हो, तो ऐसी हालत में जिला स्तर पर जो बड़ी है तो सरकार को जो अधिकार हैं वे जिला परिषद को देने की बात है। उस सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव आये थे। अध्यक्ष महोदय, जहां नोमिनेशन का प्रश्न और कोऑप्शन के प्रश्न के बारे में तो सरकार यह कहे यह

(श्री शंकरलाल)

पॉवर सीधा हमारे पास रहना चाहिये। सरकार यह कहती है कि जिला परिषद् तो एक प्रकार की एडवाइज़री बॉडी की तरह से रहनी चाहिये। फिर आप कौनसे मामलों में एडवाइज़ लेना चाहते हैं ? जहां नोमिनेशन का सवाल आता है, सिविल-क्रिमिनल पॉवर्स का सवाल आता है वहां भी सरकार खुदा करना चाहती है। एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने का सवाल आता है वहां भी सरकार खुद करना चाहती है, जिला परिषद् से सरकार सलाह लेने के लिए तैयार नहीं है। फिर यह जो जिला परिषद् बॉडी है सरकार किस तरह, से उसके अस्तित्व को जस्टिफाई करती है कि आखिर में कोई जिला परिषद् बॉडी है क्या ? अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस लोकतन्त्रीय प्रणाली में पंचायत और पंचायत समिति के बाद जिला परिषद् की बॉडी आती है। जहां तक मैं समझता हूँ वह एक बहुत इम्पोर्टेन्ट बॉडी है। मैं उसके कॉन्स्टिट्युशन के लिहाज़ से निवेदन करूंगा कि जिला परिषद् में इस सदन के माननीय सदस्य होते हैं, पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, लोक सभा के सदस्य होते हैं, जिले का कलेक्टर होता है और आर. ए. एस. केडर का असिस्टेन्ट कलेक्टर उस जिला परिषद् का सेक्रेटरी होता है। जिला परिषद् एक ऐसी बॉडी बनाई गई है कि जिसमें सब ही इम्पोर्टेन्ट आदमी हैं जिनके प्रति किसी प्रकार की बात नहीं कही जा सकती है; हालांकि पंचायत समिति के बारे में आपत्ति हो सकती है क्योंकि उसके यदि कॉन्स्टिट्युशन को देखें तो पंचायतों के सरपंच पंचायत समितियों में होते हैं, पंचायतों के फैसले होते हैं। यह अवश्य हो सकता है कि जिन पंचायतों के सरपंच पंचायत समिति में बैठते हैं उस वक्त में पक्षपात और उनके प्रभाव की गुन्जाइश रहे लेकिन जिला परिषद् का जहां सवाल आता है जिसमें सीधा सरपंचों से चुनने का सवाल नहीं है लेकिन अन्य इम्पोर्टेन्ट सदस्य इसमें होते हैं, यही एक ऐसी बॉडी है जो निष्प्रभावित रह सकती है। एक एम. एल. ए. मिनिस्टर रह सकता है, गवर्नमेंट फोर्म करके गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पास कर सकता है, उसमें पार्लियामेन्ट के मेम्बर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के मेम्बर्स आते हैं उस बॉडी को न तो एग्ज़ीक्युटिव के, न एडमिनिस्ट्रेटिव के व न और भी कुछ पॉवर्स देना चाहते फिर इस नाम मात्र की बॉडी जिला परिषद् को विकेन्द्रीकरण के नाम से क्यों रखना चाहते हैं? इसका कॉन्स्टिट्युशन अच्छा है। उसके लिए कहते हैं कि सलाहकार रखें इसको लेकिन इसको कोई अधिकार नहीं देना चाहते। अधिकार का ही प्रश्न नहीं है। हम चाहते हैं कि इसका सुपरविज़न रहे, यह पंचायत समितियों को गाइड करे। मुझे इस बात का उदाहरण मालूम है कि एक जगह पंचायत समिति का बजट जिला परिषद् में आता है, जिला परिषद् अपनी राय देकर उस बजट को वापिस पंचायत समिति को लौटा देती है। उसको यह अधिकार नहीं दिया गया है कि उसको कैंसिल कर के रद्द कर दे। वह तो केवल राय देकर लौटा सकती है। पंचायत समिति की यह इच्छा पर है कि उसकी राय को वह माने या न माने। एक पंचायत समिति का उदाहरण है कि वहां पर एक विकास खंड में डुप्लीकेटर मौजूद था। जब पंचायत समिति का बजट बनता है तो और नया डुप्लीकेटर खरीदने के लिए प्रोविज़न रखते हैं। जब जिला परिषद् के पास बजट जाता है तो जिला परिषद् कहती

Page No.34

(श्री शंकरलाल)

है कि पहले ही से डुप्लीकेटर है तो नया प्रावधान क्यों रखा गया है ? उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा है, अधिकार है, आप राय दे दीजिये, हम उसको नहीं मानेंगे। जिला परिषद् की सलाह मानने के लिए कुछ नहीं है । इस तरह से जिला परिषद् के जो सदस्य हैं, विधान सभा के सदस्य हैं, पार्लियामेंट के सदस्य हैं, कलेक्टर हैं, असिस्टेन्ट कलेक्टर की ग्रेड का सेक्रेटरी है, उनको जिला परिषद् में रख कर फिर इसका क्यों उपहास किया जाता है ? सलाह देने वाली बॉडी है तो सलाह मानना और मनाने का कोई प्रावधान क्यों नहीं हो ? इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण में जिला परिषद् एक ऐसी इम्पोर्टेन्ट बॉडी है, ऐसी इम्पोर्टेन्ट बॉडी को प्रशासन के मामलों में अधिकार देने पड़ेंगे, अधिकार नहीं देते हैं तो फिर उसका पंचायत और पंचायत समितियों पर कोई कन्ट्रोल नहीं रहेगा। पंचायत समितियां पंचायतों का कन्ट्रोल नहीं कर सकती क्योंकि पंचायतों से ही पंचायत समिति का फोर्मेशन हुआ है । कन्ट्रोल यदि उन पर केवल कोई बॉडी रख सकती है तो वह जिला परिषद् ही है। जिला परिषद् को तथ्यहीन, पॉवरहीन बॉडी बनाना चाहते हैं, अस्तित्व-हीन उसको रखना चाहते हैं । इसीलिए मैंने अमेंडमेंट रखा है ।

टैक्स का मामला है। पंचायत कोई टैक्स लगाये, वह पंचायत द्वारा लगाया टैक्स उपयुक्त है या नहीं ? उसकी अपील पंचायत समिति में हो। आपत्ति हो सकती है, पंचायत समिति में पंचायत का सरपंच हो तो अपील नहीं मानी जावेगी, इसलिए सरकार के पास अपील रखी गई है। यदि पंचायत ने छोटा सा टैक्स लगाया, किसी को आपत्ति है तो वह सरकार के पास दौड़ा आवे, सरकार उसको सुने और सरकार रेकॉर्ड मंगवा कर जांच करे । अध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं आता कि जब सरकार के पास कोई जांच करने का माप-दंड नहीं है ठीक प्रकार से, कोई जांच का तरीका नहीं है, यह उस एरिया के हिसाब से लगाया गया टैक्स वाजिब है या गैर वाजिब है उसके हालात उसके पास पूरे नहीं हैं, अलग अलग पंचायतों में अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं और अलग अलग तरीके के टैक्स वाजिब और गैर वाजिब हो सकते हैं, एक प्रकार का टैक्स किसी जिले में वाजिब है या नहीं यह वहां की जिला परिषद् ही कह सकती है, सरकार नहीं कह सकती है। सरकार को नहीं मालूम है कि यह टैक्स वहां के लोगों के लिए ठीक होगा या नहीं। सरकार कहेगी कि जिला परिषद् से बाद में राय ले लेंगे । लेकिन राय देने का प्रावधान नहीं है। कोई टैक्स लगाया, गलत हो या सलत हो, जिला परिषद् के पास उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, सरकार करेगी। वह केवल आर्गुमेंट्स सुनेगी और फैसला करेगी। अध्यक्ष महोदय, यह इम्प्रेक्टिकेबल है । यह कार्य जनता की सुविधा के लिए, जनता के हित में और लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण की प्रणाली, इन तीनों के ही विपरीत पड़ता है । सरकार हर बात में क्यों अपने पास अधिकार रखना चाहती है? हर बात में कहती है, चाहे रिविज़न का मामला हो, पंचायत और पंचायत समितियों के मामले हों, कलेक्टर का रिविज़न हो, सरकार अपने पास अधिकार रखना चाहती है, सरकार जिला परिषद् को अधिकार नहीं देना चाहती है। फिर किस काम की है वह जिला परिषद्? कानून का प्रश्न

Page No.35

(श्री शंकरलाल)

इतना पेचीदा नहीं है । उसकी जानकारी दें, इसमें जिला परिषद् को क्यों नहीं रखा जाता ? अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सरकार का अनुभव है, जहां पंचायत और पंचायत समितियों के वाद–विवाद आवेंगे, सरकार को मालूम होगा कि पंचायत समितियां पंचायतों के साथ निष्पक्ष नहीं रह सकती हैं, वे न्याय नहीं कर सकती। सरकार अपने पास पंचायतों में नोमिनेशन, एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने और रिविजन सुनने के, सब अधिकार ले रहे हैं और ले रही है। यह केन्द्रित करने की सरकार की नीति है, वह घातक सिद्ध होने वाली है और सरकार महसूस करेगी कि ये पॉवर्स जिला परिषद् को देने पड़ेंगे। यदि सरकार विकेन्द्रीकरण की प्रणाली पर चलना चाहती है, सिद्धान्त को स्वीकार करती है तो उसको ये अधिकार जिला परिषद् को देने पड़ेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आगे जाकर सरकार ने यह प्रावधान रखा है कि सरकार अपने अधिकार किसी ऑफिसर इन्चार्ज को दे सकती है। आगे धारा ७० आवेगी। सरकार कहेगी कि धारा ७० के अन्तर्गत कलेक्टर या किसी अधिकारी को अधिकार दे देंगे। सरकार एक ऑफिसर को तो अधिकार दे सकती है ; धारा ७० में, जितने अधिकार सरकार ने लिये हैं, प्रावधान रखा है कि ये जो अधिकार बिल के जरिये से आवेंगे सरकार उनको किसी ऑफिसर इन्चार्ज या कलेक्टर को दे सकेगी; और स्थिति अवश्य आवेगी कि जितने अधिकार सरकार ले रही है वे सारे सरकार काम में नहीं ला सकेगी, जनता के हित और सुविधा की दृष्टि से काम में नहीं ले सकेगी। कलेक्टर और ऑफिसर इन्चार्ज को जब अधिकार दिये जा सकते हैं तो फिर जिला परिषद् को क्यों नहीं दिये जा सकते हैं ? जिला परिषद् में कलेक्टर भी तो एक मेम्बर है, सेक्रेटरी है; वह असिस्टेन्ट कलेक्टर की श्रेणी का है, डेमोक्रेटिक बॉडी है। उनको अधिकार न देकर, अपने पास रख कर फिर उनको ट्रान्सफर करेंगी किसी कलेक्टर या ऑफिसर इन्चार्ज को। तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की जो यह नीति है जिला परिषद् के पास कुछ भी पॉवर्स न रखें, जिनमें विधान सभा के सदस्य भी हैं, पार्लियामेंट के सदस्य भी हैं यदि आप इसको कुछ भी पॉवर्स नहीं देना चाहते हैं तो इसे भंग कर देना चाहिये। आखिर फिर जिला परिषदें किस काम की हैं ? अगर जिला परिषदें रखते हैं तो उनको आप ऐसी बॉडी बनायें ऐसे, अधिकार दें जिससे वे एग्ज़ीक्यूट होकर वे कुछ काम कर सकें। लेकिन इस क्लॉज़ में जो सरकार की नीति है वह गलत नीति है। यह बड़ा गंभीर मामला है, माननीय मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे। आखिर वे इस बात को सोचते हैं कि किस प्रकार की नीति जिला परिषद् के मामले में अपनानी है, वर्ना जो विकेन्द्रीकरण हमने किया है वह एक प्रकार से विकेन्द्रीकरण न होकर उसको केन्द्रीकरण कहें तो ज्यादा उचित होगा। उसके आगे जाकर आखिर हमें पछताना पड़ेगा, इस गलत नीति के नतीजे हमारे सामने आयेंगे; इसीलिये मैंने नीति की दृष्टि से यह संशोधन रखा है। आखिर हमें जिला परिषदों को भी कुछ न कुछ अधिकार देने चाहिये। यही निवेदन कर माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे मेरे इस संशोधन के प्रति

(श्री शंकरलाल)

सहमति प्रगट करेंगे और माननीय मन्त्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अमेंडमेंट इस प्रकार है :

" Delete new section 65C sought to be inserted in the principal Act. "

प्रिन्सिपल एक्ट के अन्दर न्यू क्लॉज़ एड करने का है उसको डिलीट करने का प्रस्ताव है। ६५ सी में कहा गया है :

" The State Government may suspend the levy or imposition of any tax or fee and may at any time rescind suspension. "

अध्यक्ष महोदय, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार दिया जाता है कि वह किसी लेवी को सस्पेन्ड कर सकती है। मैं समझता हूं, मेरा जो अमेंडमेंट है वह स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार देने के खिलाफ है। मैं नहीं चाहता कि स्टेट गवर्नमेंट के पास इस प्रकार के प्रावधान रखने की जरूरत हो। जहां तक लोकल बॉडीज़ द्वारा टैक्स लगाने का सवाल है वे आसानी से इम्पोज़ नहीं करती हैं। बलवन्तराय मेहता कमेटी ने भी यह राय दी थी कि इन पंचायतों के सक्सेसफुल वर्किंग के लिए काफी फण्ड्स मिलने चाहिये। इसलिये सिफारिश की थी कि उनको कम्पल्सरी टैक्सेज़ बता दिये जायं, उनके लिये मिनिमम रेट ऑफ टैक्सेशन मेंडेटरी बना दिये जायं। It is the minimum rate atleast that that much tax they can impose. जिससे उनको सफीशियेन्ट फण्ड मिल सके।

एक तरफ इस प्रकार का ट्रेन्ड है, जो पंचायतें हैं वे कम से कम टैक्स इम्पोज करना चाहती हैं, नये टैक्स जहां तक हो सकते हैं; as far as possible they avoid imposition of tax.

अब ऐसी हालत में यह वस्तुस्थिति है कि जिन पंचायतों द्वारा कोई टैक्स इम्पोज़ करते हैं वैसी हालत में इस प्रकार की लेवी को सस्पेन्ड करने की स्टेट गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ गई ? मैं समझता हूं कि पंचायत और पंच जो हैं वे टैक्स इम्पोज़ करते हैं, इतना खयाल तो जरूर रखते हैं कि वह टैक्स किसी प्रकार से भी डिस्क्रिमिनेटरी न हो जिससे पंचायत एरिया में रहने वाले लोगों में किसी प्रकार का डिस्सेटिसफेक्शन क्रिएट न हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही टैक्स इम्पोज़ करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या परिस्थिति प्रिवेल हो जाय, जिसके कारण आप इस प्रकार का प्रावधान रखना चाहते हैं, लेवी ऑफ टैक्सेज़ का सस्पेन्शन करना चाहते हैं ? सिवाय कुछ वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोगों को प्रोटेक्शन देने के और क्या आधार इसमें हो सकता है ? मान लीजिये कोई ऐसा टैक्स लगा दिया जिससे कुछ वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोगों को नुकसान हुआ तो वे क्या करेंगे ? स्टेट गवर्नमेंट के पास एप्रोच करेंगे कि इस टैक्स की लेवी को ससपेन्ड किया जाय। इसके सिवाय तो और कोईपरिस्थिति मुझे नजर नहीं आती। मैं समझता हूं, आज पोजीशन ऐसी है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, पब्लिक वर्क्स के लिये यह ज्यादा जरूरी होगा कि वे पंचायतों को पर्सुएड

(श्री पी० के० चौधरी)

करें; to impose more taxes, to take more items of taxation. यह पर्सुएड करना जरूरी हो गया। लेकिन खुद-ब-खुद टैक्स इम्पोज़ करें और उस टैक्स को सस्पेन्शन करने की आवश्यकता पड़े, इससे तो केवल वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोगों को ही फायदा मिल सकता है। Half a dozen of people, a dozen of people in the village can approach the Government; यानि टैक्स मेरे खिलाफ जाता है, बनिये के खिलाफ जाता है, मनीलैन्डर के खिलाफ जाता है; चूंकि मनीलैन्डर के विषय में हमने अभी तक कोई कानून तो बनाया नहीं है इसलिये इन पर किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं है हालांकि इस सम्बन्ध में बिल ड्राफ्ट हुआ था, लेकिन इस बारे में कोई बिल पास नहीं हुआ। कुछ पंचायतें सोच रही हैं इन पर टैक्स लगाने की बात। They have got long arms. इस प्रकार के टैक्स लेवी को ससपेन्ड कर सकते हैं। सिवाय उस प्रावधान में वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोगों को प्रोटेक्शन मिलने के और स्टेट गवर्नमेंट को या किसी को कोई फायदा नहीं है।

दूसरा हमारे सामने सवाल यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के रिसोर्सेज़ को इसमें टेप करने का सवाल है। थर्ड इयर प्लान में विलेजेज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन हो, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सिलसिला चल रहा है। उसके अनुसार पंचायत सर्किल अपने यहां के प्लान के लिये कितने रिसोर्सेज़ अवेलेबल कर सकते हैं और दूसरा सरकार उनको कितनी मदद दे सकती है, इस प्रकार की बातें चल रही हैं कि पंचायतें अपने सर्किल का प्लान बना कर भेजें। उस प्लान में गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन और हर पंचायत का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, वह भी बताना पड़ेगा। यहां कॉन्ट्रीब्यूशन श्रमदान के रूप में नहीं होगा, होगा तो भी बहुत कम होगा। लेकिन जो आधार रखा गया है वह यह कि पांच सालों में पंचायत क्या क्या रिसोर्सेज़ अपने यहां के विकास के लिये इकठ्ठा कर सकती हैं? किस प्रकार की योजना थर्ड प्लान के लिये बना कर देती हैं? इस प्रकार से पंचायत जो हैं वे ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा कर थर्ड प्लान के अन्दर विकास के काम को पूरा कर सकती हैं। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि लेवी ऑफ टैक्सेज़ का जो प्रावधान है वह रिएक्शनरी है। इससे गवर्नमेंट अफेक्टेड क्लास ऑफ दी सोसाइटी को प्रोटेक्शन देती है। इफेक्टेड क्लास में वेस्टेड इंट्रेस्ट के लोग होते हैं, इसका असर जनता पर बुरा होगा। अध्यक्ष महोदय, पब्लिक पर एडवर्सली इफेक्ट करता है, पब्लिक इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।

पंचायत जो टैक्स इम्पोज़ करेगी that will have the results. मान लीजिये किसी काम के लिये पंचायत ने एक हजार रुपया कलेक्ट किया लेकिन उसका हिसाब जनता को मालूम नहीं पड़ा और वह रकम इधर उधर खाने पीने में खर्च कर दी गई तो गांव के लोग नाराज़ हो जायेंगे। अगर वही हजार रुपया वसूल करके सेनीटरी लेट्रीन्स बना देते हैं तो गांव के लोग बुरा नहीं मानेंगे और लोग खुशी से टैक्स देंगे।

इस हालत में, मैं समझता हूं कि यह लेवी सस्पेंड करने का प्रावधान रखना ही गलत है।

(श्री पी० के० चौधरी)

दूसरी बात, इस क्लॉज के फर्स्ट पार्ट में ६५ डी का प्रावधान है । मैं इसको सपोर्ट करता हूं । पर उन माननीय सदस्य के इस प्रस्ताव का कि जिला परिषद् को अधिकार दिया जावे, मैं विरोध करता हूं । मैं समझता हूं कि इसमें टैक्स के असेसमेंट का सवाल है । तो इसकी टैक्निकोलिटी को समझने के लिये पर्याप्त स्टाफ जिला परिषद् के पास नहीं है, सरकार के पास ही इसका पूरा स्टाफ है । तो इसलिये असेसमेंट की अपील सरकार के पास ही जानी चाहिये । गवर्नमेंट के पास काफी इसके एक्सपर्ट हैं जो इसमें स्पेश्य-लाइज्ड़ हैं; तो उन्हीं से रिअसेस करवा कर उस अपील को उन्हीं से डिसपोज़ ऑफ कराना चाहिये। तो इसका मैं विरोध करता हूं, पर ६५ बी जैसा है वैसा रहे । मैं मानता हूं मंत्री महोदय ६५ सी को डिलीट करने की बात स्वीकार करेंगे ।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज में जो संशोधन है कि जिला परिषद् को असेसमेंट की अपील सुनने का पॉवर दिया जाय और इसके बाद गवर्न-मेंट के पास आवे, इसका मैं समर्थन करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष, यह सही बात है कि हमने जनता को सुविधा देने का सिद्धान्त माना है और इसीलिये चाहा है कि जनता के चुने हुए नुमाइंदों के मार्फत उनको सुविधा मिले और असुविधाएं भी दूर करने के लिये कदम उठावें । इस दृष्टि से हमने पंचायत समिति को बहुत से पॉवर्स दिये हैं । तो इसी तरह जिला परिषद् को भी हम अपील सुनने का अधिकार देंगे तो वह फंक्शन अच्छी तरह करेगी । पार्टी आसानी से जिला परिषद् में अपना मामला रख सकेगी । और पंचायत समिति के द्वारा जिला परिषद् अच्छी तरह छानबीन करके फैसला भी दे सकेगी, इस पर पी पार्टी को संतोष न हो तो ऊपर सरकार के पास जा सकता है । अब डाइरेक्ट सरकार के पास जावेंगे तो सात हजार पंचायतें हैं उन सबकी अपीलें सरकार के पास होंगी, सरकार को भी मुश्किल होगी और जनता को भी और सरकार जल्दी सब का फैसला नहीं कर पावेगी । लोगों को इससे वही कष्ट होंगे । इसलिये इसके अंदर जिला स्तर पर भी अपील का प्रोवीजन रहे तो अच्छा रहेगा ।

फिर जिला परिषद् में एम. एल. ए. बैठते हैं, उनके प्रधान बैठते हैं, एम. पी. बैठते हैं, कलेक्टर बैठते हैं तो वे अच्छी तरह से छानबीन करके निर्णय कर सकेंगे । इसलिये मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं । इसमें सरकार को भी खर्चा कम होगा, अधिक फाइलों की संख्या भी नहीं बढ़ानी पड़ेगी, सरकार के पास और काम भी बहुत हैं तो उनमें भी वह अधिक समय दे सकेगी ।

दूसरा संशोधन फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य का है । उसका मैं विरोध करता हूं । अगर सरकार के हाथ में अधिकार नहीं होगा तो किसी भी तरह ट्रेड-कॉमर्स के चलाने में सहूलियत नहीं होगी, काफी दिक्कत हो सकती है । उदाहरण के रूप में किसी पंचायत ने टैक्स लगा दिया, चुंगी लगा दी, म्युनिसिपैलिटी ने भी लगा दी और पंचायत समिति ने भी लगा दी । अब मेन मार्केट से माल आवेगा और उसके बाद तहसील पंचायत में और फिर पंचायत

(श्री मोतीलाल)

में। अगर पंचायत में भी चुंगी लगी तो वहां की मंडी तो खत्म हो जावेगी। लोग पास की पंचायत समिति से माल ले आवेंगे, वहां का महंगा माल क्यों खरीदेंगे ? क्योंकि अगर टैक्स बढ़ा तो माल महंगा होगा ही, वह टैक्स तो दूकानदार ग्राहक से ही वसूल करेगा। मैं उदाहरण दूं, केकड़ी की मंडी है और अजमेर की मंडी है। अजमेर से माल चला वहां चुंगी लगी, केकड़ी में आया, वहां भी चुंगी लगी तो यहां तक तो चुंगी का बोझ लोग सहन कर लेंगे क्योंकि अजमेर केकड़ी दूर दूर है पर वहां से चल कर अगर पंचायत में माल आया और वहां टैक्स लगा दिया तो लोग वहां से क्यों खरीदेंगे ? उनको केकड़ी से लाने में सहूलियत रहेगी, वे वहीं से ले आवेंगे और इसका परिणाम यह होगा कि वहां पंचायत की मंडी खत्म हो जावेगी। तो इस तरह से ग्राम पंचायत में टैक्स लगाना ठीक नहीं रहता। एक एक आना और एक एक पैसे का भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर हजार रुपये का माल खरीदा तो हजार आने का अन्तर पड़ता है। तो इस दृष्टि से नया मार्केट का डेवलप होना और पुरानों के मुकाबले में उनका टिकना मुश्किल हो जावेगा।

चम्बल, भाखरा और राजस्थान केनाल में आप मंडियां स्थापित करना चाहते हैं, उनको डेवलप करना चाहते हैं। वहां अगर आपने शुरू शुरू में टैक्स लगा दिया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ जावेगा और मंडियों को पनपने में कठिनाई आ सकती है। इसलिये यह अधिकार सरकार के पास रहना चाहिये। तो जहां तक सवाल है सैक्शन ६५ सी का, जो फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि रहना चाहिये नहीं तो यह ठीक नहीं है।

अब पंचायतों के लिये कभी तो यह कहा जाता है कि ये अच्छा काम करती हैं और कभी कहें कि नहीं वे अच्छा काम नहीं कर सकतीं, तो एक ही पंचायत के फंक्शन के बारे में दो तरह की राय देना अच्छा नहीं लगता।

अब नये टैक्स लगाते हैं तो उसको लगाने का, रखने का, सस्पेन्ड करने का जो भी ठीक हो, यह अधिकार सरकार के हाथ में रहना चाहिये। मंडियों को हमें पनपाना है। हमें उन्नति करनी है, ट्रेड और कॉमर्स को हमें देखना है। इससे हमारे प्रान्त की उन्नति होगी। तो इसके लिये सरकार के पास इस तरह के अधिकार होंगे तो सरकार देख सकेगी कि क्या करना चाहिये जिससे ये मंडियां पनप जाएं और किसी तरह की दिक्कत उनमें नहीं आवे। नहीं तो लोगों में यह कम्पीटीशन चलेगा कि यहां भी टैक्स लगाओ और देखा देखी दूसरे को भी टैक्स लगाने की बात सूझेगी और इससे व्यापार को धक्का लगेगा। तो इसलिये इस प्रकार के अधिकार सरकार के पास रहने चाहिये।

इसके बाद अपील की बात है। इसमें भी पहली अपील जिला परिषद् के पास रहे और इसके बाद सरकार के पास आवे; यह मैं चाहता हूँ।

इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से आपकी मार्फत निवेदन करूंगा कि जो संशोधन माननीय सदस्य, रायपुर से आनेवाले हैं उन्होंने रखा है उसको मंजूर कर लें और जो माननीय सदस्य फुलेरा से हैं, उनका संशोधन

Page No.40

(श्री मोतीलाल)

आया है उसको स्वीकार नहीं किया जाय और अच्छा हो कि वे इसे विथ्ड्रॉ कर लें।

श्री अध्यक्ष : श्री फतहसिंह ।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : अध्यक्ष महोदय, जो राज्य सरकार की तरफ से राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक आया है और उसमें जो क्लॉज़ ६५ (बी) का प्रावधान किया गया है उससे अच्छी तरह से प्रकट होता है कि हमारी राज्य सरकार दरअसल में सत्ता का केन्द्रीयकरण करना चाहती है न कि विकेन्द्रीयकरण । इस क्लॉज़ ६५ (बी) में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को टैक्स लगाने संबंधी अगर कोई एतराज़ हो तो उसको एकदम राज्य सरकार को अपील करने का अधिकार होगा । फर्स्ट अपील राज्य सरकार को होगी । इससे यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार सारी शक्ति अपने हाथ में लेना चाहती है। श्रीमान्, दरअसल बात तो यह है कि हम लोगों ने एक ओर तो लोकतंत्रीय संसदीय प्रणाली को अपनाया है । इस लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली में सारे राज्य की सत्ता, सब शक्ति जनता के कुछ चुने हुए व्यक्तियों में जाकर निहित होती है । मंत्रि–मंडल का निर्माण होता है चुनावों के बाद में और सारी शक्तियां उनमें रहती हैं। दूसरी ओर विकेन्द्रीकरण में हम लोग सत्ता को जनता को सौंपना चाहते हैं। इन दोनों प्रणालियों में आपस में विरोधाभास है, इन दोनों में मेल नहीं खाता । यह राज्य सरकार की मौजूदा मनोवृत्ति से अच्छी तरह से प्रकट होता है कि वह सारी शक्ति अपने हाथों में रखना चाहती है । श्रीमान्, एक कोई व्यक्ति है जिसको यदि २० रुपये के टैक्स के संबंध में कोई एतराज़ है और उससे राज्य सरकार यह अपेक्षा करे कि वह जयपुर में आकर राज्य सरकार के सामने अपील करे, यह उचित नहीं है । काफी पैसा उसको खर्च करना पड़ेगा और काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा । इसलिए मैं माननीय सदस्य रायपुर से आने–वालों ने जो संशोधन रखा है कि फर्स्ट अपील जिला परिषद् सुने, उसका समर्थन करता हूं । उस जिला परिषद् में भी अच्छे व्यक्ति होंगे । उसमें राजस्थान विधान सभा के सदस्य भी मेम्बर होंगे, पार्लियामेंट के सदस्य भी उसके मेम्बर होंगे और विकास समितियों के और पंचायत समितियों के सदस्य हैं वे भी उसमें सदस्य होंगे और अच्छे बुद्धिमान् व्यक्ति हमें उनको समझना चाहिए इसलिए मैं उनका समर्थन करता हूं कि प्रथम अपील जिला परिषद् सुने और अगर आवश्यक समझा जाये तो दूसरी अपील हमारी राज्य सरकार सुने । इसलिए श्रीमान्, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो माननीय शंकरलालजी ने संशोधन रखा है उसको स्वीकार किया जाये और श्रीमान्, क्लॉज़ ६५ (सी) के संबंध में मेरा निवेदन है कि जिस तरह से यह हमारे मंत्री महोदय की तरफ से आया है हमें उसी रूप में उसको स्वीकार करना चाहिए । माननीय श्री पी०के० चौधरी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका विरोध करता हूं । आखिर टैक्स लगाया जाता है । पंचायत समितियां टैक्स लगायेंगी, ग्राम पंचायतें टैक्स लगायेंगी और कई मौकों पर ऐसा भी हो सकता है कि टैक्स अनुचित रूप से लगें, ऐसे भी टैक्स लगेंगे जिनसे अनुचित

(मेजर श्री फतेहसिंह)

रूप से जनता का शोषण होगा तो उनको हटाने, उनको सस्पेन्ड करने की किसी न किसी के पास ताकत होनी चाहिए। यह आप कर सकते हैं कि जिला परिषद् को भी इस प्रकार की शक्ति दे सकते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रकार का प्रावधान और इस प्रकार के जो टैक्स लगते हैं जो कि अनुचित होते हैं जिससे जनता का शोषण होता है उनको हटाने की हमारी राज्य सरकार को पॉवर मिलनी चाहिए। इसलिए मैं माननीय पी०के० चौधरी के संशोधन का विरोध करते हुए राज्य सरकार ने जो प्रावधान किया है उसका समर्थन करता हूं और माननीय शंकरलालजी के संशोधन का समर्थन करते हुए मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि जहां तक टैक्स का प्रश्न है पहली अपील जिला परिषद् सुने, इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए और दूसरी अपील राज्य सरकार सुने। श्रीमान्, यह हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह से रेवेन्यू मैटर्स में भी फर्स्ट अपील कमिश्नर सुनता है और दूसरी अपील रेवेन्यू बोर्ड के पास जाती है; इसी तरह से यहां भी फर्स्ट अपील जिला परिषद् सुने और दूसरी अपील राज्य सरकार के पास करने का प्रावधान होना चाहिए और एकदम सीधे राज्य सरकार अपील को सुने उसके संबंध में मुझे एक आपत्ति है। इसका लोग अनुचित रूप से फायदा उठायेंगे। इसमें राजनैतिक दृष्टिकोण भी सामने आ सकता है। हो सकता है कि कोई टैक्स लगाया गया तो उसके लिए अगर किसी को एतराज हुआ तो उसकी सीधी अपील राज्य सरकार के पास जायेगी तो उस व्यक्ति विशेष के ऊपर अहसान करने के लिए यह बहुत सम्भव है कि राज्य सरकार उससे कोई सौदा करे, मंत्री महोदय उससे कुछ सौदा करें और वह उसकी बात को मान लेंगे ताकि आगे जाकर वोट कैचिंग डिवाइस भी हो जाये। इसलिए, श्रीमान्, मैं अर्ज करूंगा कि जिस ढंग से यह मसला हमारे सामने रखा है इसका मैं विरोध करता हूँ। बस मुझे इतना ही कहना है।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, जो धारा ६५(बी) में अपील के पॉवर्स सरकार ने अपने हाथ में लेने के लिए प्रावधान इसमें रखा है उसका मैं विरोध करता हूँ और जो रायपुर से आनेवाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने जो संशोधन रखा है उसका भी मैं विरोध करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पंचायतों को जो हालत है वह हम जानते हैं। जो पंचायत समितियों की हालत है वह भी हम जानते हैं, जिला परिषदों की जो हालत है वह भी हम जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि उसमें एम० पी० भी हैं, एम० एल० ए० भी हैं तो मैं आपके द्वारा उन माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि अभी जिला परिषदों की स्थापना हुई है, अभी उसके फल भी नहीं लगे हैं, पौधे ही हैं लेकिन मीटिंग भी कभी नहीं होती है, कभी होती है और मीटिंग भी होती है तो मैं अर्ज करूं कि जिस समय जिला परिषद का गठन होता है उस समय ही बस एम० पी० जाते हैं, उसके बाद में मुझे बतायें कि कौन से एम० पी० जिला परिषद की मीटिंग में गये ? मैं तो मेरे अनुभव से कह सकता हूं कि एम० पी० आज तक किसी जिला परिषद की मीटिंग में नहीं गए और जिला परिषद क्या पंचायत समिति

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

के लिए भी मैं अर्ज करता हूं कि वहां पर एम० एल० ए० को एसोसियेट मेम्बर रखा गया है तो वह एसोशियेट मेम्बर होने के नाते न तो वोट दे सकते हैं और न ही वह कुछ कह सकते हैं और उनके लिए कहने को तो कह दिया कि आपके अनुभवों से फायदा वहां पहुँचे इसलिए आपको रखा गया है। वहां उनकी बेइज्जती होती है और जिस समय वोट का टाइम होता है तो वे बैठे रहते हैं और उनके लिए कहा जाता है कि एम० एल० ए० भी दर्शकों के रूप में आ गये। जिला परिषदों में तो कहीं कहीं हद हो गई है। जिला परिषदों में तो इतना हो गया है कि पूरे कुटुम्ब में एक दो ही नाबालिग होंगे; नहीं तो सब कुटुम्ब वाले आ गये।

तो मैं, माननीय अध्यक्ष, यह कहूंगा कि एसेसमेंट का सवाल ऐसा है कि आगे किसी पर कोई टैक्स लगाये तो पंचायतों की यह हालत है आजकल कि किसी का मवेशी, ढ़ांढ़ा उजाड़ में चला गया तो लाकर कांजी हौज़ में बूझ दिया और पंचायत में आये सरपंच साहब तो पूछा कि यह ढ़ांढ़ा किसका है ? 'साहब फलाणे का है।' अच्छा, इसके लड़के ने मेरे लड़के को थप्पड़ मार दिया था तो इस पर २१ करो....

श्री संपतराज जैन (अकलेरा) : 'फलाणा' क्या होता है ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : आप चलें मेरे साथ, मैं दृष्टान्त बता दूँ, फाइलें बता दूँ। पंचायत समिति का क्या हाल हो रहा है ! आज मेरे क्षेत्र में देवली पंचायत समिति है उसमें सब-कमेटी से लेकर प्रधान से लेकर प्रमुख तक सब एक ही कुटुम्ब के हैं। जाट भी सरपंच है तो मीणा भी सरपंच है, राजपूत भी सरपंच है और ब्राह्मण भी सरपंच है। एक भी उपसमिति या समिति नहीं है जिसमें प्रधान से पीढ़ियों से रिश्ता नहीं था वे कहते हैं कि मेरी बुआ की ननद की बेटी फलाणां ने परनाई थी तो तेरा-मेरा रिश्ता है। उसको कह कर चेअरमैन कर दिया। यह हाल गुट्टबन्दी का हो रहा है। तो मैं यही एप्रोच करता हूं कि न सरकार ले और न जिला परिषद् को; डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दे दें, ताकि वह निष्पक्ष न्याय करे। मेरा मतलब है कि सरकार करेगी क्या इतनी पॉवर लेकर ? उससे तो सरकार के पास ४-५ वर्ष हो गये ५७ में इलेक्शन हुआ था तथा ५२ के इलेक्शन की मिसालें पड़ी होंगी। अपने अपने फैवरिट होंगे उनको दबा कर बैठ जाते हैं और अपोज़िशन के जीते हुए आते हैं उनके टैक्स को पूछें तो ये पंचायतें खिलाफ हैं, उनको मारना है। इसलिए न अपील के पॉवर सरकार ले, न जिला परिषद को दें। यह आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दे दें।

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) : माननीय अध्यक्ष, धारा ६५ में जो संशोधन क्लॉज़ ४९ के द्वारा श्री शंकरलालजी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज जितने भी कानून हम बनाते हैं उनमें करीब करीब सब ही कानूनों में चाहे किसी भी गति के हों, किसी भी दृष्टि के हों उनमें अपील का प्रोवीज़न रखा जाता है। कल ही इस सदन में अपील के प्रोवीज़न पर काफी बहस हुई है। यह टैक्सेशन का मसला है धारा ६५ में, और उसमें जो

(श्री तेजमल बापना)

संशोधन इस बिल द्वारा प्रस्तुत किया गया है सरकार की ओर से, उसमें किसी भी एसेसमेंट का या उसके खिलाफ किसी भी ऑर्डर की अपील गवर्नमेंट ने अपने पास में रखी है; मैं इसके औचित्य को समझने में कुछ कठिनाई महसूस कर रहा हूं। जब हम विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं और जब नीचे की कोई बॉडी रहती है तो फिर सीधे पंचायत के टैक्सेशन के एसेसमेंट की अपील गवर्नमेंट के पास में लाने की क्या बात है; यह मेरी समझ में नहीं आया है। पंचायत के टैक्सेशन की अपील पंचायत समिति में ले जा सकते हैं। उसमें नहीं तो जिला परिषद् में ले जा सकते हैं। फिर सीधे गवर्नमेंट का यह जो प्रावधान इसमें रखा है एमेंडिंग बिल में वह तो कतई उचित नहीं है।

जहां तक श्री शंकरलालजी के संशोधन प्रश्न का है उसके लिए तो यहां सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हम जिला परिषद् को कोई कार्य सौंपना नहीं चाहते हैं। जिला परिषद् को केवल एडवाइज़री बॉडी के रूप में बनाना चाहते हैं। एडवाइज़री बॉडी के रूप में देखना चाहते हैं। मुझे इसमें भी कोई तथ्य या औचित्य समझ में नहीं आया है। जो जिला परिषद् का निर्माण किया गया है तो कुछ सोच-समझ कर गवर्नमेंट ने किया होगा। आज उसका सेक्रेटरी रहता है, उसका एक बहुत बड़ा दफ्तर रहता है, जिसमें ५, ७, ८, १० बाबू लोग काम करते हैं और मेरे ख्याल से हरेक जिला परिषद् में १,०००)रु० या २,०००) रु० का मासिक खर्चा आज बराबर होता है।

१२. ५५. म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तो यदि इस बॉडी से कोई काम नहीं लेना चाहते हैं तो उस बॉडी को भंग क्यों नहीं कर दिया जाता है? एडवाइज़री बॉडी के रूप में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, कलेक्टर मौजूद हैं। यह जो हैं उसका कार्य कर सकते हैं। जो जिले की बेस्ट इन्टेलीजेन्शिया होती है वह जिला परिषद् के मेम्बर्स होते हैं। जिला परिषद् की कमेटी में जो अच्छे अच्छे छंटे छंटाये उस जिले के व्यक्ति हैं वे आते हैं और काफी संजीदा वह बॉडी होता है। तो पहली अपील इसकी यदि जिला परिषद् के पास रख दी जाय तो जो भी व्यक्ति हैं जिस पर असर होता है उनको काफी फायदा मिलेगा, उनको आर्थिक कठिनाई महसूस नहीं करनी पड़ेगी। वह अपने जिले में पहले पहुँचेगा और जिला परिषद् नहीं सुनती है तो उसके बाद गवर्नमेंट के पास सेकिंण्ड अपील रखी जा सकती है या रिवीज़न के अधिकार गवर्नमेंट के पास में रखे जा सकते हैं। तो आप पहली अपील जिला परिषद् में रखें और जो एमेंडमेंट रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

इसके साथ साथ क्लॉज़ ६५ में जो यह दूसरी धारा है उस पर श्री पी० के० चौधरी ने ६५ सी को डिलीट किये जाने का सुझाव दिया है, मैं उसका विरोध करता हूं, और उसको जो है मैं जरूरी समझता हूं। आज बहुत सी पंचायत टैक्स लगाती हैं। कई तरह के अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार क्षेत्रों में जो आवश्यकताएं हैं वहां भी जिन पर टैक्स लगाया जा सकता है उन पर टैक्स

Page No.44

श्री तेजमल बापना)

लगाने की पंचायतें कोशिश करती हैं। लेकिन फिर भी यह एक रिज़र्विंग क्लॉज़ है कि किसी जगह की पंचायत ज्यादती करती है, कोई टैक्स बिना जरूरत के लगा देती है या जिस नहीं लगाना चाहिए ऐसी चीज़ पर भी लगा देती है तो सरकार को यह देखने का फर्ज है, सरकार को यह देखने का मौका रहता है कि कोई अनुपयुक्त टैक्स लगा दिया गया है तो सरकार उसको सस्पेन्ड कर दे। तो यह रिज़र्वेशन क्लॉज़ पॉवर्स का गवर्नमेंट ने रखा है क्लॉज़ ६५ (सी) उसका और जो (ए) और (बी) में सुझाव जिला परिषद् को अपील करने का दिया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री **रामचन्द्र** (डग–सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत एक्ट के एमेंडिंग क्लॉज़ ४९ के तहत ६५ बी में यह अधिकार दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति पंचायत द्वारा टैक्स लगाये जाने पर एग्रीव्ड है तो उसको अधिकार है कि वह राजस्थान सरकार के सम्मुख अपील प्रस्तुत करे। इसके विरोध में दो संशोधन आये हैं। एक संशोधन के द्वारा यह मांग की गई है कि अपील सुनने का अधिकार पंचायतों को दिया जाय और दूसरे संशोधन के द्वारा यह मांग की गई है कि यह अधिकार जिला परिषद् को दिया जाय। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन दोनों संशोधनों का विरोध करता हूँ और मूल क्लॉज़ ६५ बी का समर्थन करता हूँ। समर्थन करने का मेरा आशय यह है कि राजस्थान सरकार ने ग्राम स्तर पर एक ग्राम राज्य कायम करने के वास्ते पंचायत राज्य के विकेन्द्रीकरण नाम की नई प्रणाली का उद्घाटन किया है और उसकी तहत पंचायतें, पंचायत समितियों और जिला परिषद्, इन तीनों के द्वारा इस पंचायत राज्य को चलाने का काम सुपुर्द किया गया है। इस पंचायत एक्ट के द्वारा यह बताया गया है कि पंचायतें टैक्स लगा सकती हैं और यदि इस टैक्स को लगाने पर किसी को कुछ आपत्ति हो तो उसकी अपील जो है राजस्थान सरकार के सम्मुख कर सकते हैं, यह बिल्कुल वाजिब है। कारण इसका यह है कि विकेन्द्रीकरण के द्वारा ग्राम संस्थाओं को चलाने और ग्राम राज्य की भावना को पूरा करने का कार्य पंचायतों से लेकर पंचायत समितियों और जिला परिषद्, इन तीनों के अधिकार में रखा गया है। इसलिये यदि पंचायत समिति के पास अपील कराई जाय तो उसकी जिम्मेदारी पंचायत समिति और जिला परिषद् तक है। तो जो शख्स जिम्मेदार है और जिसके समर्थन द्वारा पंचायत समिति टैक्स लगा सकती है उसी के सम्मुख यदि अपील की जायगी तो मुझे डर है कि न्याय नहीं किया जायगा। मैं चाहूंगा कि राजस्थान सरकार, जो बिल्कुल इन्डिपेन्डेन्ट बॉडी है और जिसने पंचायत समिति और जिला परिषद् को टैक्स लगाने का अधिकार दिया है उसमें यदि अनियमितताएं बर्ती जाती हैं तो राजस्थान सरकार को अधिकार हो कि अनियमितताओं को दूर करने के लिये अपील सुन सके। जैसे किसी बॉडी ने या उसकी समर्थक बॉडी ने टैक्स लगाया है तो उसका निर्णय उसके साथ की बॉडी नहीं कर सकती। यदि पंचायत ने टैक्स लगा दिया है तो उचित–अनुचित का फैसला पंचायत समिति या जिला परिषद् नहीं कर सकती। सरकार एक स्वतंत्र बॉडी है जिसने पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् को शासन

(श्री रामचन्द्र)

के अधिकार दिये हैं तो वही उनकी अपील सुन सकती है। इसलिये अपील का अधिकार यदि किसी को दिया जाय तो राजस्थान सरकार को ही मिलना चाहिये।

दूसरी बात, इसके आगे धारा ५० या सैक्शन ६६ ए. में बताया है कि यदि किसी पंचायत की आमदनी का स्तर गिरता हुआ नजर आवे, जहां उसकी आमदनी टैक्स से पूरी नहीं हो रही हो तो पंचायत समिति को अधिकार दिया है कि पंचायत को लिख कर टैक्स का स्तर बढ़ावे या आमदनी अधिक करे। तो जिसको आमदनी अधिक करने का अधिकार है वही अपील सुन कर कैसे न्याय करेगी, यह समझ में नहीं आता। पंचायत का सम्बन्ध जिला परिषद् से भी है, इसको भी यदि यह अधिकार दिया तो जिस व्यक्ति को ग्रीवान्स है या जो एग्रीव्ड है उसको न तो पंचायत समिति के सामने और न जिला परिषद् के सामने अपील करने से सन्तोष होगा। सन्तोष तभी हो सकता है जब कि अपील एक स्वतंत्र बॉडी के पास ले जावे और वह बॉडी राज्य सरकार ही हो सकती है। इसलिये मूल धारा का समर्थन करता हुआ मैं कहूंगा कि अपील सुनने का अधिकार राज्य सरकार के पास रहना चाहिये। पंचायत समिति या जिला परिषद् को यह अधिकार हर्गिज़ नहीं देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Minister.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय,....

(श्रीमती गंगादेवी डाटा के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : आप बड़ी देर से उठी हैं। मैंने दो बार उधर देखा।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : She has got the mike adjusted...

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): इनका राइट रिकोग्नाइज़ करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये।

श्रीमती गंगादेवी डाटा (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, आज जो संशोधन बिल चल रहा है उसकी क्लॉज़ ४६ में माननीय सदस्य श्री शंकरलालजी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करती हूं। यह बात ठीक ही है जैसा कि संशोधन में और पूर्व वक्ताओं के वक्तव्य से पता चलता है कि जो पंचायतें हैं उनको टैक्स लगाने का अधिकार दे रहे हैं वे कहां तक उचित या अनुचित लगावेंगी। उनकी कोशिश तो यह होगी कि सही तरीके से टैक्स लगावें लेकिन तब भी कुछ ऐसे अनुभव हैं कि उनको नये नये अधिकार मिलेंगे और नये नये अधिकार मिलते हैं उनके साथ साथ थोड़ी गल्तियें भी हो जाती हैं। यदि गल्तियें हो जायं और उनका ठीक ठीक इलाज भी हो जाय तो वे गल्तियें इतनी अखरती नहीं हैं। यह चीज़ जो सरकार ने अपने हाथ में रखने की बात कही है वह कुछ हद तक ठीक भी हो सकती है। मैं यह समझती हूं कि जैसे सरकार के कागज़ अभी इधर से उधर ढूंढने पर भी महीनों तक देखे जायं तो भी उनका पता नहीं लगता। मैंने भी तजुर्बा किया है, मिनिस्टर साहब तक नहीं पहुँची तो सेक्रेटरी साहब के पास पता लगाया और वहां से दूसरे सेक्रेटरी के पास चली गई, पता नहीं कहां चली गई!

Page No.46

श्री उपाध्यक्ष : क्या मिनिस्टर साहब ने यह कहा कि बता नहीं सकता ?

श्रीमती गंगादेवी डाटा : मिनिस्टर साहब को कन्फ्यूज़न हो जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष: आपने स्त्रीलिंग का उपयोग कर लिया उनके लिये ।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : यह तो चुने हुए सदस्यों के साथ हाल होता है तो गांव के व्यक्ति हैं उनके साथ कैसी हालत बीतती होगी, यह मैं कई दफा महसूस करती हूं। पहले तो वे जयपुर में आकर ही चकाचौंध हो जायेंगे और फिर घूमते रहेंगे तब भी पता नहीं लगेगा। इसलिये उनकी अपील जिलों में रहे। जिला परिषद् सुने, यह बात कहते हुए मैं हिचकती हूं। जिला परिषद् को न हो, कलेक्टर को यह अधिकार होना चाहिये। कलेक्टर को यह अधिकार देना मैं इसलिये उचित समझती हूं कि कलेक्टर को सुनने में सुविधा होगी। उनके पास ही जिला परिषद् की मीटिंग वगैरह होगी । इसलिये ज्यादा अच्छा यह है कि अपील की सुनवाई कलेक्टर करे। श्री पी० के० चौधरी साहब ने जो संशोधन रखा है उसका मैं विरोध करती हूं और श्री शंकरलालजी ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद ।

(थपथपाहट)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): मैं पहले....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : आप पहले यह कहिये, "माननीय उपाध्यक्ष" ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष, बात यह है कि इस अपील के सिलसिले में एक बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जब पंचायत समितियां या जिला परिषद् के चुनाव होते हैं तब गांवों के सरपंच इधर से उधर वोट देते हैं, माइनोरिटी और मेजोरिटी का वातावरण पंचायत समिति और जिला परिषद् में पैदा हो जाता है। ऐसी स्थिति में स्टेलमेंट हो जायगा। जैसी प्रगति आप करना चाहते हैं उसके लिये सारी बातों का अधिकार देने के लिये ग्राम पंचायत को एक युनिट मान लिया और उसको कर लगाने का भी अधिकार दिया है। लेकिन कर ठीक तरह से लगाया है या नहीं, उसकी जांच करने का अधिकार ऐसी बॉडी को हो जो पोलिटिक्स से दूर हो और गांव के भले की बात सोच सकती हो, ऐसा एक्सप्रेशन लोगों को मिल सके और ज्यादती को रोका जा सके। लेकिन ज्यादती को रोकने के लिये जिला परिषद् को अधिकार देना ठीक नहीं होगा क्योंकि वे देखेंगे कि फलां सरपंच ने उनको हराने में या जीताने में साथ दिया था। इसलिये वहां की मेजोरिटी को रोकने में या बढ़ावा देने में मदद देना ठीक नहीं होगा। इसलिये मैं थोड़े में ही सरकार का समर्थन करता हूं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रावधान रखा गया है यह किसी विशेष परिस्थिति की वजह से रखा गया है। हमारा जो मौजूदा पंचायत कानून है उसके मुताबिक पंचायत को, किसी प्रकार का टैक्स हो, उस टैक्स को लगाने की पूरी छूट है, बिना किसी सैंक्शन के वह टैक्स लगा सकती है। अब सवाल यह है कि जब टैक्स लगाती है और किसी आदमी को उसके खिलाफ शिकायत है तो उस शिकायत को

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

रखने का प्रावधान रखा जाय या नहीं और अगर रखा जाय, तो ऑथोरिटी किसको दी जाय ? मैं समझता हूं कि इसके लिए ऐसा प्रावधान होना चाहिए और किसी ने गलत टैक्स लगा दिया है तो अपील प्रोवाइड करनी चाहिए। अब सवाल यह है कि अपील कहां हो ? इसमें प्रावधान यह है कि स्टेट गवर्नमेंट को होनी चाहिए। इसके लिए सुझाव यह रखा गया कि जिला परिषद् में होनी चाहिए। यह पंचायत समिति का सवाल है। मैं निवेदन करूंगा कि पंचायत समिति में ग्राम पंचायत के सरपंच होते हैं, इसलिए उसमें जाने का सवाल नहीं होता है। जिला परिषद् और गवर्नमेंट के पास हो, इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि जो शिकायत आती है वह इस तरह की आती है कि जिला परिषद् उस शिकायत का निर्णय नहीं कर सकती। मैं मिसाल के तौर पर निवेदन करूंगा कि एक शिकायत प्राप्त हुई कि सवाई माधोपुर में जो सीमेन्ट फैक्ट्री है, जो सामान वहां बनाया गया उस पर टैक्स लगाया गया। मैं समझता हूं कि सवाई माधोपुर की सीमेन्ट फैक्ट्री म्युनिसिपल एरिया में है और म्युनिसिपैलिटी को डाइरेक्शन देने का अधिकार जिला परिषद् को नहीं है। अगर वह निर्णय ले तो दोनों पार्टियों को मान्य नहीं होगा। तो एक तरफ फैक्ट्री और दूसरी तरफ पंचायत, इन दोनों का मामला गवर्नमेंट के पास आये और गवर्नमेंट उस पर निर्णय करेगी, तो वह दोनों को मान्य होगा। क्योंकि जिला परिषद् का जुरिस्डिक्शन नहीं है। मैं अर्ज करूंगा कि इस कारण से जिला परिषद् को यह ऑथोरिटी देना उपयुक्त नहीं होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने फाइनल दिमाग नहीं बनाया है कि यह हमारे पास ही रहेगा, हम इसे डेलीगेट कर सकते हैं और ऐसा प्रावधान है भी। इसलिए यह जैसा है वैसा इसे पास कर दिया जाय बाद में अगर जरूरत हुई तो डेलीगेट कर दिया जायगा, क्योंकि गवर्नमेंट पॉवर नहीं रखना चाहती है। यह सुपरवीज़न की पॉवर्स हैं। अगर पंचायत में कोई कठिनाई महसूस होती है, पंचायत में झगड़े होते हैं, उसके कारण गवर्नमेंट यह समझे कि अगर कमिश्नर को ऐसी ऑथोरिटी दें तो ठीक है, तो उसको पॉवर डेलीगेट कर दी जायगी। इसलिए इसमें जो प्रावधान है वह ठीक है। मैं निवेदन करूंगा कि जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन रखे हैं वे वापिस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४६ पर जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी और श्री शंकरलाल ने रखे हैं, उनको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज़ ५०.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५० स्वीकार किया जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्लॉज़ ४६ स्वीकार हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : yes. प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४६ विधेयक का अंग बने?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ५०

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : ५० पर बोल रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : बोल लीजिये।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ५० के द्वारा सेक्शन ६६ में एक नया प्रावधान रखा गया है। इस तरह का प्रावधान रखा गया है कि अगर पंचायत समिति देखे कि पंचायत की आमदनी है वह कम है या पंचायत की आमदनी को बढ़ाना है तो इस सम्बन्ध में निर्देश किये जायेंगे, लेकिन इस क्लॉज़ के अन्दर इसका स्पष्टीकरण नहीं है कि इसकी आमदनी किस प्रकार बढ़ेगी। इसमें लिखा है: "The Panchayat Samiti may require the panchayat to take steps within such period not being less than six months." तो ६ महीने के अन्दर अन्दर किस प्रकार कौनसा कदम उठाया जायगा और जिसको पंचायत द्वारा उठाना आवश्यक है, यह बात जब तक स्पष्ट नहीं होती तो इस धारा का किस प्रकार प्रयोग व उपयोग हो सकता है? यानि पंचायत समिति कह सकती है कि इन इन चीजों पर नये टैक्स लगा दो यानि जितने टैक्स का हमने पहले प्रावधान किया है वे सारे तो लगेंगे ही उसके पश्चात् किसी पंचायत की आमदनी उतनी नहीं होती जितनी पंचायत समिति उचित समझती है और यह समझती है कि ये सारे टैक्स लगाने के बाद भी पंचायत की आमदनी ठीक नहीं है तो वह कहेगी कि नई प्रकार की व्यवस्था करे तब आमदनी ठीक हो और कोई इस प्रकार का तरीका न सुझाया जा सके, जिनके द्वारा आमदनी बढ़ सके और जो आमदनी बढ़ाने का एक मार्ग हो सकता है वह है नये टैक्स लगाये जायं, नये टैक्स उन पर लगायें जिनको हमने पहले लिस्ट में रखा है, जिनके ऊपर पंचायत टैक्स लगा सकती है, जिन्हें हमने पंचायत एक्ट के द्वारा स्वीकार किया है, उनके अतिरिक्त और बातों पर पंचायत समिति के कहने के अनुसार पंचायत टैक्स लगायेगी। इसके साथ ही अब तो टैक्स के लिए सरकार से स्वीकृति लेने के लिए प्रावधान रखा है। पहले पंचायत तय करे और उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत होने पर पंचायत टैक्स लगा सकती है। अब आमदनी को ठीक करने के लिए टैक्स लगाये जाते हैं, इसके साथ ही प्रबन्ध आदि करने के लिए भी लगाये जाते हैं। इस क्लॉज़ में जो उप धारा जोड़ी गई है ६६ ए, इसके द्वारा पंचायत समिति को अधिकार दे दिया गया है कि वह मार्ग बता दे और पंचायत उन पर टैक्स लगा दे। अब वह किन किन बातों पर टैक्स होगा, उन पर होना चाहिए या नहीं, उस पर सरकार की कोई राय होगी या नहीं या फिर वह टैक्स कितने समय तक रहेगा, एक बार जब लगा

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

दिया तो उसके बाद में आमदनी ठीक होगी, उसके बाद जो नया टैक्स इस धारा के अन्तर्गत लगाया जायगा, उससे आमदनी बढ़ाई जायगी, वह छोड़ दिया जायगा या नहीं, जो आमदनी बढ़ाने का नया स्त्रोत ढूंढा गया है, वह बन्द कर दिया जायगा या नया स्त्रोत चलता रहेगा, यह स्पष्ट नहीं है। अब इनका उपयोग किस प्रकार होगा ? क्या इनका दुरुपयोग होगा ? इनका दुरुपयोग होने की अधिक सम्भावना है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसका स्पष्टीकरण कर दिया जाय कि इन इन मार्गों, इन इन श्रोतों को पंचायत अपनायेगी, जिनसे आमदनी बढ़ेगी; अन्यथा यह धारा गलत है और इसका दुरुपयोग होगा, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

रावराजा श्री सरदारसिंह(उनियारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह सरकार ने क्लॉज़ ५०, ६६ ए के द्वारा, जहां टैक्स कम हों वहां टैक्स बढ़ाने का प्रावधान किया है, इसका मैं विरोध करता हूँ। मुझे मालूम नहीं होता कि सरकार की ऐसी नीति क्यों हो रही है कि गरीब काश्तकार पर टैक्स बढ़ाती चली जा रही है ? अभी हाल ही में पंचायत अपने टैक्स लगा रही है, पंचायत समिति ने एक आना पर्सेन्ट लगा दिया है, कॉमर्शियल क्रोप पर लगाना अनिवार्य रख दिया है। मेरा अर्ज करने का मतलब है कि इधर उनकी रेंटल इन्कम इतनी बढ़ गई है कि १२ रुपया, १५ रुपया बीघा साल आता है इधर टैक्स इतना बढ़ गया है। मैं आपसे क्या अर्ज करूं, ड्योढ़ा टैक्स हो गया है। अब कहां तक टैक्स ले जायेंगे ? काश्तकार को इस वक्त भावों....

श्री उपाध्यक्ष : सरकार कहां बीच में आती है, पंचायत समिति का प्रश्न है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : भावों का नियंत्रण सरकार करती है। आज सरकार करोड़ों रुपया लगा कर अपनी योजनायें बना रही है। यह कहती है फलाना बनाया, भाखरा बनाया, लेकिन आज मैं कहता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना खतम हो रही है, तृतीय पंचवर्षीय योजना क्रियान्वित होने लगेगी उस पर अरबों रुपया लगेगा, लेकिन मैं आपके द्वारा, माननीय मंत्री महोदय से पूछता हूं कि इतने रुपया लगने के बाद उसका क्या रिटर्न हुआ...

श्री उपाध्यक्ष : क्या मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूं कि आप प्रसंग से बाहर जा रहे हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि काश्तकारों की जो हालत है उसे मंत्री महोदय खुद भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि इतने टैक्स लगा दिये हैं। आखिरकार क्या होगा ? आप देखते हैं कि जानवर होता है, उसको जितना दबाते हैं उतना दबता है लेकिन जब ज्यादा दबाते हैं तो वह गला पकड़ता है। मैं निवेदन करूंगा कि पंचायतों के टैक्स काफी हैं और पंचायत समिति के टैक्स काफी हैं, अब आप इनको कहां तक बढ़ायेंगे ? आप कहते हैं कि इसको देख कर टैक्स बढ़ाये जायेंगे ? मेरा निवेदन है कि जो पहले आपने धारा बनाई है उसे आप रहने दें और साल भर बाद बढ़ाना चाहें तो देख लें। मैं तो कहता हूँ

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

कि राम राज्य तब ही होगा जब टैक्स बिल्कुल नहीं बढायेंगे। जब सरकार टैक्स नहीं लगायेगी तब समझेंगे कि यह सरकार बड़ी अच्छी है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवचरणदास।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ५० के विरोध में अपने विचार प्रकट करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि इसमें यह बताया गया है कि जब पंचायतों का खर्चा चलाने में पंचायत समिति कमी महसूस करे तो उस खर्चे की पूर्ति तक टैक्स बढ़ाने के लिये ६ महीने की अवधि में आज्ञा दे सकती है। इसके लिये मेरा यह निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, कि यों तो हमने पंचायतों और पंचायत समितियों के खर्चे के लिये एक बिल पास किया है जिसमें अधिकार दिये हैं कि टैक्स लगा कर अपना खर्चा चलायें। उस वख्त भी सदन के कई माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया था कि इस प्रकार का टैक्स लगा कर जनता पर टैक्स का भार नहीं बढ़ाया जाय, पर सदन ने उसे पास किया। आज यह क्लॉज़ पास करने जा रहे हैं इससे और भी अधिक भार जनता पर जरूरी बढ़ेगा। यदि किसी पंचायत का खर्चा उससे नहीं चलता है तो फिर टैक्स बढ़ा कर उसकी पूर्ति करना उपयुक्त नहीं होगा। यदि खर्चे की कमी पड़ती है तो सरकार जो हमसे लगान लेती है उसमें से देकर इसकी पूर्ति करे, बजाय इसके कि जनता पर और टैक्स बढ़ाये।

भूमि एकीकरण का बिल हमने थोड़े दिनों पहले पास किया है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक तरफ तो प्रत्येक नागरिक की आमदनी को बढ़ने से रोकना चाहते हैं, सीमित करना चाहते हैं और दूसरी तरफ इस तरह टैक्सेज़ को बढ़ा रहे हैं तो किस तरह जनता जीवित रह सकेगी, किस तरह इस आजादी में निर्वाह कर सकेगी ?

इसलिये इन दोनों बातों को देखते हुए यह भार स्वरूप धारा है, इसको आवश्यक नहीं समझता। पंचायतों के लिये पंचायत समिति को काम पूरा कराना है तो वह सरकार से प्रार्थना करे कि ६ महीने, एक साल के लिये जो लगान सरकार लैंड रेवेन्यू से वसूल करती है, जिसका बहुत थोड़ा भाग पंचायतों को दिया है उसको बढ़ा कर पंचायत विशेष को दे दें तो अच्छा होगा, बनिस्बत इसके कि जनता पर और टैक्स बढ़ाया जाय।

इसलिये माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि नागरिक पहले से ही दबे हुए हैं, उनकी आमदनी को बढ़ाने के रास्ते आप बन्द करते जा रहे हैं, दूसरी तरफ फिर यह भार बढ़ाया तो यह उचित नहीं होगा, इसलिये यह क्लॉज़ हटा दें तो उचित होगा।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, अपनी आमदनी को बढ़ाने का पंचायतों को खुले आम अधिकार दे रहे हैं, यह जनता के साथ न्याय नहीं है। क्या हम जनता को भिखमंगी बना कर चलाना चाहते हैं और इस प्रकार जनता में असंतोष फैलाना चाहते हैं ? इसके बजाय यह कर सकते थे कि जितनी आमदनी राजस्थान सरकार कर लगा कर अपने हाथ में रखती है

(श्री हीराभाई)

उस आमदनी का कुछ हिस्सा पंचायत समितियों, पंचायतों को दे देती तो हम समझते कि सरकार पंचायती राज्य को दिन दिन बढ़ावा दे रही है और भविष्य में हमारी पंचायतें आगे बढ़ेंगी। लेकिन पंचायतों को यह कह कर छोड़ देते हैं कि खर्चे के लिये जरूरत हो तो टैक्स लगा कर आमदनी बढ़ा सकते हो। जरुरत तो हमेशा रहती है, टैक्स किस पर लगे, टैक्स से आमदनी होने वाली है कि नहीं, इसका ध्यान नहीं रखा। यह बता दिया कि टैक्स बढ़ा सकते हो और आखिर में यह कहने का मौका रखा कि हमने तो कानून बनवा दिया था, उसके अनुसार टैक्स नहीं लगाये, इसके लिये सरकार जिम्मेदार नहीं है कि चाहे पंचायत समिति या पंचायत चले या नहीं चले। तो एक तरफ तो पंचायतों को चलाना चाहते हैं और दूसरी तरफ इस तरह की बातें करके पंचायतों के खिलाफ जनता में अविश्वास पैदा करना चाहते हैं, तो यह तो बवन्डर फैलाना है। इस तरह से तो कुछ दिनों बाद लोग पंचायतों से घृणा करेंगे और पंचायत राज को ठुकराने की कोशिश करेंगे। आज से पहले अंग्रेजों का राज्य था। तो वे लोग लोगों के साथ इतनी बुराई करते थे पर अब उनके गुण लोग वापिस गाने लग गये हैं और कहने लग गये हैं कि पंचायती राज हुआ तो हुआ पर इतनी दिक्कतें पैदा हो गई कि जितनी पहले नहीं थीं। अंग्रेज, राजा, महाराजा बेगार लेते थे पर उसको आज कल लोगों ने अच्छा मानना शुरू कर दिया है। इस तरह का भार जनता पर बढ़ाया तो एक दिन ऐसी नौबत आ जायगी कि जनता इससे नफरत करने लगेगी और पंचायत राज को ठुकरायेगी और कहेगी कि पंचायत राज हमारा है, यह छुरी हमारी है, हमने इसे खरीदा है, पर यह छुरी हमारा गला काटती है इसलिये यह बुरी है, इसलिये हम इसको ठुकराते हैं। तो आप दिन दिन टैक्स बढ़ाकर पंचायतों को निकम्मी बनाना चाहते हैं। अपनी आमदनी की वृद्धि करने के लिये पंचायतों को टैक्स बढ़ाने का अधिकार दे रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है, यह अधिकार नहीं देना चाहिये। सरकार के पास रेवेन्यू की आमदनी होती है और दूसरी आमदनी होती है। उसमें से सरकार को हिस्सा देना चाहिये, नहीं तो एक दिन लोग पंचायत राज्य को बुरा मानने लग जायेंगे और इसको खत्म करेंगे। जो बड़े लोग हैं वे तो यही चाहते हैं कि लोग कहें कि पंचायती राज्य बुरा है, यह खत्म होना चाहिये।

तो मन्त्री महोदय या तो इस धारा को बिल्कुल वापिस ले लें, विध्वंस कर दें या कुछ भी कर दें, पंचायतों को टैक्स का अधिकार नहीं दें।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान पंचायत अधिनियम, १९५३ में पंचायतों को निर्माण और विकास के काफी कार्य दिये गये थे। अब जो संशोधन विधेयक पास हो रहा है। इसके शिड्यूल में निर्माण और विकास के और भी अधिक अधिकार पंचायतों को दिये हैं। उन कामों को करने के लिये पैसे की आवश्यकता पड़ती है। यदि वे पूरी तरह राजस्थान सरकार पर ही आधारित रह जाती हैं तो वे कुछ भी नहीं कर सकतीं। राजस्थान पंचायत अधिनियम, १९५३ की धारा ६४ में उन टैक्सेज की सूची दी हुई है जिनको लगाने का अधिकार पंचायतों को दिया है। इन ७ सालों

(श्री सम्पतराज जैन)

में देखा है कि उन अधिकारों को काम में नहीं लिया गया और उचित आमदनी बढ़ाने का जरिया पंचायतों ने नहीं अपनाया। नतीजा यह निकला कि वे सेक्रेटरी और ऑफ़िस के चपरासी तक की तनख्वाह नहीं चुका सकीं, विकास और निर्माण के कार्य करना तो दर किनार वे अपना यह साधारण सा खर्चा भी नहीं चला सकीं। राजस्थान सरकार से जो पैसा मिला उससे थोड़ा बहुत काम कर सकीं। इस १६६० के संशोधन बिल के जरिये कई जिम्मेदारियां, विकास कार्य, निर्माण कार्य, इनको सौंपे हैं तो इन कार्यों को करने के लिये पैसे की काफी आवश्यकता होगी। पंचायत विधेयक में यह जो अधिकार जोड़ा है वह बिल्कुल आवश्यक है ताकि सरकार पंचायतों को कह सके कि आपको अधिकार दिये हैं आमदनी बढ़ाने के उनको काम में लाइये और इन अधिकारों का इस्तेमाल करके आमदनी बढ़ाइये और आपको जो कर्त्तव्य सौंपे हैं उनको पूरा करिये। धारा ६६ ए. नई बढ़ाई है वह वैसी की वैसी पारित की जाय, इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन तो बहुत ही मामूली है। इसमें कोई नये टैक्स लगाने का अधिकार नहीं दिया गया है। पंचायतों को पहले से ही टैक्स लगाने का अधिकार है और उसकी तालिका दी हुई है। इसमें तो पंचायत समितियों को अधिकार दिया गया है कि पंचायतों को आमदनी बढ़ाने के लिए पंचायतों को वह आदेश दे। टैक्स कोई नये नहीं लगेंगे। पंचायत एक्ट में जो टैक्स लगाने का अधिकार दिया हुआ है वही टैक्स हैं। पंचायतें सभी टैक्स नहीं लगाती हैं और उनको रोके रखती हैं और उनको आमदनी की जरूरत रहती है तो पंचायतों का काम आमदनी की कमी से रुका रहता है और विकास के काम करने हैं तो इसके लिए पंचायत समिति भी देखे कि उनकी आमदनी कम न हो और अगर कम होती है तो वह आदेश दे कि फलां टैक्स लगा कर आमदनी बढ़ावें। इसलिये इसमें कोई नई बात नहीं रखी है। पंचायत समिति पंचायतों पर वही जिम्मेदारी डालती है जिसके लिए पहले से प्रावधान है और जब पंचायतों की आर्थिक स्थिति खराब हो तो कहेगी की टैक्स लगावें। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसकी जो मूल धारा है उसके अनुसार ही टैक्सेज़ हैं। इस-लिए इसको पास कर दिया जावे।

एक माननीय सदस्य : मूल एक्ट में अधिकार दिये हैं, उन पर क्या असर होगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पहले मूल एक्ट में पंचायतों को अधिकार दिये हैं वही रहेंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): न्याय पंचायतें और न्याय समितियें हैं वे अलग नहीं लगावेंगी ?

श्री शिवचरणदास (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि जो अधिकार उनको दे रखे हैं उनके लिए पंचायत समिति उनको आदेश देगी। जब आपने उनको अधिकार दे रखे हैं तो फिर आदेश देने की क्या जरूरत है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बराबर पंचायतों की आमदनी कम होते हुए भी पंचायतें टैक्स नहीं लगाती हैं इसलिए पंचायत समिति उन्हें प्रेरणा देगी कि आपको टैक्स लगाने चाहिये।

श्री शिवचरणदास : इसकी भाषा साफ नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५० विधेयक का अंग बने ?

श्री शिवचरणदास : यह स्पष्ट नहीं है ....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने यह वोट पर रख दिया है।

(स्वीकृत)

क्लॉज ५० विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ५१

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५१ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५१ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ५२, श्री हरिभाऊ उपाध्याय।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब हमने क्लॉज़ ३८ को डेफर कर दिया है तो क्या उसका असर इस क्लॉज़ ५२ पर नहीं पड़ेगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि इस पर बहस हो जावे तो माननीय सदस्यों को इस पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिल जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आखिर इसे आपको डेफर करना है।

(विराम)

52 is hereby deferred.

(विराम)

क्लॉजेज़ ५३ से ५५

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ५३,५४ और ५५ विधेयक के अंग बनें ?

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ५३, ५४ और ५५ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ ५६ रावराजा श्री सरदारसिंह।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, जो क्लॉज़ डेफर किये जाते हैं उन पर डिस्केशन्स हो सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने ही तो आपत्ति उठाई थी कि इस पर बहस नहीं की जा सकती है Any how I defer it and the discussion may follow.

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय की भी रूलिंग हो चुकी है कि ३८ से संबन्धित सभी धाराओं को डेफर्ड समझा जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ५६ में मेरा संशोधन इस प्रकार है : "Replace the words 'to be so specified' by the words 'not exceeding six months' in clause (b) of subsection (1) of new section 73 sought to be substituted for section 73 of the principal Act." उपाध्यक्ष महोदय, मैं कभी से बराबर सरकार से यह निवेदन करता चला आ रहा हूं कि इन पंचायतों के साथ इस तरह का खिलवाड़ आप कर रहे हैं, जैसी आज-कल कहावत है कि गांवों में छोटे छोटे लौंडे जिस समय खेला करते हैं तो रेत के किल्ले बनाते हैं और उनको बिगाड़ देते हैं उसी तरह आप पंचायतों के साथ खिलवाड़ करते हैं । आप उनको बनाते हैं और बिगाड़ते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय मंत्री से चाहूंगा कि क्लॉज ५६ की भी स्थिति डेफर करें जैसी है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, जब अमेंडमेंट में मूव हो गया है तो बोल सकते हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरा निवेदन यह है कि जितने अमेंडमेंट आये हैं उन पर माननीय सदस्यों की राय जानने का अवसर मिल जावेगा, बाद में उनको मौका नहीं मिले ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपकी आज्ञा से बोलना पड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा संक्षेप में चलें तो ठीक होगा ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : एक्ट में जो बनाते हैं उसमें समय इसलिये रखते हैं कि कब तक उसको सुपरसीड या डिज़ोल्व जैसी स्थिति हो, किया जावेगा । मगर न मालूम आज सरकार ने क्या सोचा है कि क्लॉज़ ५६ में, जो आपके समक्ष है, उसमें से समय ही उड़ा दिया है ? बिल्कुल समय नहीं रखा ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि म्युनिसिपैलिटीज़ में सिक्स मन्थ्स हैं जिला परिषद् और पंचायत समितियों में एक साल है, मगर इसमें आपने क्या किया है कि : "on supersession within the period not exceeding 2 months or "

अब मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप यह ऐसा क्यों करते हैं ? आपकी आदत पड़ गई है कि हमको फलां पंचायत, फलां म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन कराने हैं। कोई यह समझे कि किसी पंचायत में या किसी म्युनिसिपैलिटी में अगर विरोधी सदस्य आ गया तो उसके लिये आपने यह भी लिख दिया, पहले के कानून में तो है नहीं, अब इसमें आपने यह लिख दिया " supersede such Panchayat for a period to be so specified....." जब आपकी मर्जी हुई और

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

किसी ने सिर उठाया कि उसमें ज्यादा मेजोरिटी से विरोधी दल को आपने सुपरसीड कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : हिन्दी में है या इंग्लिश में ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : अंग्रेजी में है। "If I a Panchayat or a Tehsil Panchayat is not competent to perform" इसमें तो ऐसा है और इसमें, "if any time the State Government is satisfied...

अब आप इसका अर्थ लगा लें। मुझ से ज्यादा आप पढ़े-लिखे हैं। तो इससे तो सरकार की मर्जी चाहे जब भी एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दे। तो यह आज सदन में चल रहा है। डॉक्टर आ गया धौलपुर से, यह मर्ज कहां से लग गया है ? जब पंचायत एक्ट में समय (टाइम) प्रेस्क्राइब्ड कर दिया गया है, not more than two months म्युनिसिपैलिटी में आपने ६ महीने कर दिये हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति में आपने 'not more than one year' कर दिया है तो इसमें आपको क्या शंका हुई ? इसमें न करने का कारण क्या होगा ? अध्यक्ष महोदय मैं आप से सच कह रहा हूं.....

श्री उपाध्यक्ष : किसी भी गौण कार्य में विश्लेषण नहीं करना चाहिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : हम तो चाहते हैं कि अध्यक्ष हो जावें तो अच्छा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज क्या देखने में आता है, यों ही डिज़ोल्व कर दिया जाता है, कानून बना कर किसी को सुपरसीड करना हो, डिज़ोल्व करना हो तो किया जावे। नोटिस तो दिया जावे या बुला कर सुना जाय तब तो ठीक है लेकिन 'इफ एनी टाइम' वर्ड लगा दिये इससे कुछ डर लग रहा है कि न तो पंचायत समिति में वैसा है, न जिला परिषद् में वैसा है, कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। सिक्योरिटी भी नहीं है कि कम से कम साल, दो साल, तीन साल रहेगी ! "इफ एनी टाइम" जब गवर्नमेंट की मर्जी होगी, गवर्नमेंट चाहेगी फौरन सुपरसीड कर देगी, डिज़ोल्व कर देगी। मैं यह निवेदन करूं कि यह किस भावना से लगाया है। आप लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं तो लोगों की भावना और विश्वास प्राप्त करें और उनके दिलों में यह विश्वास डालें कि भाई, तुम जब तक अच्छा काम करोगे सरकार तुमको चलने देगी।

श्री उपाध्यक्ष : स्वेच्छा, संकेत, उपदेश; इस पर न चलें तो अच्छा है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : छोटे २ गांवों में भी म्युनिसिपैलिटियां बन गईं। उनकी आबादी कम है, वहां पर चार, चार साल से एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हैं चुनाव। का टाइम निकल गया। चुनाव घोषणा पत्र निकल गये, बेलेट पेपर पहुँच गये लेकिन चुनावों को फौरन रोक दिया, यह कह कर कि फलां यहां से नहीं आवेगा। गांव वाले तो कहते हैं कि मर्जी हो जब चुनाव कराओ लेकिन हम तो थक गये, दस, दस बार पोलिंग स्टेशन पर आकर। मेरा निवेदन है कि दो महीने का पहले के पंचायत एक्ट में भी टाइम रखा है वह भी इसमें नहीं रखा। पंचायत समिति और जिला परिषद् एक्ट में एक साल का था वह

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

भी यहां से निकाल दिया। म्युनिसिपैलिटी में भी है तो वह भी यहां से निकाल दिया। पहले जो एक्ट बनाये उनके विपरीत जाने के क्या कारण हैं ? न्याय पंचायतें किसके उपलक्ष में बन रही हैं। जिला परिषद् पंचायत समिति एक्ट बनाया था उसमें प्रावधान किया था कि तहसील पंचायतों के बजाय न्याय पंचायतें सेपरेट बॉडी के रूप में बना दी जावेंगी और वे न्याय के मामलात को सुनेंगी और प्रबन्ध करेंगी।

श्री उपाध्यक्ष : रावराजा साहब, प्रसंग से परे चले जा रहे हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उसमें प्रावधान किया है तो इसमें से क्यों हटा रहे हैं ? हालांकि पहले के पंचायत एक्ट में दो महीने का है, कम से कम इसमें भी छः महीने का समय कर दिया जाय, यह मैंने सुझाव दिया है। या तो माननीय कन्सर्न्ड मंत्री महोदय यह फरमा दें कि चुनाव फॉर्मेलिटी में ज्यादा टाइम लेना पड़ता है; पंचायत एक्ट में दो महीने हैं, तो इसमें छः महीने रख लीजिये। आपने वर्ड लिखे हैं : "Supersede such panchayat. for a period to be so specifIed" इसके स्थान पर "not exceeding six months..." जोड़ने में क्या आपत्ति है ? मेरे इस संशोधन से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो इसको डेफर कर दीजिये और पूछ लीजिये कि मैं उचित सुझाव दे रहा हूं या अनुचित ? कहावत मौजूद है कि किसी घर में मांडणा नहीं मंडता है दूसरा मांडणा लग गया। पंचायत समितियों और जिला परिषद दों को बने हुए १२ महीने, ६ महीने नहीं हुए हैं, इसलिए बार बार अर्ज नहीं करते हुए यही कहता हूं कि इसमें प्रावधान नहीं रखेंगे तो पंचायतों की स्थिति ही बिगड़ जावेगी। कानून बार बार नहीं बनते हैं। मूल धारा पंचायत एक्ट में संशोधन कर रहे हैं तो उसको न हटा कर या तो मूल धारा को ही रखिये या फिर जो अमेंडमेंट मैंने रखा है उसको स्वीकार कीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री रामप्रसाद लडढा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ ५६ के जरिये मूल एक्ट की क्लॉज़ ७६ संशोधित की जा रही है। प्रस्तावित संशोधित धारा में मैंने दो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। क्लॉज़ ५६ के उप खण्ड (१) में ये शब्द जोड़ दिये जायं : "Provided that the State Government shall do so only on the recommendation of the Zila Parishad."

दूसरा संशोधन मैंने यह किया है कि सब क्लॉज़ (१) के क्लॉज़ (बी) में Supersede such Panchayat for a period' के आगे 'not exceeding one year from the date so specified". जोड़ दिये जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुधा देखा गया है कि कई पंचायतें पंचायत समितियों के, पंचायत विभाग के सरकारी अधिकारियों के और सरकार के आदेशों का निरन्तर उल्लंघन करती हैं। पंचायत कानून या अन्य प्रचलित कानून या उसके तहत बने हुए नियमों के अन्तर्गत पंचायतों के जो फरायज़ रखे गये हैं उनको वे अन्जाम नहीं

(श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा)

देतीं अथवा पंचायत के नियमों और कानून का उल्लंघन करती हैं अथवा पॉवर्स जो उनमें वेस्टेड हैं उन पॉवर्स का वे मिसयूज़ करती हैं या एक्सीड करती हैं। जहां ऐसी परि-स्थिति आवे तो क्या किया जावे ? ऐसी परि-स्थितियां आने पर उन पंचायतों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न करने का अधिकार सर-कार को न हो तो परिणाम क्या होगा ? परि-णाम यह होगा कि वे निरन्तर सरकार के आदेशों का उल्लंघन करती जावेंगी और उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर सकेगी, पंचायतों का कार्य बिगड़ जावेगा और दूसरी पंचायत न आवे तब तक chaos कयास पैदा हो जावेगा। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रावधान रखा है कि ऐसी परिस्थितियों में ऐसी पंचायत को जो कॉन्स्टेन्टली कानून, नियमों और आदेशों का उल्लंघन कर रही हैं, पॉवर्स का मिसयूज़ कर रही हैं तो उनको सुपरसीड कर सकती है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि तब तक पंचायतें सुपरसीड नहीं की जावेंगी जब तक स्टेट गवर्नमेंट उन्हें मौका न दे दे कि उनके सम्बन्ध में जो शिकायतें आई हैं उनके लिए उनको क्या कहना है। उनको सुनने के बाद स्टेट गवर्नमेंट यह फैसला कर सकती है कि अमुक पंचायत सुपरसीड की जावे या डिज़ोल्व की जावे। एक माननीय सदस्य ने एतराज किया कि 'एट ऐनी टाइम' लगा हुआ है उससे कभी पंचायतों में चुनाव हुए और वहां पर कांग्रेस का विरोधी दल आ गया तो उस पंचायत को सुपरसीड कर दिया जावेगा। सुपरसीड का कारण कांग्रेस विरोधी दल के बहुमत या अल्पयामत का नहीं है। सुपरसेशन की धाराओं में बताया है कि उनकी इन्क्वायरी होने पर, उनको सुनने के बाद, यदि शिकायतें सही हुईं तो सुपरसेशन होगा। 'एट ऐनी टाइम' का इस कानून में कोई महत्व नहीं है। सम्बन्ध है तो यह है कि जब शिकायतें आवेंगी, साबित होंगी तो सुपर-सीड की जा सकती हैं। 'At any time' शब्द नहीं हो तब भी यही अर्थ निकलता है और हो तो भी यही अर्थ निकलता है। रात-दिन से मतलब नहीं हो सकता है। सुपरसेशन का प्रोविज़न पंचायतों को केओस (chaos) की स्थिति से बचाने के लिए आवश्यक है। माननीय सदस्य ने जो विरोध किया है वह अनुपयुक्त है एवं अना-वश्यक है।

अब सवाल यह उठता है कि इस सुपर-सेशन के अधिकार को सरकार किस तरह से काम में लायेगी ? इस अधिकार का उपयोग आम तौर पर हो नहीं सकता विशेष, परि-स्थितियों में ही हो सकेगा। इसके लिये क्या प्रोसीजर हो ? एक प्रोसीजर यह हो सकता है कि सरकार के पास शिकायत आये तो पंचा-यत ऑफिसर और किसी अधिकारी को जांच के लिये कहा जाय। वह नीचे तक जांच करे और उसके बाद रिपोर्ट करे और उसके बाद सरकार उस पंचायत को नोटिस दे और उसके बाद उसको सुपरसीड कर दे या भंग कर दे। लेकिन मैं इस तरीके को उपयुक्त नहीं मानता। हर पंचायत के लिये बाला बाला सरकार इन्क्वा-यरी बैठाये और उसके जांच आदि में सर-कारी खर्चा काफी होगा और इन्क्वायरीज़ में ज्यादा समय लग जावेगा, यह प्रावधान sparingly use करने के लिये है। इसलिये मैंने अमेंडमेंट रखा है कि पंचायतें उसी स्थिति में सुपरसीड और डिजोल्व की जायं जब कि उसके बारे में जिला परिषद की

(श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा)

सिफारिश हो। जिला परिषद् को मैंने इसलिए रखा है कि पंचायतों पर जिला परिषद् का पंचायत के नियमानुसार और कानून के अनुसार सुपरविज़न है। जिला परिषद् में जो सेक्रेटरी रहता है वह असिस्टेन्ट कलेक्टर पंचायत कहलाता है। उसकी ड्यूटी है कि पंचायतों का सुपरविज़न और देखभाल करे। इस तरह से जिला परिषद् के कर्मचारियों को पंचायतों के कार्यक्रम से पूरी जानकारी रहती है, पूरा सम्बन्ध और उसका पूरा संपर्क रहता है। ऐसी अवस्था में जिला परिषद् जो एक प्रकार से रिप्रेजेन्टेटिव बॉडी है उसकी सिफारिश को ही वजन दिया जाना चाहिए। कोई पंचायत किसी ऑर्डर का डिस–ओबे कर रही है या नहीं, इसकी सबसे ज्यादा जानकारी जिला परिषद् को हो सकती है। ऐसी स्थिति में जिला परिषद् का लम्बा सम्पर्क रहने के कारण उसको इस प्रकार के अधिकार दिये जाने चाहिये। चूंकि यह अधिकार एक्सेप्शनल सरकम्सटान्सेज़ में काम में लाये जायेंगे इसलिये उसके साथ यह प्रावधान जोड़ा जाना आवश्यक है। स्टेट गवर्नमेंट सुपरसीड और डिज़ोल्व उसी हालत में ही करे जब कि जिला परिषद् ऐसा करने की सिफारिश करे। अगर यह नहीं करते हैं तो फिर स्टेट गवर्नमेंट को दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिये कि वह उसको सुपरसीड या डिज़ोल्व करे ही। जब जिला परिषद् उससे खुश है, ग्राम के पंच ठीक से काम कर रहे हैं तो सरकार को नाराजगी का कोई कारण नहीं होना चाहिये। इस प्रावधान में दोष रह गया है, जो मैंने प्रगट किया है। इसके अलावा दूसरा दोष इसमें यह है। सुपरसेशन के लिये कोई मयाद नहीं दी गई है। पंचायत अगर सुपरसीड होती है तो वह कितने अर्से तक सुपरसीड रहेगी, इस बारे में कोई अवधि निश्चित नहीं की है। इससे ऐसा भी हो सकता है कि दो वर्ष तक, तीन वर्ष तक या डेढ़ वर्ष तक भी वह इस हालत में रह सकती है और उस वक्त तक रीकॉन्स्टीट्यूशन पंचायत का न हो तब तक भी रह सकती है। यह इतना वेग है जिसमें सरकार को खुला हक मिलता है कि किसी पंचायत को लंबे अर्से के लिये इस तरह से रख सकते हैं: इसको कर्टेल करना आवश्यक है। जिस धारा में हम तरमीम करने जा रहे हैं वह धारा ७३ है मूल एक्ट की जिसमें रीज़नेबल प्रावधान था दो महीने के भीतर दूसरी पंचायत का रीकॉन्स्टिट्यूशन हो जायगा और सुपरसीड का पीरियड दो महीने का होगा। पता नहीं उसको तब्दील क्यों किया गया हो सकता है प्रेक्टिल डिफिकल्टी दो महीने में पंचायत के री-कॉन्स्टिट्यूशन में आई हो। वैसे भी दो महीने का समय कम है क्योंकि इलेक्शन के लिये नोटिस देने पड़ते हैं, वोटर्स लिस्ट पब्लिश करनी पड़ती है, प्रोग्राम आदि भेजना पड़ता है। इतने कामों में दो महीने का समय कम है। इसलिये इस समय को बढ़ाया जाना आवश्यक है। इसके बजाय अनिश्चित समय भी रख देना उचित नहीं है। जिला परिषद् और पंचायत समिति विधेयक जो सदन ने पास किया है उसका जो सुपरसेशन का क्लॉज़ ६७ है उसमें एक साल की अवधि रखी थी इसके बजाय जो छः महीने की अवधि का प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा है उसका मैं विरोध करता हूं। वह इस आधार पर करता हूं कि पंचायतें, पंचायत समितियें और जिला परिषदें ये थ्री टायर्स हैं डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन के। इसलिये जहां तक

Page No.59

(श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा)

सुपरसेशन के पीरियड का सवाल है तीनों में समानता होनी चाहिये। जब हमने पंचायत समितीज़ और जिला परिषद् विधेयक में एक साल का समय रखा है उसी तरह से हमें इसमें भी डिज़ोल्यूशन और सुपरसेशन के लिये एक साल की अवधि का प्रावधान रखना चाहिये। क्लॉज़ ६७ से मिलता-जुलता प्रावधान रखना चाहिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): जब कि म्युनिसिपैलिटी में ६ महीने का ही है।

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : म्युनिसिपैलिटी में ६ महीने का हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि उसी के अनुसार यहां भी रखा जाय। रीज़नेब्लनेस को देखते हुए साल भर का समय उचित है और वह भी इस तरह से है कि नोट एक्सीडिंग वन इयर। एक साल तक सुपरसीड रहेगा, एक साल से अधिक नहीं रहेगा; सरकार चाहे तो तीन महिने में भी रीकॉन्स्टिट्यूट करवा सकती है। एक साल से ज्यादा समय तक सुपरसीड नहीं रह सकता। मेग्ज़ीमम लिमिट रखी है एक साल की। उससे पहले भी पंचायत रीकॉन्स्टिट्यूट हो सकती है।

दूसरा अमेंडमेंट सब-क्लॉज़ (२) में है :

"In clause (b) of sub section (1) of section 73 sought to be substituted in the principal Act, replace the words "to be so specified" by the words "not exceeding one year from a specified date."

ये शब्द इस क्लॉज में जोड़े जाने से duration के बारे में जो एम्बीग्विटी है वह स्पष्ट हो जाती है और इस तरह से यह क्लॉज मुकम्मिल हो सकता है। अतः मेरी ये दोनों तरमीमें प्रेक्टिकल दृष्टि से बहुत उचित हैं, वाज़िब हैं, और आशा है, माननीय मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : I could not move my amendment as I was attending the Business Advisory Committee. So I may now be permitted to move my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : I will give you a chance. Let Shri Haribhauji complete.

श्री अनूपसिंह (बालोतरा): wants to support or oppose ?

श्री उपाध्यक्ष : That right exists.

श्री अनूपसिंह : He cannot move his amendment. His (Hon'ble Minister) amendment is about the appeal committee.

श्री उपाध्यक्ष : No, no; his amendment is in clause 56. You have the right to support or oppose but after the list of amendments has exhausted. Now Hon'ble Minister is moving his amendment.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं इसलिये इसको उपस्थित करना उचित समझता हूं कि कम से कम इस पर विचार तो हो जावे।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : नहीं, नहीं....

(अनेक माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

Page No.60

श्री उपाध्यक्ष : One at a time please.

(विराम)

That is for him to look.

श्री पी. के. चौधरी : In the beginning also, Sir, when the House just resumed the debate it was brought to the notice of the Hon'ble Speaker that a decision should be given that wherever clause regarding appeal committee come they should be deferred and the Hon'ble Speaker had said that they may be deferred. In this case, you (Hon'ble Minister) are now moving an amendment to an appeal committee. This should not be moved.

२ म. प.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, जब यह निर्णय कर चुके कि जब तक ३८ वां क्लॉज, जो डेफर्ड हो गया है उस पर निर्णय नहीं हो जावे तो उससे सम्बन्धित क्लॉजेज़ भी नहीं लिये जावेंगे; तो फिर इसको लेने से क्या लाभ है ?

श्री उपाध्यक्ष : डिस्कशन अलाऊ किया है उस पर ।

श्री पी. के. चौधरी : No discussion was allowed. We insisted that the Hon'ble Minister should make a statement then and there, but the Hon'ble Minister assured that when the relative clauses come, they will say so and therefore there is no sense in his moving this now...

श्री उपाध्यक्ष : I think he has rightly realised the position.

श्री पी. के. चौधरी : I may speak on my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : Let him say so. I would like to know from him.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मन्त्री) : अभी तो माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस पर उत्तर नहीं दे रहा हूं । अभी तो मूव करना चाहता हूं और चाहता हूं कि हम उस पर विचार कर लें, इसलिये भी कि आखिर तो डेफर करना है । यह तो मैं मन्जूर कर चुका हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : This is treated as moved.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय नुकसान भी क्या है ?

डॉ० बहादुरसिंह : जब अपीलेट कमेटी नहीं बनेगी तो इसको भी विथड्रॉ करना पड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : आप आरम्भ करिये ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : Insert the following.

"After sub section (4) of the proposed section 73, insert the following:-

"(5) The provisions of this section shall mutatis mutandis apply to an Appeal Committee in the event of such Committee having been found by the

Page No.61

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

State Government to be incompetent to perform or to have persistently made difficult in the performance of its duties or to have executed or abused its powers." इसको विचार के लिये रखा है।

डॉ० बहादुरसिंह : इसको आप डेफर करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : हो जावेगा। अभी एक अमेंडमेन्ट और है श्री पी० के० चौधरी का।

डॉ० बहादुरसिंह : यह आप कह चुके हैं कि जितने सम्बन्धित क्लोजेज़ हैं सभी डेफर्ड कर दिये जावेंगे। तो फिर समझ में नहीं आती बात ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): मेरा अमेंडमेंट इस क्लॉज़ ५६ में "Delete the words 'or persistently disobeys the orders of the State Government or the Panchayat Samiti or the officer incharge of Panchayats' occurring in sub-section (1) of new section 73 sought to be substituted for section 73 of the principal Act." उपाध्यक्ष महोदय, इसमें किस किस कन्डीशन में एक पंचायत को सुपरसीड किया जा सकता है या डिज़ोल्व किया जा सकता है, यह नये क्लॉज़ ५६ और ओल्ड क्लॉज ७३ प्रिन्सिपल एक्ट के में दिया हुआ है। कन्डीशन्स में दिया हुआ है : "If at any time the State Government is satisfied that a Panchayat is not competent to perform or persistently makes default in the performance of the duties imposed on it by or under this Act or by or under any other law for the time being in force, or has exceeded or abused its powers thereunder or persisstently disobeys the orders of the State Government or the ..." मेरा यह अमेंडमेंट है कि सिर्फ delete this portion only "or persistently disobeys the orders of the State Government or the Panchayat samiti or the officer incharge of panchayats." यह जो पोर्शन है कि स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं माने, पंचायत समिति या ऑफिसर इन्चार्ज का ऑर्डर नहीं माने, इन शब्दों को डिलीट करने का मेरा संशोधन है। बाकी का जो है वह वैसे ही रहे। "If it makes defaults in the performance of the duties" इन कन्डीशन्स में भले ही सस्पेन्ड करें आप. मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पर यह स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर, ऑफिसर इन्चार्ज का ऑर्डर और पंचायत समिति का ऑर्डर वाली बात जो आपने रखी है इसको मैं नहीं मानता। इसे सस्पेन्ड कर दिया जावे। जहां तक ऑब्जेक्ट्स और रीज़न्स का ताल्लुक है उसके भी यह विपरीत है। उस हिसाब से भी आप ये नई बातें इसमें नहीं रख सकते। पहले वाले प्रिन्सिपल एक्ट में ये चीज़ें नहीं हैं। ऑब्जेक्ट्स और रीज़न्स में साफ़ लिखा है :-

" It is desirable as in other Acts relating to local authorities to have the provision in one section in a comprehensive form. "

आप दोनों अलग अलग क्लॉज़ेज़ को कन्सोलिडेट करना चाहते हैं और इसलिये

Page No.62

(श्री पी. के. चौधरी)

उनको यहां एक क्लॉज़ में ला रहे हैं। यही ऑब्जेक्ट्स और रीज़न्स में भी है। इसके अनुसार आप पुराने कानून के सस्पेन्शन और डिज़ोल्युशन की जो अलग अलग धाराएं थीं उनको एक क्लॉज़ में यहां रखना चाहते हैं। प्रिन्सिपल एक्ट में जो प्रोवीज़न है उसमें कोई चेन्जेज़ करने का इन्डीकेशन इन ऑब्जेक्ट्स और रीज़न्स में कहीं नहीं दिया हुआ है।

अब मैं आपको प्रिन्सिपल एक्ट की ७३ वीं धारा पढ़ कर सुनाता हूं। सेक्शन ७३ ऑफ दी प्रिन्सिपल एक्ट में यह कहा गया है :

" If a Panchayat or a Tehsil Panchayat is not competent to perform or persistently makes default in the performance of, the duties imposed on it by or under this Act or by or under any other law for the time being in force or exceeds or abuses its powers the State Government may, after giving such Panchayat or Tehsil Panchayat as the case may be, an opportunity of being heard declare by an order which shall be published in the Official Gazette along with the reasons for making it..."

उपाध्यक्ष महोदय, तो प्रिन्सिपल एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर, ऑफिसर इन्चार्ज का ऑर्डर या पंचायत समिति का ऑर्डर न मानने की सूरत में सस्पेन्ड करने का प्रावधान नहीं है। इसी तरह डिज़ोल्युशन का जो क्लॉज़ ७७ में है उसके भी ये वर्डिंग्ज़ हैं :

" If in its opinion such Panchayat or Tehsil Panchayat has failed to perform the duties imposed on it by the Act or any rule made there under or if it abuses its power grossly or if in the opinion of the State Govrnment there is any other reason of alike nature for the dissolution..."

तो उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्शन यह है कि जो यह अमेन्डिंग क्लॉज़ लाया गया है वह प्रिन्सिपल एक्ट के सैक्शन ७३ और ७७ के प्रोवीजन को एक जगह इकट्ठा करके एक क्लॉज़ के अन्दर में लाने के लिये है और यही आपके ऑब्जेक्ट्स और रीज़न्स में कहा गया है : "It is desirable to have the provision in one section in a comprehensive form ..."

तो ऐसी सूरत में आप इतना ही कर सकते हैं कि उन दोनों को एक क्लॉज़ के नीचे ले आवें। पर इसमें कहीं भी यह इन्डिकेशन नहीं है कि आप उन क्लॉज़ेज़ में कोई संशोधन भी करके एडीशन कर दें और नया प्रोवीज़न कर दें; जैसा कि आपने इसमें कर दिया है। गवर्नमेंट के ऑर्डर, पंचायत ऑफिसर के ऑर्डर और पंचायत समिति के ऑर्डर के न मानने पर भी आप डिज़ोल्व या सस्पेन्ड कर देंगे। तो यह तो ऑब्जेक्ट्स और रीज़न्स के विपरीत बात है। आप ऑब्जेक्ट्स और रीज़न्स के अनुसार इन दोनों क्लॉज़ों को एक के नीचे ले आवें, इतना आपको इसमें प्रोवीज़न के हिसाब से करना है। आप एडीशन नहीं कर सकते।

पर जैसा उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ता भीलवाड़ा से आनेवाले माननीय सदस्य ने

(श्री पी. के. चौधरी)

बताया, श्री रामप्रसाद लड्ढा ने कहा कि उसमें और भी लेकूना रखा है सरकार ने। प्रिन्सिपल एक्ट में सुपरसेशन के लिये दो महीने का पीरियड रखा था और डिज़ोल्शन के लिये ६ महीने का समय रखा है। तो इसमें इसका भी कोई प्रवधान नहीं रक्खा है। इसके अन्दर तो इनडेफिनिट टाइम तक सुपरसीड रख सकते हैं यानि इनडेफिनिट टाइम तक उसको नई पंचायत री-कॉन्स्टिट्यूट नहीं करके भी चला सकते हैं। तो एक तो मैं यह मानता हूं कि जो आपके ऑब्जेक्टस एण्ड रीज़न्स हैं उनके अगेन्स्ट में यह प्रोवीज़न है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली भी ठीक नहीं है। क्योंकि हमारा जो सेक्शन ७२ रूल्स ऑफ प्रोसीजर का है उसमें कहा गया है: "An amendment shall be within the scope of the Bill." तो इस बिल का जो स्कोप है उसको डिफाइन किया गया है ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में। वहां पर सिर्फ डिज़ोल्युशन के प्रावधान में किसी प्रकार का चेन्ज करने का या अमेंडमेंट लाने का कोई इन्डीकेशन नहीं है। उसमें साफ कहा गया है। आप कहते हैं कि सेक्शन ७३ और ७७, दोनों का प्रावधान कॉम्प्रीहेन्सिव बना कर एक ही सेक्शन के अन्दर में रखने के उद्देश्य से ही इसको लाया गया है। तो मैं नहीं समझता कि यह जो क्लॉज़ ५६ है वह कहां तक ठीक है अण्डर दी रूल्स ऑफ प्रोसीजर ? इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि पंचायतें इलेक्टेड बॉडी हैं, अब उनको सुपरसीड आप करते हैं। अगर उनने पंचायत ऑफिसर का ऑर्डर नहीं माना या पंचायत समिति ने उसका ऑर्डर नहीं माना तो आप उसको सुपरसीड कर देंगे तो यह आप कैसे बता सकते हैं कि पंचायत समिति का जो ऑर्डर है वह in consistent with the law रहेगा या नहीं रहेगा ? हो सकता है कि पंचायत समिति ने किसी प्रकार मेजोरिटी से एक प्रस्ताव पास करके भेज दिया जो कि केरी आउट नहीं करने से कानून की धारा का उल्लंघन नहीं होता है, न पंचायत एक्ट का ही कोई उल्लंघन है। इस ख्याल से पंचायत को जो कि एक इलेक्टेड बॉडी है उसको इन्डीपेन्डेन्ट रहना चाहिए कि उसके ऑर्डर माने या नहीं माने। कल ऑफिसर इन्चार्ज ऑफ दी पंचायत ने ऑर्डर दे दिया यह तो आपने डिफाइन नहीं किया कि पंचायत का ऑर्डर, provided these are inconsistent with those orders; यह तो आपने कभी नहीं कहा। आपने यही कह दिया कि पंचायत का जो ऑफिसर इन्चार्ज है उसने कोई ऑर्डर दिया और उसको नहीं माना तो उस पंचायत को आप सुपरसीड कर देंगे। लेकिन आपने उसको कोई क्लेरिफाई नहीं किया that these Panchayat Officer's orders will have to be inconsistent with the provisions of the existing Rules or of the Panchayat Act.

हो सकता है आपके ऑफिसर ने ऐसा ऑर्डर दिया जो कि पंचायत एक्ट के अन्दर में तो आता हो, लेकिन जो अदर एग्ज़िस्टिंग लॉ हैं उसके कॉन्ट्रावेंशन में आर्डर दे सकता है, उसकी मिसाल हमारे सामने आती है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने बताया था कि म्युनिसिपैलिटीज़ के चुनाव को रद्द कर दिया जब कि हाई कोर्ट के सामने उनका केस था। तो यहां पर जो ऑफिसर इन्चार्ज का ऑर्डर था तो पंचायत को डिस्क्रिशन देना चाहिए कि वह माने या नहीं माने और मानना

(श्री पी. के. चौधरी)

चाहिए या हाई कोर्ट का case, which is before the Judiciary, यह डिस्क्रिशन पंचायत को रहना चाहिए। मैं मानता हूं इस क्लॉज के जरिये जो इलेक्टेड बॉडी है वह हमेशा ही सुपरसेशन या डिज़ोल्युशन के खिलाफ रहती है। वह पसन्द नहीं करते कि जो इलेक्टेड बॉडी है उनकी एक्टीविटीज़ की वजह से उनको डिज़ॉल्व कर दें, क्योंकि इसमें यह भी नहीं कहा है कि it will have to be decided by any court or by any independent authority.

ऑर्डिनेरी तौर पर जो पंचायतें हैं उसकी कोई एक्टीविटी इल्लीगल है, किसी कोर्ट ने इल्लीगल करार दे दिया हो या किसी इन्डिपेन्डेन्ट ट्रिब्यूनल ने इल्लीगल करार दिया हो जब डिज़ॉल्व करते हैं तो दूसरी बात है लेकिन डिस्क्रिशन आप अपने पास रखते हैं 'The State Government if in its opinon' अगर उन्होंने अपनी पॉवर्स का मिस यूज़ कर लिया या उनकी एक्टीविटीज़ किसी एग्ज़िस्टिंग कानून के खिलाफ है तो आप उसको डिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो यह सारा का सारा डिस्क्रिशन अपने पास में रखा है उसके बाद में भी यह बात आप अपनी तरफ से चला रहे हैं कि जो प्रिन्सिपल एक्ट में नहीं थी कि ऑफिसर इन्चार्ज का ऑर्डर नहीं माने तो डिज़ॉल्व कर दिया जाये, पंचायत समिति भी नहीं माने तो उसको भी डिज़ॉल्व कर दिया जाये। प्रिन्सिपल एक्ट में इसका कोई प्रोवीज़न नहीं था।

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, प्रिन्सिपल एक्ट में यह प्रोवीज़न था कि जो डिज़ोल्व करने का नोटीफिकेशन है उसमें the State Government was bound to state reasons. यह सेक्शन ७३ प्रिन्सिपल एक्ट का है। उसमें यह कहा गया है, "which shall be published in official gazette along with the reasons for making it." यह जो ऑर्डर उन्होंने किया उसमें सुपरसीड करने के और डिज़ॉल्व करने के रीज़न्स स्टेट गवर्नमेंट को स्पेसीफाई करने जरूरी थे। अब इसमें जो प्रावधान रखा है उसमें रीज़न्स बताने की जरूरत नहीं है कि किस वजह से उसको आप डिज़ॉल्व कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही आर्बिट्रेरी पॉवर्स हैं। एग्ज़ीक्यूटिव को आर्बिट्रेरी पॉवर्स दी जाती हैं कि मन चाहे जिस पंचायत को डिज़ॉल्व कर सकते हैं। आपने इतना जरूर बताने के लिए रखा है, you have given an opportunity of being heard; लेकिन वह सुनने के बाद भी आप बाउन्ड नहीं हैं टू स्टेट रीज़न्स। तो मैं कहता हूं कि जहां रीज़न्स स्टेट नहीं किये जाते वहां ५० पर्सेन्ट केसेज़ में those fines may be irrational or partial. इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यह जो क्लॉज़ है इसको according to the rules, that should be declared as unconstitutional. This clause should not be allowed to be moved. और उसका जो प्रिन्सिपल एक्ट में क्लॉज़ है उसको ऐसा ही ऐसा रखना चाहिए, this clause should be thrown out. The Hon'ble Minister should have a good sense to have withdrawn it rather than pressing it. मैं समझता हूं कि ओरीजिनल क्लॉज़ में जो प्रावधान था वह ज्यादा उपयुक्त था। उसमें सुपरसेशन का पीरियड २ महीने का रखा था। मैं समझता हूं कि सुपरसेशन में २ महीने से ज्यादा का समय भी नहीं रखना चाहिए। अगर कोई पंचायत बिल्कुल इनकॉम्पीटेन्ट होती

(श्री पी. के. चौधरी)

है तो उसको बिल्कुल डिज़ॉल्व कर दिया जाये और दुबारा चुनाव ६ महीने के अन्दर अन्दर करा दिये जायें। यह बहुत अच्छा प्रावधान था। इसके अन्दर सुपरसीड करने के लिए २ महीने का समय था यह भी बहुत अच्छा प्रावधान था। तो उसको किस कारण से, what is the reason for making this change, यह माननीय मन्त्री महोदय ने न तो कन्सीडरेशन स्टेज पर, न फर्स्ट रीडिंग पर और न उसके इन्ट्रोडक्शन के टाइम में इसके रीज़न्स को बताया कि सुपरसेशन का जो स्पेसिफिक पीरियड का प्रावधान था और दूसरे चुनाव डिज़ॉल्व होने के बाद ६ महीने के अन्दर अन्दर हो जाने चाहिए, इन दोनों को किस वजह से हटा लिया, ये रीज़न्स उन्होंने बताये ही नहीं। यह जो प्रावधान प्रिन्सिपल एक्ट में था बहुत ही अच्छा प्रावधान था। उसको हटाया तो किस वजह से उसको हटाया? What are the reasons behind it? उसका उद्देश्य क्या है कुछ? नहीं बताया। ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में सिर्फ इतना ही कहा है कि क्लॉज़ेज़ ७३ और ७७ में जो प्रावधान अलग अलग किया हुआ है उसको इकट्ठा रखना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में ही सिर्फ एक बात कहते हैं और कोई बात न बिल को पेश करते समय कहते हैं कि क्यों चेन्जेज़ कर रहे हैं और बाद में हम देखते हैं कि चेन्जेज़ हैं। तो मैं समझता हूं it is not fair to the House. जब ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में इसको स्टेट नहीं किया तो आपका इस प्रकार का अमेन्डमेंट इस क्लॉज़ में करना हाउस के लिए फेयर चीज़ नहीं है। आपने सिर्फ इतना ही कहा है कि दोनों क्लॉज़ेज़ के प्रावधान को एक जगह पर रख रहे हैं। आपने यह नहीं कहा कि किस डिफिकल्टी को वजह से इम्पोर्टेन्ट चेन्जेज़ उसमें ला रहे हैं। और ये तीनों चेन्जेज़ जो हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं बहुत ही फन्डामेन्टल हैं। एक चेन्ज में गवर्नमेंट ऑफिसर के ऑर्डर नहीं मानने पर डिज़ॉल्व या सुपरसीड करने के अधिकार हैं। दूसरा जो प्रावधान रखा है कि बगैर किसी कारण को स्टेट करते हुए आप उसको डिज़ॉल्व या सुपरसीड कर जायेंगे, और तीसरा जो फण्डामेन्टल चेन्ज आपने किया है कि किस सुपरसेशन की दो महीने की मयाद थी और डिज़ोल्युशन के विदिन सिक्स मन्थ्स नई पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूट करने का। इन तीनों चीजों को क्यों हटाया? फण्डामेन्टली प्रिन्सिपल एक्ट में किया है और उसको आप स्टेट नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल मुगालते में डालने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में नहीं दिया है। ओरीजिनल बिल में अलग अलग स्थान पर थे उनको एक स्थान पर रखने के लिए यह एमेंडमेंट हम ला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि it was not a fair dealing with the House, इसलिए माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि क्लॉज़ ५६ में जो एमेंडमेंट ला रहे हैं उस एमेंडमेंट को वापिस लेंगे या उसको he will allow to vote it down, या उसको एमेंड करके पहले जो प्रावधान था उसको ही रखा जाय।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने क्लॉज़ ५६ इस नये बिल का पेश है। क्लॉज़ ५६ में गवर्नमेंट अपने हाथ में वे पॉवर्स लेना

(श्री अनूपसिंह)

चाहती है जो कि उस वक्त काम में आये कि अगर कोई पंचायत उस तरह से काम नहीं करे, या अपने पॉवर्स को एब्यूज़ करे, या इस तरह की बात करे जो इस एक्ट या और किसी लॉ के खिलाफ हो । मैं यह मानता हूं कि इस तरह के पॉवर्स होने जरूरी हैं । अगर कोई पंचायत ठीक तरह से काम नहीं करती है अगर अपने पॉवर्स को एब्यूज़ करती है, तो इस तरह के पॉवर्स किसी के पास होने चाहिए जो कन्ट्रोल करे । इस बात को मैं मानता हूं । लेकिन इसके साथ साथ इस बात के लिए भी अर्ज करूंगा कि अगर यह पॉवर्स यूज़ भी किये जायं तो पॉवर्स यूज़ करने की एक हद होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए । ये दोनों चीजें हमको देखनी पड़ेगी कि हम सुपरसीड करें तो कितने वक्त तक करें, और किस तरह से वापिस बहाल करें और करें या न करें, उसका डिसीज़न कौन ले । यह सारी बात इस क्लॉज़ ५६ में है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि यह तो बिल्कुल ठीक है कि हम ऐसे पॉवर्स रखें एक ऑथोरिटी के पास कि जो ओवर ऑल कन्ट्रोल रख सकती हो या ओवरऑल सुपर्विज़न रख सकती हो और उसके हाथ में इतने ओवरव्हेल्मिंग पॉवर्स भी हों कि हिम्मत करके कोई गलत काम करने-वाली संस्था या पंचायत हो उसको बन्द कर दे, रोक दे, या खतम कर दे ।

उसमें मुझे सिर्फ अर्ज करना है दो–तीन मुद्दों पर और वह यह है कि आपने इसमें क्लॉज़ ५६ के (डी) पार्ट के अन्दर जो रखा है "supersede such panchayat for a period to be so specified." यह बहुत ही वेग टर्म है जिसको लम्बा–चौड़ा करके, खींचतान करके अपनी कन्वीनियेन्स के लिहाज़ से, अपनी जरूरत के लिहाज़ से गवर्नमेंट कर सकती है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं मान चुका हूं कि गवर्नमेंट के हाथ में इस तरह के पॉवर्स रहने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमको मानना पड़ेगा कि ये पॉवर्स कितने दिनों तक के लिए रहने चाहिए । इसकी कोई लिमिट होनी चाहिए । यह नहीं होना चाहिए कि मौका पड़ा या किसी ने आकर कह दिया कि फलां पंचायत ठीक तरह से काम नहीं करती है या अपने पॉवर्स का एब्यूज़ करती है और उसको आपने डिज़ॉल्व करके रख दिया और यदि डिज़ॉल्व करके उसके बाद में नींद लेकर बैठ जायं, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है वह एक चीज़ कर लेती है तो उसको ठीक करने में इस तरह से ज्यादा टाइम ले लेती है तो आप समझें शान्ति रखने के हिसाब से यह खिलाफ पड़ेगा । हम पंचायतों को विकास कार्य के लिए जो कि गांवों में होते हैं वे उनके लिए ठीक तरह से काम करें और डेमोक्रेसी को वहां पनपाने में इस तरह के कामों के लिए पंचायत को बनाते हैं on supersession within a period not exceeding two months और उसके बाद डिज़ोल्व करते हैं और डिज़ोल्व करने के बाद कोई पूछने-वाला नहीं है कि ऐसा कैसे किया । वापिस ऑर्डर नहीं दिया कि पंचायत को रिकॉन्स्टीट्यूट कर दिया जाय । उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी, जरूरत से ज्यादा पॉवर्स की वेगनेस है । गवर्नमेंट को मौका है कि पंचायतों को ठंडा पड़ा रहने दे और इलेक्शन नहीं हो । जो कुछ टंटा–झगड़ा हो वह यों का यों

(श्री अनूपसिंह)

ही पड़ा रहे ; वहां का आर्थिक ढांचा या विकास प्रणाली खत्म हो जाय । इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि इस तरह के पॉवर्स हैं जो वेग पॉवर्स हैं, जिनकी कोई लिमिट नहीं है उसमें ६ महीने की लिमिट लगा दें जैसा कि एक माननीय सदस्य जो कि उनियारा से आये हैं उन्होंने एक संशोधन रखा है; मैं उसका समर्थन करता हूँ कि कम से कम ६ महीने का उसके अन्दर प्रावधान होना चाहिए कि ६ महीने के अन्दर अन्दर वापिस इस डिसीज़न पर आ जायं कि अमुक पंचायत को डिज़ोल्व कर दिया गया था उसको वापिस रिकॉन्स्टीट्यूट कर दिया गया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं समझता हूं कि आपके प्रजातन्त्र का ढांचा उस जगह या उस एरिया में खत्म हो जायगा। आप एक पॉवर हाथ में ले लेते हैं तो पॉवर हाथ में लेने के साथ साथ यूज़ करना नहीं जानें, अगर गवर्नमेंट यूज़ करना नहीं जाने तो वह उतना ही एब्यूज़ हुआ। एक पंचायत को एब्यूज़ ऑफ पॉवर्स के कारण डिज़ॉल्व कर सकते हैं तो गवर्नमेंट के ऊपर किसका अंकुश है। वह यह बात देखे कि चुनाव ६ महीने के अन्दर होने चाहिए थे और अगर नहीं हुए हैं तो उसमें कितनी भूल हो गई है ? अगर भूल हो जाती है तो प्रजातन्त्र उस जगह पर खतरे में पड़ेगा।

इस दलील के साथ मैं यह फिर अर्ज करूंगा कि हमारे ओरीजिनल पंचायत एक्ट में जब भी तहसील पंचायत या पंचायत को अगर डिज़ॉल्व करने का या सुपरसीड करने का कोई मौका आ गया तो उसमें भी यह रखा गया है "on supersession within a period not exceeding two months Panchayat or Tehsil Panchayat shall be reconsituted by re-election or by reappointment." ओरीजिनल एक्ट में इस बात को रखा है। जब पॉवर्स को एक हद के अन्दर रखा है, और ऐसे ओवरव्हेल्मिंग पॉवर्स और वेग पॉवर्स आपने नहीं लिये हैं तो मैं समझता हूं कि नये एक्ट में, जिसमें शायद सुधार होना चाहिए तो सुधार के बजाय, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उल्टा किया है, जो लिमिट रखनी चाहिए थी उस लिमिट को खत्म किया है। अगर तहसील पंचायत और पंचायत जो भी ठीक काम नहीं करती थी तो उसके लिए प्रोवीज़न था कि दो महीने के अन्दर अन्दर रिकॉन्स्टीट्यूट हो सकती हैं और उसके साथ सेक्शन ७७ के पार्ट (एफ) में डिज़ॉल्युशन के पॉवर्स हैं, तो डिज़ॉल्युशन के पॉवर्स यह रखे हैं :

"The State Government shall reconstiute a Panchayat or a Tehsil Panchayat so dissolved within a period not exceeding six months from the date of dissolution." इसमें आपने पॉवर्स ऐसे लिये है कि कोई स्पेसीफाइड नहीं किया है। जब स्पेसीफाइड नहीं किया है तब न मालूम कब जाकर डिसीज़न लें तब तक विकास के कार्य जो कुछ भी हैं वे खत्म हो जायेंगे और आपकी तरफ लोग देखते रहेंगे और मैं देखता आया हूं कि आपको और किसी ने शिकायत कर दी और शिकायत करनेवाले के साथ में अगर आपके मन में कुछ शक है तो उसमें डिसीज़न ले सकते हैं कि अमुक पंचायत ठीक काम नहीं कर रही है।

अब इसमें साथ ही साथ, उपाध्यक्ष महोदय, यह अर्ज करना पड़ेगा कि अगर

(श्री अनूपसिंह)

गवर्नमेंट के सामने कोई शिकायत पेश की कि एब्यूज़ ऑफ पॉवर फलां पंचायत ने की है तो वह किस पर डिपेन्ड करे ? आप किसी अमुक पार्टी के आदमी के भरोसे या उनकी शिकायतों के ऊपर अगर इस तरह का डिसीज़न ले लें कि पंचायत को डिज़ॉल्व किया जाय या आप वहां जिसको रेस्पोंन्सिबल संस्था समझते हैं, पंचायत समिति या जिला परिषद् है उनकी रिकमन्डेशन को आप मानते हैं तो फिर सीधे स्टेप पर क्यों चल रहे हैं ? अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं कि पंचायत को सुओ मोटो आप देख कर जो कुछ शिकायत है चुनाव करा लेते हैं कि अमुक पंचायत ठीक काम नहीं कर रही है और आप जिला परिषद् और पंचायत समिति को पूछते तक भी नहीं है तो फिर वे संस्थाएं किसलिए हैं ? अगर आपकी पंचायत ठीक तरह से काम करते हुए नहीं चल रही है तो it is responsible to the Panchayat Samiti and in some way responsible to Jila Parishad and when Jila Parishad and Panchayat Samiti are not asking for that तो उनकी कोई आवश्यकता नहीं रहती है । उनसे पूछना नहीं चाहते हैं कि अमुक पंचायत इस तरह से काम कर रही है । जिला परिषद् या पंचायत समिति की रिकमन्डेशन के बिना किसी पंचायत को डिज़ॉल्व कराने के लिए आपके पास में क्या पॉवर्स हैं, how are you responsible for that ? पंचायत समिति और जिला परिषद् पर रेस्पोन्सिबिलिटी आ सकती है । अगर आप अपना डिसीज़न लें तो डिसीज़न लेने से पहले आप उनसे पूछें कि अमुक पंचायत ठीक तरह से काम कर रही है या नहीं ; हमारे पास शिकायत आई है ? मैं समझता हूं कि जिला परिषद् है वह दूर है । पंचायत समिति ज्यादा रेस्पोंन्सिबल है पंचायत के लिए । पंचायत समिति का ज्यादा रिलेशन है । इसमें आप एकदम अपने ऊपर, गवर्नमेंट अपने आप डिसीज़न ले ले और उन पंचायतों को नल एण्ड वॉइड कर दे या खराब डिक्लेअर कर दे या डिज़ॉल्व कर दें, तो मैं समझता हूं कि आपको सीधा स्टेप नहीं लेना चाहिए । इससे आप प्रजातंत्र को खतरे में डालेंगे । आप पंचायत समितियों को सुपरसीड करते हैं या डिज़ॉल्व करते हैं इसलिये मैं कहूँगा कि यदि आप प्रोविज़न लाते हैं, मैं मानता हूं कि इस प्रकार का प्रोविज़न होना चाहिये ; लेकिन आप ऐसा तभी करें जब कि जिला परिषद या पंचायत समिति रिकमन्ड करे कि फलां पंचायत ठीक काम नहीं कर रही है तब आप उसको सजा दें । मैं मानता हूं कि सजा मिलनी चाहिये ।

लेकिन अब सवाल यह है कि सुपरसीड करने और डिज़ोल्युशन करने की, दोनों पॉवर्स गवर्नमेंट के हाथ में है ; क्या होगा कि आप यदि यह पॉवर दे दें कि अमुक पंचायत को काम ठीक तरह से करना नहीं आता है तो उसको सुपरसीड करने का पॉवर पंचायत समिति को देना चाहिये और वह पंचायत समिति आपसे इजाज़त लेकर या जिला परिषद से इजाजत लेकर सुपरसीड करे ? यदि डिज़ोल्यूशन का सवाल आता है तो वह आपके हाथ में हो । वह भी तब जब कि जिला परिषद् या पंचायत समिति आपको रिकमन्ड करे । इससे आप अपने को बचा सकते हैं वर्ना कभी गलत डिसीज़न ले लेंगे तो दुनिया कहेगी कि आपने डिसीज़न ठीक

(श्री अनूपसिंह)

नहीं लिया या पार्टी को खुश करने के लिये ऐसा डिसीज़न लिया। इसलिये मैं कहूंगा कि आप सुपरसीड करने का पॉवर जिला परिषद् या पंचायत समिति को दे दें। वे सुपरसीड करेंगी तो ठीक रहेगा और डिज़ोल्युशन का पॉवर आप अपने पास रखें लेकिन वह भी उनकी रिकमन्डेशन पर हो। आपके लिये सुओ मोटो कदम उठाना ठीक नहीं होगा जब कि आप उसके काम के बारे में जानते नहीं हैं। पंचायत समिति उनके काम को अच्छी तरह से जानती है इसलिये उनको खुद को अधिकार हो क्योंकि उनकी जानकारी में है।

इसके साथ साथ मैं एक बात और अर्ज करूंगा। सिद्धान्त के हिसाब से आप किसी चीज को करना चाहते हैं, विकेन्द्रीकरण के लिहाज से पॉवर को नीचे पहुंचाना चाहते हैं तो वह सब पॉवर आप अपने हाथ में मत रखिये वर्ना आपके विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त खत्म हो जायेंगे। यदि आप अपने हाथ में पॉवर रखते हैं और पंचायत समिति पर आपका अंकुश हो जायगा तो पंचायतवाले पंचायत समिति का कहना नहीं मानेंगे और उनकी अवहेलना करेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी बात मानें न मानें, हम तो मिनिस्टर साहब के पास पहुँच जायेंगे और ठीक करा लेंगे। इसलिये वे लोग आपको रात में भी आकर जगायेंगे। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सैद्धान्तिक हिसाब से अर्ज करता हुआ अर्ज करूंगा कि सुपरसेशन हो तो पंचायत समिति या जिला परिषद् की रिकमन्डेशन पर हो और यदि सुपरसेशन हो तो उसकी लिमिट जरूर रखी जाय। ओरीजिनल एक्ट में यह रखा है कि २ महीने तक या ६ महीने तक होगा तो लिमिट हटाना मेरे खयाल से ठीक नहीं होगा। फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने अपने भाषण में व्यक्त किया था कि लिमिट हटाने की क्या जरूरत है। मैं समझता हूं नया प्रोविज़न जो ५६ में रखा है वह वाकई मानने लायक नहीं है। मैं फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य का समर्थन करता हूं और माननीय लड्ढाजी ने जो संशोधन पेश किया है कि पंचायत समिति या जिला परिषद् के हाथ में होना चाहिये, इस बात को भी मैं मानता हूं। आपके लिये यह अच्छा तरीका होगा कि डिजोल्युशन की पॉवर आप अपने हाथ में रखें और सुपरसेशन का पंचायत समिति के हाथ में दें और पार्शियेलिटी से नहीं देखें वर्ना आपकी पार्टी के लोग ही कहेंगे. इधर के नहीं; आपकी तरफ के लोग ही हाउस में चर्चा करेंगे।

मैं समझता हूं, मंत्रीजी इस बात को मंजूर करेंगे और इस क्लॉज़ को डेफर करेंगे तो अच्छा रहेगा।

डॉ० **बहादुरसिंह** (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो ५६वां क्लॉज़ चल रही है उस पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य श्री चौधरी और श्री लड्ढाजी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उनका समर्थन करता हूं। जहां तक पॉवर का सवाल है, किसी पंचायत को सुपरसीड करना है, समाप्त करना है कार्यकाल से पूर्व और शिकायत पर तो उस सम्बन्ध में राज्य सरकार के पास शक्ति रहे। यदि सुपरसीड करना है तो उस पर विचार करना चाहिये। यह मानी हुई बात है कि हम सत्ता में परिवर्तन कर रहे हैं तो यह भी संभव

(डॉ० बहादुरसिंह)

है कि बहुत सी पंचायतें ऐसी हो सकती हैं जो कानून कायदे के अनुसार मनमानी कर सकें; जिसके अनुसार स्थानीय गांव को जिसमें वह पंचायत है, बजाय राहत के परेशानी हो। ऐसी स्थिति में संभव है कि उसको समाप्त करना पड़े। लेकिन यह लाज़िमी तौर पर नहीं कि वह सीधी सरकार की आज्ञा हो जाय या किसी की रिकमन्डेशन पर हो, यह सोचने की बात है। हो सकता है कि पंचायत अधिकारी किसी पंचायत के विकास के काम से ना खुश हो या किसी पंचायत का सरपंच बोल्डली बात करता हो। उसकी बात नहीं मानता हो। उससे नाराज होकर उस पर चार्ज लगा सकता है कि यह पंचायत ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। हो सकता है कि पंचायत की समझ ठीक न हो और जो अधिकार पंचायत से सम्बन्धित उसको दिये हैं उनको ठीक तरह से काम में नहीं ला रही हो तो वे सरकार को रिकमन्ड कर सकते हैं कि फलां पंचायत को सुपरसीड करना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि श्री लड्ढाजी ने परन्तुक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, वह ठीक बात है। जिला परिषद को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शासन तंत्र चलाने के लिये व्यवस्था बनाई है तो उसकी सिफारिश माननो लाज़िमी है। क्योंकि वह अच्छी प्रकार से देख सकती है कि इस पंचायत ने वास्तव में कितना काम किया और इसका यह जुर्म है इसलिये निर्वाचन काल से पूर्व समाप्त करना लाजिमी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो किसी पर गंभीर आरोप हो या नहीं, फिर भी सुपरसीड कर देंगे; क्योंकि राज्य सरकार के लिये सुपरसीड करना एक साधारण सी बात होगी। यदि किसी ने प्रेशर डाल दिया, मंत्रीजी के पास विशेष दबाव आ गया या किसी की सिफारिश आ गई, या किसी ने मंत्रीजी की विशेष धारणा अमुक पंचायत के सम्बन्ध में बनवा दी कि यह पंचायत बहुत खराब है तो यह आज्ञा होगी कि इसे जल्दी भंग कर दिया जाय, इसका विघटन करना चाहिये। ऐसी स्थिति में जब हम न्याय करने बैठे हैं, किसी के कार्यकाल को समाप्त करें तो उससे पहले गंभीरता से सोचना चाहिये और जो विघटन करना हो उसे जिला परिषद की राय पर करना चाहिये।

अब सवाल यह है कि विघटन कितने समय तक रखा जाय? इधर हमने प्रशासक रखने का अधिकार लिया है, जैसा कि म्युनिसिपैलिटीज़ में चलता है सरकार पर आरोप लगाया जाता है, जयपुर म्युनिसिपैलिटी को समाप्त कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया, इलेक्शन नहीं कराये। इसी प्रकार के बहुत से आरोप हो सकते हैं। इसलिये समय नियत कर दें कि प्रशासन २ महीने, ४ महीने, ६ महीने, १ साल या १० साल तक रहेगा। लेकिन इसकी मयाद होनी चाहिये। एक साल के अंदर अंदर निर्वाचन करवा लें तब तक वह काम करता रहेगा। क्योंकि जब तक खंड नहीं जोड़ा जायगा तब तक प्रशासक वाली बात यों ही रहेगी; जिस पर आक्षेप आने वाला है। सदन में विरोधी दल के सदस्य आक्षेप करेंगे और हमें मानना पड़ेगा। जब हम समाप्त करने जा रहे हैं तो मयाद रहनी चाहिये कि इतने समय तक प्रशासक रहेगा, ४ महीने तक ६ महीने तक या चुनाव के समय तक रहे तो इतने समय में चुनाव करा देंगे और इतने समय तक प्रशासक को नियुक्त करते हैं। उसके बाद

(डॉ० बहादुरसिंह)

जो पंचायत के विघटन का काम है, उसके बाद इलेक्शन कर देंगे। इस धारा का कुठाराघात पंचायतों पर रहेगा, जब तक प्रशासनवाली धारा लागू नहीं होगी। मैं समझता हूं कि यह कुठाराघात पंचायतों पर करें, वहां पंचायत के विघटन के लिए समय जरूर निर्धारित करें। उसके साथ ही साथ समय लम्बा नहीं ले लें, जैसा कि मूल एक्ट में है, छः महीने की व्यवस्था है, वह उपयुक्त है, और तीन महीने की व्यवस्था है वह उपयुक्त है, तीन महीने की और छः महीने की दोनों व्यवस्थायें उपयुक्त हैं। मैं समझता हूं कि जो समय की मयाद है उसमें दो महीने और बढ़ा दीजिये लेकिन छः महीने की मयाद है, उसको नहीं बढ़ायें। क्योंकि जैसा हमारा कायदा है, अगर सदन के माननीय सदस्य का स्थान रिक्त है तो लाज़मी तौर पर छः महीने के बाद इलेक्शन होगा। तो डेमोक्रेसी का सिद्धान्त है कि स्थान हमेशा के लिए रिक्त नहीं रख सकते। इस सिद्धान्त को मानते हैं तो लाज़मी तौर पर समय निर्धारित करना पड़ेगा और उस आक्षेप से बचना पड़ेगा, प्रशासक वाले से। इसलिए मैं समझता हूं कि जो संशोधन सदन के सामने है वह उपयुक्त है, श्री लड्ढा का जो संशोधन है, जिला परिषद्वाली बात है, उसको माना जाना चाहिए, वे उसके बारे में अपनी राय जाहिर करें कि पंचायत का कैसा काम हो रहा है। मैं समझता हूं कि दोनों संशोधन जो फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य श्री पी. के. चौधरी ने रखा है और श्री लड्ढा ने रखा है उनका समर्थन करता हूं, वे उपयुक्त हैं और माननीय मंत्रीजी को उन्हें मानना चाहिए और समयवाली बात रखनी चाहिए, यह उपयुक्त होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३६ में जिस प्रकार की व्यवस्था रखी गई है, तो यह मान भी लें कि सरकार को इस प्रकार का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि जो नगरपालिका विधेयक बनाया है उसमें यह अधिकार दिया है, जो पंचायत समिति और जिला परिषद विधेयक बनाया है उसमें भी अधिकार दिया है, पहले भी विधेयक में अधिकार दिया है, तो यह मान कर चलना चाहिए कि आइन्दा भी सरकार के पास यह अधिकार रहे; लेकिन यह अधिकार किस सीमा तक रहें, इस पर विचार करना चाहिए। इसमें एक बात है और जिस कारण से यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वह है कि सरकार के पास बार बार शिकायतें आयेंगी कि अमुक पंचायत को भंग कर दीजिये। सरकार ने इसमें यहां तक लिख दिया है : "or has exceeded or abused its powers thereunder, or persistently disobeys the orders of the State Government or the Panchayat Samiti or the officer in charge of panchayat" यानी पंचायत समिति के आदेश को पंचायत नहीं मानती है। अब प्रश्न आता है कि एक बात कानून में लिखी हुई है, कानून में लिखी हुई बात को किसी पंचायत द्वारा मानना अनिवार्य है और कानून की बात को पंचायत नहीं मानती है तो उसके लिए प्रारम्भ की धारा में लिखा है : "If at any time the State Government is satisfied that a panchayat is not competent to perform or persistently makes default in the performance of the duties

Page No.72

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

imposed on it by or under this Act..." तो 'ड्यूटीज़ इम्पोज्ड ऑन इट', वह तो है इस कानून को पॉवर। यदि कानून की पॉवर को नहीं मानती है तो पहली धारा में आ जाती है और उसको डिज़ोल्व या सुपरसीड़ सरकार कर सकती है, उसमें आपत्ति नहीं हो सकती। कानून की पॉवर जो आयद की गई है उसको नहीं मानती है तो उसको भंग कर दिया जाय तो कोई बात नहीं है लेकिन पंचायत समिति या इन्चार्ज ऑफ पंचायत जो है उसकी बात को नहीं मानती है तो भी भंग कर दिया जाय, यह बात समझ में नहीं आ सकती क्योंकि आज जो प्रजातंत्र है उसमें दलबन्दी है, पंचायत समिति में भी दलबन्दी है। वह पंचायत को एक आदेश देती है। अब पंचायत चाहती है कि एक कुआ इस जगह खुदवाया जाय और पंचायत दो तिहाई मेजोरिटी से यह तय कर लेती है, यह डेवलपमेंट का काम है, यह कुआ यहां खुदवाना चाहिये, अब पंचायत समिति कहती है, यहां पर नहीं, यहां पर खुदवाना चाहिए। तो इस प्रकार पंचायत समिति और पंचायत में झगड़ा हो जाता है और नौबत यह आ जाती है कि पंचायत समिति आदेश देती है और पंचायत उसको मानती नहीं। वह अपनी दृष्टि से उस बात को सच मानती है, यह काम ठीक है। इस पर झगड़ा होता है और पंचायत समिति सरकार को लिख देती है कि यह पंचायत बराबर निवेदन करने पर भी हमारे आदेश को नहीं मानती है, इसलिए इसे भंग कर देना चाहिए। इसके बाद सरकार के पास कोई आधार नहीं है। सरकार के पास आधार है कि क्योंकि पंचायत समिति ने लिखा है इसलिए इसे भंग कर देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, हमने जो नगरपालिका विधेयक बनाया था, उसमें वर्णित किया था कि यदि किसी नगरपालिका को भंग करने का प्रश्न है तो सरकार उसको भंग करने का अधिकार सीधे नहीं लेती है। उसके लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, यानी जो म्युनिसिपैलिटी को भंग करने का अधिकार लिया उसके लिए पहले नगरपालिका के ऊपर सरकार चार्ज शीट लगाये, और उसको कमेटी को भेज दे। जिस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज की हैसियत का व्यक्ति बैठेगा, वह कमेटी तय करेगी कि पंचायत समिति, नगरपालिका के ऊपर जो चार्ज शीट लगाई है, वह सच है या गलत है। इतनी बात आने के बाद नगरपालिका को सरकार भंग कर सकती है। लेकिन पंचायत को भंग करने के लिए सरकार ने दोहरी नीति लगाई है, जो कानून म्युनिसिपैलिटी को भंग करने के लिए है,

२-४ म. प

(श्री मोतीलाल, सभापति, पदासीन)

वह का वह कानून, वह की वह व्यवस्था पंचायत के लिए लगा देते, तो मैं समझता हूं कि सीधी बात होगी। यदि यह कहा जाय कि पंचायतों की संख्या अधिक है, तो अगर अधिक है तो जिला कमेटी का निर्माण कर सकते हैं प्रत्येक जिले में। कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया था कि जिला परिषद् को हक होना चाहिए, जिला परिषद् को यह कहने का अधिकार होना चाहिए कि इस पंचायत पर जो निर्णय लिया गया है वह सही है या नहीं और जो कमेटी हम बनायें उसमें

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

डिस्ट्रिक्ट जज नहीं हो, उसमें जिला परिषद् का प्रमुख हो या जिला परिषद् के किसी मेम्बर को नोमीनेट करके ले लीजिये। वह कमेटी इस पर विचार करे कि वास्तव में पंचायत को भंग करना उचित है या नहीं है, उसके बाद वह कमेटी निर्णय ले और वह राज्य सरकार के पास आये। उसके ऊपर राज्य सरकार विचार करके निर्णय लेती है। तो मैं समझता हूं कि कोई बात हो सकती है जिसके लिए यह कह सकते हैं कि यह न्याय-संगत है। लेकिन बिना कमेटी का निर्माण किये इस प्रकार का अधिकार, जिसके लिए कह सकते हैं कि यह जुडिशियल पॉवर है, राज्य सरकार ले लेती है, सीधे राज्य सरकार पंचायत को भंग करने का अधिकार ले लेती है और किसी पंचायत समिति की प्रार्थना पर भंग कर देती है तो सभापति महोदय, सारी पंचायतों में इस प्रकार की दिक्कत आयेगी क्योंकि हम देखते आये हैं कि पंचायत समिति में एक मत के बहुमत से, दो मत के बहुमत से प्रधान बनता है। आधी पंचायत उसकी विरोधी है और वह देखता है कि कल अविश्वास का प्रस्ताव आ जायगा और इसके अलावा पंचायत समिति देखती है कि यह सरपंच है, जो मेरे खिलाफ काम करने वाला है, तो वह सरकार को लिख दे कि फलां पंचायत को भंग कर दिया जाय। तो इस प्रकार राज्य सरकार के पास हजारों दर्ख्वास्तें आयेंगी पंचायत समिति की कि कभी इसको भंग करो, कभी उसको भंग करो। तो इस प्रकार का जो प्रावधान किया गया है इसके लिए फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है कि इसको डिलीट कर दिया जाय, इसका मैं समर्थन करता हूं कि इस प्रकार जो पंचायत समिति की प्रार्थना पर डिज़ोल्व करने का, सुपरसीड करने का अधिकार दिया है वह नहीं दिया जाना चाहिए। हमने जो कानून में वर्णन किया है और जो कानून की मन्शा है उसको देखते हुए अगर पंचायत को भंग करते हैं तो उसके लिए एक जुडिशियल अधिकारी तय हो जाय जिसके आधार पर किसी पंचायत को भंग करने का अधिकार होना चाहिए, अन्यथा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो पुराना एक्ट था उसके अन्दर, सभापति महोदय, इस प्रकार का निर्देश था कि दो महीने में सरकार पंचायत का पुनर्गठन कर देगी। उसके अन्दर टाइम लिमिट थी। नगरपालिका के विधेयक में भी टाइम लिमिट थी कि किसी नगर-पालिका को भंग करने के बाद सरकार छः महीने में पुनर्गठन कर देगी। पुराना पंचायत एक्ट है, उसमें भी है। अब नया एक्ट बनाते समय, जब कि सरकार ने कहा कि हम कन्सो-लीडेट करना चाहते हैं, उसके साथ में सरकार ने यह किया कि जो पहले धारा थी निश्चित अवधि की, जिसके अन्दर पंचायत का पुनर्गठन हो जायगा, वह बात हटा दी। अब सरकार की क्या मन्शा है ? हम देखते हैं कि कई पंचायतें, जिनकी अवधि समाप्त हो गई है, दो वर्ष, तीन वर्ष बीत गये, लेकिन सरकार उनके चुनाव नहीं करा रही है। उसका टाइम बढ़ता जा रहा है, तो अब दूसरा प्रावधान १९६१ का कर दिया है, वह इस धारा से कवर हो गया। अब ६ महीने का अंकुश नहीं रहेगा। जहां पंचायत की अवधि समाप्त हो जाती है, पंचायत को डिज़ोल्व या सुपरसीड कर देते हैं तो चुनाव करवाने की बाइन्डिंग हो जाती है, वह नहीं होती है।

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

जब आपकी मर्जी होगी तब चुनाव करेंगे, अन्यथा जो दूसरा प्रावधान रख रखा है अपॉइन्टमेंट का। जब सरकार देखेगी कि चुनाव नहीं करवाना है, तो पंच, सरपच का अपॉइन्टमेंट कर देगी। इसलिए निश्चित अवधि देनी चाहिए, कम से कम दो महीने की होनी चाहिए और अधिक से अधिक छः महीने ले लें तो उसके अन्दर सरकार के द्वारा चुनाव करवा देने चाहिए, इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए। जब तक ये दोनों प्रावधान नहीं होंगे तब तक सरकार जो अधिकार इस क्लॉज़ के अन्तर्गत ले रही है, उसका दुरुपयोग होने की संभावना अधिक है। इसलिये मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इस पर विचार करें। यह क्लॉज़ तो अभी डेफर होने वाला है, इसमें कमेटी को सरकार ने फिर घुसेड़ दिया है। डेफर होने पर मन्त्री महोदय इस पर विचार करें और फिर निर्णय लें, ऐसा मेरा निवेदन है।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री सभापति : श्री तेजमल बापना।

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) : सभापति महोदय,....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) On a Point of clarification, Sir. माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से जानना चाहूँगा कि जिन पंचायतों को डिज़ोल्व या सुपरसीड किया जायगा, जिनका री-कॉन्स्टीट्यूशन फिर होगा, उनका पीरियड ऑफ टर्म कब से ट्रीट करेंगे ? इलेक्शन के बाद एक साल वह काम कर पाई और उसे डिज़ोल्व कर दिया, सुपरसीड कर दिया फिर री-कॉन्स्टीट्यूट हुई तो जो री-कॉन्स्टीट्यूट हुई है उसका तीन-चार साल का पीरियड समझा जायगा ? एक साल खत्म हो गया है वह भी शुमार किया जायगा या दुबारा इलेक्शन करायेंगे उससे गिना जायगा ? इसका जरा स्पष्टीकरण कर दें तो बहस में सुविधा होगी।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मन्त्री) : यह तो डेफर की जाने वाली है, आप सब सुझाव दे दें, उन सबका उत्तर मैं अन्त में दे दूँगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तो चाहता था कि इस क्लॉज़ में प्रोविज़न रखना चाहते हैं तो उनकी मंशा क्या है ? या तो कह दें कि मुझे जानकारी नहीं है, पर बिल को पायलेट कर रहे हैं जानकारी तो होनी चाहिये। इसलिये सदन को प्रकाशित करेंगे कि सरकार की क्या नीति है ? डिज़ोल्यूशन, सुपरसेशन के बाद फ्रेश इलेक्शन करायेंगे तो उस दिन से उसका टर्म ऑफ पीरियड माना जायगा या डिज़ोल्यूशन, सुपरसेशन से पहले एक साल काम किया है वह समय भी शुमार किया जायगा ?

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): सुपरसीड कर के ४ वर्ष रह जाय तो पंचायतों का तो टर्म ३ वर्ष का ही है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वैसे ४ वर्ष की तो मयाद अपने आप हो जाती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कॉन्स्टीट्यूट होने के बाद दो साल बाद डिज़ॉल्व कर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दें, चुनाव होगा एक वर्ष में तो वह एक साल के लिये ही होगी या ४ साल के लिये ?

श्री तेजमल बापना : सभापति महोदय, ७३ के स्थान पर नई धारा रखने का प्रावधान प्रस्ताव रखा गया है और इस सम्बन्ध में दो–तीन सुझाव पेश किये गये हैं। मैं शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य के संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ३ बीं. में स्टार्ट फंक्शनिंग फिर से होगा तब से करेगी। आप फिर से पूछ लें, आपने अंदाज से जवाब दे दिया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : लॉजिकल जवाब तो यही है जो मैंने दिया है।

श्री तेजमल बापना : सभापति महोदय, आज जो पंचायतें हमारे यहां काम कर रही हैं उनमें साधारणतया देखा जाता है कि कई गलतियां होती हैं, कई काम ऐसे हैं जिन पर नियन्त्रण होना जरूरी है। ५३ में एक्ट पास किया। उसमें धारा ७३ इसलिये थी कि गवर्नमेंट जब भी पंचायत या तहसील पंचायत के काम को अनुपयुक्त समझती है और वे यदि गवर्नमेंट के आदेश को नहीं मानती हैं तो उनको सुपरसीड किया जा सकता था। उसमें एक प्रावधान बहुत सुन्दर था कि जब सुपरसेशन होता था तो २ महीने के अन्दर अन्दर वापिस चुनाव कराने का प्रावधान था। ७३ का नया सब्स्टीट्यूशन किया है उससे उस अवधि को समाप्त कर दिया है और जब भी चाहे 'इमीजियेटली ऑन सच एक्सपायरी' यह धोखे में डालने वाली चीज है। इसलिये उन्होंने संशोधन दिया है कि कम से कम एक साल में तो रीकॉन्स्टीट्यूट हो जाना चाहिये। वैसे एक साल की अवधि बहुत ज्यादा है, फिर भी कम से कम एक साल में तो रीकॉन्स्टीट्यूट हो जानी चाहिये।

दूसरा यह है कि गवर्नमेंट के सामने कोई सुझाव हो, कोई शिकायत सीधी आये तो उस पर जांच होना, जिला परिषद् की राय लेना यह भी जरूरी और आवश्यक चीज़ है। जिला परिषद् तो नुमायश के तौर पर है, नुमायश के तौर पर इस बॉडी को कायम किया गया है, ऐसे उनके ख्याल हैं लेकिन यदि इससे कुछ काम लिया जाय तो ये बहुत उपयोगी साबित हो सकती हैं। तो जिला परिषद् जब सिफारिश करे तभी सरकार इस धारा का उपयोग करे, यह सुझाव वास्तव में उचित है। क्योंकि सरकार मानती है कि जिला परिषद् एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। पंचायतों के लिये, पंचायत समितियों के लिये तो इनको डिजॉल्व करना हो, सुपरसीड करना हो तो पहले जिला परिषद् को अधिकार देना चाहिये कि वह इस मामले में पूरी तरह से जांच करें। जांच के बाद उनको दृष्टि में सही माना जाय कि वास्तव में उस पंचायत का काम ऐसा है जो पंचायत समिति, जिला परिषद् या सरकार के आदेशों का पालन नहीं करती है, एक्ट में दिये हुए प्रावधानों का पालन नहीं करती है तो उसको भंग किया जाय। इसमें इतना सुझाव दूंगा कि गवर्नमेंट के पास सीधी शिकायत आ जाय तो गवर्नमेंट बिना जिला परिषद् की राय के, बिना जिला परिषद् की स्वीकृति के कोई एक्शन नहीं ले, यह उनका सुझाव है। इसका मैं समर्थन करता हूं। इसके साथ ही साथ मैं

(श्री तेजमल बापना)

एक बात और ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो इस क्लॉज़ के सब-क्लॉज़ (३) में बताया है, एक पंचायत को डिज़ॉल्व या सुपरसीड करते हैं और वापिस उन्हीं पंचों और सरपंचों को अधिकार देते हैं कि वे री-इलेक्शन में आ सकते हैं। उनके कामों को देखते हैं तो जिन कामों की वजह से पंचायत को सुपरसीड किया जाता है तो उस पंचायत के उस काम में प्रमुख भाग लेने वाले हैं उनके ऊपर रोक लगानी चाहिये कि नया इलेक्शन हो उसमें कुछ समय के लिये मौका नहीं दिया जाय। जैसा कि हमने पंचायत समिति में प्रावधान किया है कि यदि पंचायत समिति को सुपरसीड किया जाता है तो पंचायत समिति के मेम्बर दुबारा नहीं आ सकते हैं, ऐसा प्रावधान उसमें है तो इसमें भी इस प्रकार का प्रावधान रखना चाहिये कि जो गल्ती करते हैं, ऊपर की कमेटीज़ का आदेश नहीं मानते, हैं नियमों का पालन नहीं करते हैं, अपने अधिकार क्षेत्र का काम नहीं करते हैं और मनमाने जो काम करते हैं उन पर कुछ न कुछ कन्ट्रोल होना चाहिये। इसलिये जो अमेंडमेंट क्लॉज ५६ के सब क्लॉज (३) के (ए) में बताया गया है " the sarpanch and all panchas thereof shall on the date specified in the order of dissolution, vacate their respective offices but without prejudice to their eligibility of re-election or re-appointment or re-co-option, " उसका मैं विरोध करता हूं कि जैसा पंचायत समिति ने एक्ट में प्रावधान किया है कि कुछ अवधि के लिये साल हो या दो साल हो उसमें पंच और सरपंच वापिस पंच और सरपंच के लिये खड़े नहीं हों, ऐसा प्रावधान इसमें होना जरूरी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन माननीय मन्त्री की कुछ प्रेरणा ऐसी हुई कि जिसने बोलने के लिये मजबूर किया और वह प्रेरणा इस बात से हुई, सभापति महोदय, कि मैंने माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहा था कि जिन पंचायतों को भंग किया जावेगा तो उन्हें भंग करने के बाद उनका दुबारा निर्वाचन होगा या जिसका रीकॉन्स्टीट्युशन होगा उसका कार्य-काल क्या होगा ? माननीय मन्त्री ने उत्तर दिया कि किसी पंचायत को दो वर्षों में भंग किया और पंचायतों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है तो एक वर्ष तक वह दुबारा काम करेगी। मैंने जो कानून थोड़ा सा देखा और ५६ की सब-क्लॉज (३) के तहत (बी) क्लॉज़ है उसको पढ़ा " (b) the panchayat shall be reconstitued before the date specified in the order of dissolution by the election, co-option or appointment in accordance with the provisions of this Act of the sarpanch and panchas as if the term thereof will be expiring on the date just preceding such date and shall start functioning on such date. "मैं समझता हूँ कि अगर इसका लीगल इन्टरप्रिटेशन निकाला जावे तो यही अर्थ होता है कि वह पुरानी पंचायत डिजोल्यूशन की डेट तक इफेक्ट में रहेगी और उसके साथ ही उस तारीख को समाप्त हुई समझी जावेगी और दुबारा चुनाव हो जाने के बाद पूरी अवधि तक काम करती रहेगी; यह ठीक है। मगर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा कि लॉजिकल बात है। लॉजिक की बात और है और लीगल बात

(श्री सम्पतराम जैन)

होती है। किसी भी पंचायत को आप लॉजिक के आधार पर भंग नहीं कर सकते हैं। जब आप किसी पंचायत को भंग करते हैं तो उसको लीगल आधार पर ही भंग कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि यदि लॉजिक के आधार पर चलते रहे तो राजस्थान की पंचायतों को बहुत बड़ा खतरा है। राजस्थान में जिसमें राजनैतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण पंचायतों के आधार पर करने जा रहे हैं और न्याय पंचायतों का पुन: गठन कर रहे हैं, मेरी तो यह मान्यता है कि पंचायतों के कानून में तीन दिन के लिये बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी में विचार हुआ जिसके कारण कई प्रकार की उलझन और झगड़े करने पड़े और असुविधाएं सामने आई और उसके बाद उनकी अवधि को आगे बढ़ाना पड़ा। इस डिबेट का कारण यह है कि इस बिल को पाइलोट करने वाले माननीय मन्त्री कानून के बारे में नहीं जानते। उनको यह जानकारी नहीं कि कानून क्या है, कानून में लिखा क्या है, कानून की लीगल पोजिशन क्या है, लीगल इफेक्ट इसका क्या होगा माननीय मन्त्री महोदय कानून समझते नहीं और जिस समय उनसे पूछा जाता है तो सदन में यह कहते हैं कि लॉजिक तो यह कहती है लीगल पोजिशन का पता नहीं। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर कानून की उनको जानकारी नहीं है, अगर वे कानून को समझ नहीं सकते, कानून अगर उनकी समझ में नहीं आता है तो कानून के इतने बड़े अधिकार को अपने हाथ में लेने का उनको कोई अधिकार नहीं है और उनको इस प्रकार के अधिकारों को अपने हाथ में नहीं लेने चाहिये। म्युनिसिपल एक्ट में इसके लिये राज्य सरकार ने कमेटी बनाने का निर्णय कर लिया है और यह रखा है कि उसका चेयरमैन हाई जुडिशियल ऑथोरिटी का रहेगा और वह फिर निर्णय करेगा। लेकिन यहां किस पंचायत ने किस सरकारी आदेश की अवहेलना की, किसने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया; जिसके दूसरे भी कारण हो सकते हैं, चाहे किन्हीं कारणों से पंचायतों को भंग करने जा रहे हैं, जिन्हें आपने सुनवाई का अधिकार दिया है; पंचायतें के केसेज़ सुनेंगे। पंचायतें कहेंगी कि किस कानून के अन्तर्गत आप हमें भंग कर रहे हैं? हमने कर्तव्यों का पालन नहीं किया हो, ऐसा नहीं है। जब आपके सामने बहस होगी और मुकदमें और मामले पेश होंगे, सभापति महोदय, जब इस प्रकार की बात होगी, मामूली सुनाने वाले नही होंगे, कानून वाले पैरवी करने वाले होंगे जो कानून के जानने वाले होंगे। उस समय क्या कहा जावे कि जज की कुर्सी पर बैठने वाले, निर्णय करने वाले कानून के बारे में कानून समझे नहीं और लॉजिक के बेसिस पर काम करते हैं तो वहां पर लॉजिक किस तरह चलेगी? कल को कोई आदमी कह दे कि डेमोक्रेसी में यदि आप सुनवाई करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में यह आवेगा कि लॉजिक यह डिमान्ड करेगी कि इसलिये इस प्रकार का फैसला देना होगा। अगर आपने लोजिक पर कोई फैसला किया तो वह फैसला लीगल नहीं होगा? जुडिशियस नहीं होगा। मैं समझता हूं कि कानून में और लॉजिक में फैसला करने में बड़ा अन्तर है। कानून और लॉजिक को एक साथ नहीं मिलाया जा सकता है। माननीय मन्त्री महोदय ने इनके भेद को नहीं समझा है। हमें तो यह देखना है कि कौनसी ड्यूटी उनकी इम्पोज्ड है, कौनसी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बीच की है और किन कारणों से हम उन्हें सस्पेन्ड या डिजॉल्व करते हैं। जब तक आप इन सारी बातों को समझेंगे नहीं और समझते नहीं और अपने हाथों में अधिकार लेने के शौक से अधिकार लेते हैं तो वह एक ऐसी ही बात होगी जैसी किसी आदमी को तलवार चलाना तो आता नहीं और तलवार रखने का उसको शौक है। तलवार चलाने के शौक में दूसरों की गर्दन काटने के बजाय अपनी कर्दन काट लेता है ! मैं समझता हूँ कि इन बातों पर गंभीरता से सोचना चाहिये। मगर आपको इस बात का शौक होता है कि आपके पास अधिक से अधिक अधिकार रहने चाहिये। आप लीजिये। आप अधिकार लेकर यह समझते हैं कि मेरे पास मेरे नीचे सारी पंचायतें हैं और मैं जैसा चाहूँ कर सकता हूं। ये सब मेरे मातहत हैं। मैं जब चाहूँ उनको सस्पेन्ड कर सकता हूं, भंग कर सकता हूं। जिनकी चाहूं मयाद बढ़ा सकता हूँ और जैसा चाहूँ कर सकता हूं। आप इस प्रकार के अधिकारों की भावना रखते हैं और रख सकते हैं और यह भी चाह सकते हैं कि सर्व भौम सत्ता भी आपके नीचे रहे। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की सारी व्यवस्था से पंचायत के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ किया जावेगा। अगर ऐसा होगा तो मैं समझता हूँ कि पंचायतों का भविष्य किसी प्रकार से राजस्थान में अच्छा नहीं रह सकता। जिस समय सस्पेन्शन के बारे में, लोकल बॉडीज के बारे में जब सदन में प्रश्न खड़ा हुआ था तो उस समय सदन के माननीय सदस्यों ने उसका विरोध किया। आखिर राज्य सरकार को यह मान कर चलना चाहिये कि हमारे यहां की पंचायतें हमारी आज्ञाओं की अवहेलना क्यों करेगी हमारी पंचायत समितियों के आदेशों को क्यों नहीं मानेंगी ? हमारे यहां की पंचायतें अपने कर्त्तव्यों का पालन करेंगी। आपको इस सम्बन्ध में सन्देह क्यों है ? जिस समय हम इस प्रकार की शंकाएं करते हैं उस समय आप यह कहते हैं कि आपको सन्देह क्यों होता है ? मैं अब उनसे यह कहूंगा कि अब वे इसमें सन्देह क्यों करते हैं और इस सन्देह के आधार पर वे सारी सत्ता अपने हाथों में लेने जा रहे हैं कि जब चाहें उनको सस्पेन्ड कर दें या भंग कर दें।

मैं तो फन्डामेंटली इस सिद्धान्त के खिलाफ हूँ कि किसी भी इलेक्टेड बॉडी और इन्स्टीट्युशन को चाहे वह कोई दूसरा इन्स्टीट्युशन हो या बॉडी हो जो चुन कर आता है, जो निर्वाचन में जीत कर आया है उसको भंग नहीं करना चाहिये। अगर पंचायतें खराब काम करेंगी, अगर विकास का काम नहीं करेंगी और मैं समझता हूँ कि अपने कर्त्तव्यों में किसी प्रकार की गिरावट लावेगी तो वहां के जितने मत-दाता हैं वे उनको हटा देंगे। बहुमत से उनको हटाने का अधिकार उनको है। राजस्थान की विधान सभा में ही देख लें। हिन्दुस्तान में हमने डेमोक्रेसी, प्रजातन्त्र की व्यवस्था दी है। हम विधान सभा में चुन कर आते हैं। हमारी गवर्नमेंट बनती है। अगर राजस्थान सरकार के बारे में यदि कोई यह कहे कि वह भंग कर दी जाए या सस्पेन्ड कर दी जाय यदि वे अपने कर्त्तव्यों में गिरावट लाए तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार दूसरे स्थानों की सरकारों के मुकाबले में पहली सरकार होगी जो भंग हो सकती है। राजस्थान के मन्त्री महोदय और हुकूमत में सबसे ज्यादा कर्त्तव्यों

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

में गिरावट आई है और वह इस मामले में सबसे ज्यादा कामयाब हुई है। इसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है और राजस्थान की पब्लिक त्राहि-त्राहि करती है। आन्दोलन भी चलाये हैं। क्या यह कारण डिज़ॉल्व करने में पर्याप्त नहीं हो सकते ? पर्याप्त हो सकते हैं कि आपको डिज़ॉल्व कर दिया जावे और दूसरा शासन यहां पर आ जावे, मगर मैं समझता हूं कि सभापति महोदय, यह उचित नहीं है।

कॉम्युनिस्ट राज्य के बारे में बहुत सी बातें कही। मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन संकेत मात्र ही करूंगा। मैं कोई कॉम्युनिस्ट राज्य का पक्षपाती नहीं हूं, मैं समझता हूं कि हमारा दल कॉम्युनिस्टों से भिन्न राय रखता है। लेकिन जो लोग देश में लोकतन्त्र के हामी हैं यदि वे लोकतंत्र और प्रजातन्त्र को जिन्दा रखना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा कि उनको इस प्रकार के अधिकारों को अपने हाथ में लेना नहीं चाहिये। अगर वे लेते हैं तो हमारे जनतन्त्र को खतरा है और हमारे जनतन्त्र की कब्र खोदना होगा। इसलिए नहीं था कि कोई हम कॉम्युनिस्ट गवर्नमेंट के, या कॉम्युनिस्ट रीज़िम के पक्षपाती थे या कॉम्युनिस्टों की हुकूमत को चाहते थे। देश में कॉम्युनिस्टों की हुकुमत कहीं न हो, मैं और मेरा दल सबसे ज्यादा इसके विरोधी हैं। एक विचार खड़ा हुआ। यह सब कुछ होने के बाद, मैं आप को याद दिलाऊं कि इसी राजस्थान में, राजस्थान की इसी हुकूमत के समय में दो साल पूर्व जयपुर में और राजस्थान के पूर्वी भाग में एक जबरदस्त आन्दोलन हुआ। हाई कोर्ट की मांग को लेकर एक जबरदस्त जन-आन्दोलन हुआ, लाखों लोगों ने मांग की आवाज़ बुलन्द की कि जयपुर में हाईकोर्ट की, बैंच रहनी चाहिये, हाईकोर्ट यहां से नहीं हटाई जानी चाहिये। बड़ा भारी आन्दोलन हुआ। दुनिया के इतिहास में २॥ महीने की हड़ताल कहीं नहीं हुई, जिस प्रकार का आन्दोलन यहां हुआ। लोगों ने मांग की, जेलों बैठ कर यह मांग की और कहा कि राजस्थान में प्रेसिडेन्ट का रूल होना चाहिये। राजस्थान की हुकूमत द्वारा लोगों के हकों पर कुठाराघात किया जाता है, जनता की जनतांत्रिक मांगों को ठुकराया जाता है, राजस्थान की सरकार में आये दिन ये चर्चायें आती रहती हैं कि भ्रष्टचार है, करप्शन है, नीचे से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों में करप्शन है, भ्रष्टाचार है और यहां तक कि मंत्रि-मंडल के कतिपय सदस्यों के आचरण के प्रति भी गंभीर आरोप हैं और लगाये गये हैं, क्यों न यह मांग की जाय कि यहां पर राष्ट्रपति का शासन हो ? लेकिन हमने इस मांग का विरोध किया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : गवर्नमेंट के खिलाफ भ्रष्टाचार की बात इस पंचायत बिल में कहां से आ गई ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमने उस मांग का विरोध किया। हमने कहा कि हम राजस्थान की सरकार को भंग करने की बात नहीं कहेंगे, हम इस प्रकार की हुकूमत को बर्खास्त करने की बात नहीं कहेंगे क्योंकि यह इलेक्टेड बॉडी है। विधान सभा को बर्खास्त करने की मांग नहीं करेंगे। यह इलेक्टेड बॉडी है, १॥ करोड़ राजस्थान की जनता ने अधिकार दिया है, उनके प्रतिनिधि

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

यहां बैठ कर कार्य करें, यदि शासन में भ्रष्टाचार है, करप्शन है, दूसरे चुनाव आने पर उसको बदला जा सकता है । यह व्यवस्था नहीं हो सकती कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में राजस्थान में किसी को बैठा दिया जाय और जो इलेक्टेड बॉडी की व्यवस्था है उसको भंग कर दिया जाय । हमने इसका विरोध किया । हमने यह महसूस किया था कि जो मांग की जा रही है, जिस बात को लेकर मांग की जा रही है वे सारी बातें सत्य हैं, कोई बात उनमें झूठी नहीं है । मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां पर केरल में कॉम्युनिस्टों की हुकूमत में ७०- ८० परसेन्ट करप्शन है, भ्रष्टाचार है तो यहां राजस्थान की हुकूमत में २०० परसेन्ट करप्शन है, भ्रष्टाचार है, राजस्थान की सरकार इन मामलों में पहले भंग होनी चाहिये । लेकिन हमने यह मांग नहीं की । इसलिए मांग नहीं की कि यह प्रजातांत्रिक शासन है, लोकतन्त्रीय प्रणाली में इस प्रकार का लोकतन्त्रीय शासन को मौका देना चाहिये कि अपने पर आरोप हैं उनको ठीक प्रकार से दुरुस्त करें । आज भी मांग करते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स हैं, डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन का जो बेस है और जिसको हमने बेस माना है और जिसको बेस बनाने जा रहे हैं वे हमारी पंचायतें हैं और उनके द्वारा सारे राजस्थान का हम शासन चलाना चाहते हैं, उन पंचायतों को थोड़े से अधिकार दिये हैं और उनको थोड़े से अधिकार देने के साथ साथ, सभापति महोदय, हम उनकी गर्दन पर छुरी फेरना चाहते हैं, उनकी गर्दन पर तलवार लटकाना चाहते हैं । मैं तो कहूंगा कि आपका एक निगेटिव एप्रोच है, इससे उनका गला कट सकता है काटा जा सकता है और कहते हैं कि ऐसा काम करेंगे तो तुम्हारी गर्दन पर छुरी चला देंगे, तुमको भंग कर देंगे, सुपरसीड कर देंगे । मैं कहता हूं कि आज हमारे इस निगेटिव एप्रोच की जरूरत नहीं है । होना तो यह चाहिये था कि उन पंचायतों को जिनको कि हमने अपने डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्युशन्स का बेस माना है, अधिक से अधिकार दें, विकास के काम हों, भूमि के काम हों, सार्वजनिक हित के काम हों, प्रशासन के काम हों, रेवेन्यू कलेक्शन के अधिकार हों, उनके साधनों के विकास में अधिकार हों, उनके कारण उनका शासन में पार्टीसिपेशन होगा । यदि उनके पंच, सरपंच जनता के भले के काम नहीं करते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करते हैं, अपने कर्त्तव्यों का वे पालन नहीं करते हैं तो उनके जो मत दाता हैं यह उनके ऊपर ही छोड़ दीजिये, आगे इलेक्शन में वे उनको वोट नहीं देंगे ! यह व्यवस्था कॉन्स्टिट्युशन में भी की गई है । जिस कॉन्स्टिट्युएन्सी में, जिस निर्वाचन क्षेत्र में उनके प्रतिनिधि कार्य न करें, अपने कर्त्तव्यों का पालन न करें, कान्स्टिट्युशन में यह व्यवस्था नहीं की गई है कि उन निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधियों को वापिस बुला सके ! अथवा उनको हटाया जा सके । कहीं इस प्रकार की मांग नहीं की गई है कि हटा दिया जाय । वह व्यवस्था कहीं नहीं है कि इलेक्टिव रिप्रेज़ेन्टेटिव अपने क्षेत्र के प्रति वफादार न रहता है, अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करता है, विधान में कहीं नहीं यह रखा है । विधान सभा के सदस्य हैं, उनके जो प्रतिनिधि चुन कर गये हैं, वे उन कर्त्तव्यों से विमुख हो गये हैं तो उनको वापिस बुला लिया जाय अथवा उनको

Page No.81

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अपने पद से हटा दिया जाय। मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, कई माननीय सदस्य हो सकते हैं। यदि वे अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करते हैं, सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेते, कोरम के लिए बार बार घंटी बजानी पड़ती है क्योंकि १८ सदस्य होने चाहिये, इसका मतलब यह नहीं है कि उनको सदन से निकाल दिया जाय और उनका इलेक्शन सेट-असाइड कर दिया जाय। जिस पंचायत राज्य की आप कल्पना कर रहे हैं, उन पंचायतों के जरिये से हमारे राजस्थान का समूचा विकास का कार्य हो, लोगों का आर्थिक विकास हो, उनको सुख सुविधा उपलब्ध हो। वह ग्राम राज्य की कल्पना सफल नहीं होगी यदि उन पंचायतों को आपके अधिकार द्वारा संचालित करा कर उसको सुपरसीड करने की कोशिश करते हैं। आपकी यह ग्राम राज्य की कल्पना सफल नहीं होगी। पंचायत में जो प्रशासक नियुक्त होंगे उनको उन ग्रामों के भले के लिए चिन्ता नहीं होगी किन्तु उसको चिन्ता यह रहेगी कि पंचायत का मंत्री किस प्रकार से खुश रहना चाहिये, कर्त्तव्य का पालन हो या न हो। जहां पर पंचायतों में प्रशासकों द्वारा कर्त्तव्यों का पालन होगा वहां पर पंचायत के मंत्री खुश नहीं रहेंगे और जहां पर कर्त्तव्यों का पालन नहीं होगा वहां पर पंचायत मंत्री खुश रहेंगे और उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता है। कर्त्तव्यों का पालन होगा और मंत्री महोदय खुश नहीं रहेंगे तो गर्दन पर छुरी चला देंगे। जहां पंचायतों में मंत्री आयें और उनके स्वागत की बात हो तो १५) के प्रोविज़न के बजाय ५०) रु० तक खर्च हो और अधिक से अधिक खर्चा किया जावे। इस प्रकार के प्रोविजन का हमने विरोध किया। मैं उस प्रसंग में नहीं जाना चाहता। लेकिन इस प्रकार से होगा कि जो पंचायतें मंत्री महोदय की कृपा-पात्र होंगी, उन पर उनका वरद् हस्त होगा और मंत्री महोदय की वृद्धावस्था के कारण उनको अभयदान मिल जायगा और जिन पर उनकी टेढ़ी नजर होगी वे पंचायतें खत्म हो जावेंगी ; ऐसी व्यवस्था इसमें चाहते हैं और इस प्रकार की व्यवस्था रख कर पंचायतों को सुपरसीड कर दिया जावेगा और एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया जावेगा। किसी पंचायत के लिए जिन पर सरकार की टेढ़ी नजर होगी, जो सरकार की कृपा पात्र नहीं होगी उस पर राज्य सरकार एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करेगी। यह व्यवस्था, मैं समझता हूं, जब सरकार मंजूर करे, लागू करे जब सरकार यह कहने की स्थिति में हो कि आज राजस्थान में जितनी म्युनिसिपैलिटियां हैं और पंचायतें हैं, जिन म्युनिसिपैलिटीज़ पर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई, जिन म्युनिसिपैलिटीज़ पर प्रशासक नियुक्त हैं उन एडमिनिस्ट्रेटर्स का, उन प्रशासकों का कितना उज्जवल काम हुआ है, उन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की है, कोई घोटाला नहीं किया है, भ्रष्टाचार नहीं किया है, मैं कह सकता हूं कि उनके कार्य-काल में कोई ज्यादती नहीं हुई। मंत्री महोदय शायद कहने की स्थिति में नहीं हैं, भूतपूर्व मंत्री महोदय पीछे से टोंटिंग कर रहे हैं....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं तो कुछ नहीं कह रहा था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं बोलता हूं तो बार बार आप सदन छोड़ कर चले जाते हैं।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

प्रशासकों का अनुभव सदन के माननीय सदस्यों को है, विशेषकर मुझे है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जिन पंचायतों में एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करेंगे सीधा हस्तक्षेप सरकार का पंचायतों में हो जावेगा। कई माननीय सदस्यों ने ये संशोधन रखे कि जिला परिषद् का जब तक सजेशन न आवे, रिकमन्डेशन न आवे तब तक पंचायतों को भंग नहीं करना चाहिये। यह सुझाव इसलिए दिया है कि इस पर जिला परिषद् पहले गंभीरता से विचार करे। सारे जिले के बारे में यदि उपयुक्त तरीके से कोई इन्स्टीट्युशन है तो इस समय जिला परिषद् है। सरकार और पंचायतों के बीच में यदि कोई इन्टरमिजियेरी है तो वह जिला परिषद् है। उसको तो आपने उड़ा दिया। आप चाहते हैं कि सरकार पंचायतों को खत्म करे, उनमें एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करे और सरकार ने उनमें प्रशासक नियुक्त कर दिये तो सरकार और प्रशासक का सीधा सम्बन्ध हो जावेगा। एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में होगा यदि पंचायत की सर्विस में किसी को मुकर्रर किया जाय और पंचायतों में किसी को नौकरी पर लगाना है तो एडमिनिस्ट्रेटर के कृपा–पात्र होंगे, मंत्री महोदय के कृपा पात्र होंगे। पंचायतों का प्रशासन है तो उनकी अपनी सर्विस में वे अपने वोट देनेवालों को रखेंगे, उनके रिश्तेदारों को रखेंगे, उनकी इच्छा होगी जिनको रखेंगे लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर आपका आदमी होगा, आपकी कृपा पर होगा, उसकी और आपकी इच्छा के व्यक्तियों को नौकरी में रखा जायगा, पंचायत के वोटर्स की इच्छा के नहीं। आप कहेंगे कि इसको नहीं रखो उसको नहीं रखा जायगा, आप कहेंगे कि इसको रखो उसको रखा जायगा, एडमिनिस्ट्रेटर को नौकरी में उनको लेना पड़ेगा और मंत्रीजी कहेंगे कि सेंक्शन की जरूरत हो तो कागजात भेज दीजिये।

जयपुर म्युनिसिपैलिटी का उदाहरण मुझे याद है, इसलिये कह सकता हूं। हमारे सदन में प्रश्न पूछा गया था जयपुर म्युनिसिपैलिटी पर कौन से सर्विस रूल्स लागू हैं तो जबाब दिया गया कि राजस्थान सर्विस रूल्स लागू हैं। राजस्थान सर्विस रूल्स में लिखा हुआ है कि कोई भी रिटायर्ड गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट रीएम्पलॉय नहीं हो सकता, रिक्रूट नहीं हो सकता। लेकिन जयपुर म्युनिसिपैलिटी में एडमिनिस्ट्रेटर महोदय जो मन्त्रीजी के कृपापात्र हैं उन्होंने बशीर अहमद को रिटायरमेन्ट के बाद वापिस म्युनिसिपैलिटी में रख लिया। उसके लिये मंत्रीजी ने टेलीफोन पर कह दिया कि इसको नौकरी पर रख लो और उसके बाद इनके कागजात मेरे पास सैंक्शन के लिये भिजवा देना और इस तरह से टेलीफोन द्वारा उनको नौकरी में रख लिया गया और उसके बाद उनके कागजात मंत्री महोदय के पास भिजवा दिये गये। यह एक तरह से प्रशासन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि हो सकता है कि इसमें किसी की सद्भावना रही हो लेकिन रूल्स का तो वायोलेशन हुआ है, अनियमित रूप से नियुक्ति तो की गई है दूसरे का हक मार कर दूसरे व्यक्ति को रखा गया है। ये सब बातें भूतपूर्व स्वायत्त शासन मंत्रीजी के कार्यकाल की हैं, मैं सही नहीं कहता हूं तो वे ठीक कर दें। इसी प्रकार से अधिकार पंचायतों को देते हैं तो प्रशासनिक व्यवस्था में गड़बड़ियां पैदा होती हैं, सारे घोटाले होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर की व्यवस्था बहुत ही बिटर व्यवस्था रही है। जहां कहीं भी चुनी हुई संस्था

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पर इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटर का शासन सौंपा है वहां मनचाही नियुक्तियां हुई हैं। इसलिये एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करना किसी भी प्रकार से जस्टिफाइ नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिये। इसीलिये जुडिशियल ट्रिब्यूनल की स्थापना का सुझाव रखा है। जो पंचायतों के सुपरसेशन के केसेज़ हैं वे सब जुडिशियल ट्रिब्यूनल के सामने जायं वे उनको एग्ज़ामिन करे कि किन किन सरकम्सटान्सेज़ में सुपरसीड किया जा रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था करने के बाद ही इस धारा को संशोधित रूप से पारित किया जाय, यही मेरा सदन से निवेदन है।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : सभापति महोदय, पंचायतों के विघटन करने और अधिक्रमण करने के सम्बन्ध में बहस चल रही है कि इस प्रकार की शक्ति सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिये। प्रश्न यह है कि पंचायतों के विघटन करने और अधिक्रमण करने की शक्ति होनी भी चाहिये या नहीं? मेरा यह मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में और वातावरण में इस प्रकार के अधिकार होने तो चाहिये। सभापति महोदय, पंचायतों के संबन्ध में चर्चा चली थी, अपीलेट कमेटी के बारे में चर्चा की थी उस समय यह सुनने में आया था कि पंचायतें बहुत सी दफा गल्तियां कर जाती हैं, पंचायतों से न्याय नहीं मिलता है। सभापति महोदय, इस बात के बहुत से उदाहरण हैं। इस बात का मुझे भी अनुभव है पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार दें, हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण करें लेकिन पंचायतें अब तक हमें मानना पड़ेगा ऐसी अवस्था में हैं, इनके ऊपर पूर्णतया सारे अधिकार देदें और किसी प्रकार का अंकुश न रखें, यह अवस्था मेरी राय में ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि यह जरूरी है हम उन पर अंकुश रखें। यहां तक हमने देखा है कि पंचायतों के अन्दर चुने हुए पंचों तक को आने नहीं देते। मैं आपको मेरे इलाके की बिराटियां पंचायत का हाल सुनाऊं। वहां से एक वार्ड का चुना हुआ पंच है लेकिन उससे दूसरे पंच ईर्ष्या रखते हैं, उसको पंचायत की मीटिंग के अन्दर आने नहीं देते राजस्थान सरकार ने कई दफा आदेश भी दिये : इनको आने दिया जाय लेकिन वे आने नहीं देते, लाठी लेकर खड़े हो जाते हैं। जिन पंचायतों के ऐसे उदाहरण हों वहां क्या होना चाहिये? इसी प्रकार एक पंचायत के अन्दर हुक्म की नकल की दर्ख्वास्त दी, यह बाली तहसील पंचायत का हाल है। नकल के लिये दर्ख्वास्त दी गई, उसके लिये कहा गया कि उसकी नकल नहीं दी जा सकती। दुबारा दर्ख्वास्त दी, फलां फलां प्रावधान है इसलिये प्रतिलिपि दी जाय। फिर भी कहा नहीं दी जा सकती। दुबारा दर्ख्वास्त दी, उस पर दो रुपया जुर्माना कर दिया गया। कारण इसका यह है कि हमारी जो पंचायतें हैं उनको कानून और नियमों की पूरी तरह से जानकारी तो दूर रही प्रजातंत्र में जो लोगों के अधिकार हैं उनका भी उनको ज्ञान नहीं है। यह इसलिये है कि गलत लोगों का चुना जाना है।

हमारी रायपुर तहसील में देवली पंचायत है। वहां जटिया लोग हैं। उनके कुए हैं, उनकी काश्त की जमीन थी। उनकी आबादी की भूमि पर वहां की पंचायत ने पचास-पचास और साठ-साठ रुपया जुर्माने के कर दिये, जब कि पंचायत को यह अधिकार नहीं था। इस

(श्री शंकरलाल)

तरह से कई जगह पंचायतें और पंच सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। इस प्रकार से पॉवर्स का एब्यूज़ करते हैं। इस प्रकार के कई उदाहरण हमारे सामने हैं। राजस्थान सरकार के सामने ये दो, तीन मामले पहले भी रखे गये थे; न मालूम सरकार क्यों डर रही है जो पंचों ने गलती की है उनकी इन्क्वायरी क्यों नहीं कराती ? बिराटियां देवली....

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): देवली पंचायत के नाम से तो सरकार के कान खड़े हो जाते हैं।

श्री शंकरलाल : मैं पाली जिले का जिक्र कर रहा हूँ।

श्री सभापति : आपको शायद गलत-फहमी हो रही है।

श्री शंकरलाल : इन पंचायतों के बारे में लॉ डिपार्टमेन्ट की ओपीनियन है कि वास्तव में इन्होंने सत्ता का दुरूपयोग किया है, इसलिये इनको भंग किया जाना चाहिये। सरकार के सामने कागजात छः महीने से पड़े हुए हैं। लेकिन पता नहीं इस बारे में सरकार कदम क्यों नहीं उठा रही है ? एक तरफ तो चुनी हुई पंचायत को हम चाहते हैं किन्तु यदि वह सत्ता का दुरूपयोग करे वैसी हालत में उसको विघटन की शक्ति न रखें, यह ठीक नहीं है। पंचायतों के सुपरसेशन और डिज़ॉल्वेशन करने के पॉवर्स अवश्य होने चाहिये। जहां तक सिद्धान्त का सवाल है, मौजूदा पंचायतों का सवाल है इस बात को स्वीकार करना चाहिये। पंचायतों के विघटन करने के अधिकार सरकार के पास जरूर होने चाहिये अगर पंचायतें सत्ता का दुरूपयोग करें तो उनके विघटन की शक्ति अवश्य होनी चाहिये। मौजूदा परिस्थितियों में तो यही हाल है, आगे जाकर कुछ अर्से के बाद पंचायतें वैसी हों तो मैं नहीं कह सकता, यह दूसरी बात है। पर इस स्थिति में तो इसे स्वीकार करना पड़ेगा।

अब रहा सवाल यह कि किन मामलों में पंचायतों को समाप्त किया जावे, सस्पेन्ड किया जावे ? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रस्ताव आया है वह वास्तव में कुछ आपत्तिजनक है। पंचायतों के पास एग्जी-क्यूटिव पावर भी हैं। कुछ उनमें अगर गलती करते हैं तो उसके लिये अपील का प्रावधान है। अब अपील में जो मामला ठीक हो सकता है उसके लिये पंचायत को पीनेलाइज़ नहीं किया जाना चाहिये। अगर यही स्थिति यहां आप स्वीकार करते हैं तो आज एक मजिस्ट्रेट का मामला सेशन कोर्ट में जाकर बदल जाता है तो मजिस्ट्रेट को भी आप डिसमिस कर दीजिये, पर करते नहीं। तो इसी तरह जब तक कुछ स्पेसिफिक बात उनके इरादों के बारे में न मालूम हो जाय, आप उनको सस्पेन्ड या डिसमिस न करें। तो इस दृष्टि से यह मामला साफ नहीं है कि किन किन मामलों में आप भंग कर सकते हैं। इसे स्पष्ट करना चाहिये। खाली फैसले के ऊपर जाकर बदल जाने से ही पंचायतों को भंग कर देना, उसका विघटन कर देना उचित नहीं होगा। इसलिये इसमें यह प्रोविज़ो होना चाहिये कि इस तरह के फैसलों के आधार पर उसका विघटन नहीं किया जावेगा। हां, उनकी नीयत अगर उसके पीछे खराब हो तो इसकी जांच की जाकर उसका आप विघटन कर सकते हैं। तो विघटन के मामले

(श्री शंकरलाल)

में सरकार को भी इतने विस्तृत अधिकार नहीं दिये जाने चाहिये कि वह भी इनका दुरूपयोग कर सके ! स्पेशल कारणों में ही उसका विघटन होना चाहिये जैसे एब्यूजेज़ ऑफ पॉवर या ड्यूटीज़ की नेग्लिजेन्स को स्पेसिफाई किया जाना चाहिये और इनमें अपील जिन फैसलों की हो सकती हो और जिसमें नीयत खराब नहीं हो उनको कारण नहीं माना जाना चाहिये ।

दूसरी बात, सभापति महोदय, जिन पंचों को आप अलग करते हैं इन कारणों से उनको ही आप फिर से इलेक्ट होने का, खड़े होने का और कोऑप्ट होने का अधिकार दे रहे हैं, यह उचित नहीं है। अगर यही करना था आपको तो फिर आपने उनको हटाया ही क्यों; पहले ? इसलिये इसमें कुछ रखना चाहिये कि जिसके लिये किसी प्रकार का ऐसा आरोप है जिनके कारण से वह सरकार द्वारा हटाया गया हो तो वह एक अवधि एक साल, दो साल या तीन साल तक वापिस नहीं आ सकता । नहीं तो दुबारा भी अगर वही आ गया तो फिर वही गलतियां करेगा, जिनके आधार पर पहले आपने निकाल दिया था। इसलिये इनके लिये जो प्रावधान किया गया है कि "the sarpanch and all panchas thereof shall on the date specified in the order of dissolution, vacate their respective offices but without prejudice to their eligibility for re-election or re-appointment or re co-option," ऐसे आदमियों को वापिस ले आते हैं आप तो मैं समझता हूं कि फिर भंग ही क्यों किया? तो इसके लिये भी सरकार को स्पष्ट प्रावधान करना चाहिये कि जैसे किसी क्रिमिनल ऑफेन्स में हो या किसी ऐसे कारण से हों जिनके कारण आपने उनको अलग किया है तो वह एक लिमिट समय तक अयोग्य रहे; एक साल, दो साल, चार साल, पांच साल जैसा आप ठीक समझें उसे अयोग्य घोषित कर दें। ऐसा करेंगे तो समझेंगे कि आपने विघटन की शक्ति का ठीक उपयोग किया है; वर्ना वे फिर दुबारा भी आ जावेंगे और आपका उनको विघटन करने का मकसद हल नहीं होगा ।

दूसरा, मेरा यह निवेदन है कि इसे भंग करने से पहले जिला परिषद् की राय ले ली जावे, मैं इसका समर्थन करता हूं । सरकार सीधे अपनी पॉवर काम में न लावे और जिला परिषद् की राय अवश्य ले ले। जिला परिषद् अच्छी तरह मामले की छान-बीन करके, जांच करके सरकार को सही राय दे सकेगी और उसकी राय लेने के बाद ही सरकार उसके अनुसार कोई कदम उठावे। सरकार वैसे भी उसको एडवाइज़री बॉडी मानती भी है। तो फिर उसकी एडवाइस लेने में क्या ऐतराज हो सकता है ?

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): पंचायत समिति का टाइम नियुक्त कर दीजिये ।

श्री शंकरलाल : प्रधान वगैरह सरपंचों से इलेक्ट होते हैं तो सरपंचों के खिलाफ पंचायत समिति कोई रिपोर्ट देगी, यह संभव नहीं है। उनमें बड़ा भय रहता है। वे लोग निष्पक्ष नहीं रह सकेंगे और प्रधान को डर रहेगा कि मैंने उस पंचायत के खिलाफ और आपके शब्दों में फलानी पंचायत के खिलाफ लिख दिया है तो वे मेरे खिलाफ हो जावेंगे ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : प्रधान भी तो सरपंचों से ही आता है ।

श्री शंकरलाल : यही मैं कह रहा हूं । तो पंचायत समिति की राय ठीक काम नहीं देगी । फिर जिला परिषद् वैसे भी निरीक्षण आदि कार्य पंचायतों का करती है और वे इस माने में उसके जुरिस्डिक्शन में आती हैं तो जो एरिया उसके जुरिस्डिक्शन का है वहां के लिये उसकी राय लेकर आप काम करेंगे तो वे ठीक राय आप को दे सकेंगे । जिला परिषद् की राय निष्पक्ष और ठीक हो सकेगी।

कुछ सदस्यों ने इस ओर भी ध्यान दिया कि आपने स्पेसिफिक पीरियड दुबारा चुनाव कराने के लिये नहीं रखा । यह भी वास्तव में ध्यान देने योग्य बात है । स्पेसिफिक पीरियड होना चाहिये । पहले पीरियड आपने रखा था दो महीने और छ: महीने का । तो यह रखना चाहिये । नहीं तो आपका एडमिनिस्ट्रेटर दो, तीन, चार साल तक भी चल सकता है तो यह जनतान्त्रिक सिद्धान्त के विपरीत बात होगी । आप अनलिमिटेड समय के लिये एडमिनिस्ट्रेटर रख सकते हैं, यह अच्छी चीज़ नहीं है । इसलिये हमें समय निर्धारित करना चाहिये कि इतने समय में चुनाव दुबारा करा ही देंगे ।

इसलिये ये तीनों बातें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, उपयुक्त हैं । जिला परिषद् के सम्बन्ध में एक निवेदन और करना चाहता हूं । जिला परिषद् एक्ट में प्रावधान है कि जहां दो पंचायतों में झगड़ा हो या पंचायत और पंचायत समिति में झगड़ा हो तो जिला परिषद् उनमें अपना निर्णय देगी और यह भी रखा है कि सुपरविज़न पंचायतों का करेगी । वैसे स्पेसिफिक अधिकार नहीं दिये पर जनरली आपने यह माना है । तो ये अधिकार जब आपने जिला परिषद् को दे रखे हैं तो सुपरसीड़ करने या डिसमिस करने से पहले उसकी राय लेना अच्छा ही है । यह राय उनसे जरूर ली जानी चाहिये । तो यह आवश्यक प्रावधान के साथ और आवश्यक संशोधन के साथ स्वीकार किया जाना चाहिये ।

रावराजा श्री सरदारसिंह: साफ कह दें न कि छ: महीने कर दें ।

श्री सभापति : श्री जयसिंह ।

श्री जयसिंह राणावत (आसिन्द): सभापति महोदय, क्लॉज़ ५६ पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं और खासकर इसके सब क्लॉज़ (३) और (४) पर, जिसमें कि उस पंचायत के पंच और सरपंच को जिनको राज्य सरकार दोषी मान लेती है, फिर भी उनको पुन: खड़ा होने का अधिकार देती है ।

सभापति महोदय, राज्य सरकार को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आनेवाली अड़चनों का ज्ञान नहीं है । उसे पता नहीं है कि कौन पंचायत का सरपंच और पंच किस ढंग से काम कर रहा है । पर जब हम विधान सभा में आकर अपने अपने क्षेत्रों की ऐसी कठिनाइयां और डिफिकल्टियां राज्य सरकार के सामने रखते हैं तो सरकार, के सामने वे आती हैं । सरकार को उन पर सोचना चाहिये और उनको तुरन्त रिमूव करना चाहिये । जब हम एक तरफ यह सोचते हैं कि ऐसी खराबियों को जरूर निर्मूल करेंगे पर दुख होता है जब दूर करने की, निर्मूल

(श्री जयसिंह राणावत)

करने की स्थिति में होकर भी सरकार उन बुराइयों को जड़ मूल से नहीं निकालना चाहती है। यही वजह है कि आज पंचायतों में हजारों का गबन और राज्य सरकार के हुक्मों की अवहेलना होती रहती है। इसके कई प्रमाण मेरे खुद के क्षेत्र में हैं। मेरी घर बीती मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने बयान करता हूं। आसिन्द तहसील में पंचायत बदनोर उसके सरपंच साहब बड़े प्रसिद्ध हैं और विख्यात हैं उनके कारनामे। गबन छोटा मोटा नहीं करते हैं, छः छः और सात, सात हजार का गबन करते हैं और पैनल्टी या जुर्माना जो करते हैं पांच सौ, हज़ार का करते हैं। और सरकार की आज्ञाएं जो जाती हैं कि अमुक पैनल्टी या अमुक कारनामे की सफाई दो और उसके कागजात यहां पेश करो; उनको महीनों अपने बस्ते में दबा कर रख देते हैं। पटवारी जिन्हें रद्दोबदल का अधिकार सरकार ने उनके चार्ज में दिया है उनके बस्तों की फाइल को सीलबन्द करके अपने अधिकार में रख लेते हैं और अपनी मनचाही रद्दोबदल करते हैं।

सरकार ने जिन नौकरों को रैप के मामले में या ब्राइबरी के मामले में बरर्खास्त किया उनके लिए आदेश दिए कि यह कहीं भी नौकर नहीं रखे जायं। उनको वह पंचायत अपने यहां नौकरी देती है। तो इस प्रकार की कई ऐसी चीजें हैं जो मेरी समझ में इन दोनों उपधाराओं के तहत ऐसे योग्य और काबिल पंच और सरपंचों को फिर खड़े होने के लिए हक देते हैं, वह नहीं देने चाहिए और उनको नसीहत के तौर पर हमारी जो समाज सुधार की नीति है उसकी बुनियादी खराबियां दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे पंच और सरपंचों को लोक शिक्षण के तौर पर आइन्दा के लिए नाकाबिल ठहराया जाये और उनको निश्चित अवधि के लिए खड़े नहीं होने का प्रावधान इसमें किया जाना चाहिए।

श्री सभापति: श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, जो यह संशोधन इसमें आया है कि जिला परिषद् की सलाह ली जाये, इसका मैं समर्थन करता हूं और मैं निवेदन करता हूं कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अभी व्याख्या की उसके मैं विरोध में हूं! मैं बताना चाहता हूं कि शायद संविधान के वे बहुत ज्ञाता हैं लेकिन उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि विधान परिषद के सभासदों को क्यों नहीं हटा दिया जाता और क्यों न ऐसे मेम्बरान को जो चुने हुए हैं उनको क्यों नहीं वापिस बुला लिया जाता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश का संविधान है और हम जनतंत्र में हैं और हम प्रजा के लिए हैं और प्रजा का संविधान द्वारा राज्य चलता है। प्रजा ने संविधान बनाकर इस विधान सभा को कायम किया है और अगर विधान सभा भी कोई काम खराब करती है और विधान सभा के द्वारा निर्मित सरकार भी कोई काम खराब करती है तो राज्यपाल को अधिकार है कि वह संविधान की रक्षा हेतु उसको हटा दे। केन्द्र में पार्लियामेंट है और अगर वह काम खराब करती है तो उसको प्रेसीडेन्ट ऑफ इन्डिया हटा सकता है। यह स्थिति हमारे सामने है। आज पंचायतों ने चुन कर हमको यहां नहीं भेजा है। अगर हमारा विधान ऐसा होता कि पंचायतों के

(श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा)

द्वारा हम यहां आकर बैठते और पंचायतों द्वारा हम निर्मित होते तो फिर सवाल ही उपस्थित नहीं होता........

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): जब तो सेल्फिश मोटिव हो जाता, वह भी जनता में आ गया ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : लेकिन यहां सवाल दूसरा है । यहां प्रजा ने संविधान को मन्जूर किया है और विधान सभा को अधिकार दिया है और विधान सभा द्वारा निर्मित जो राज्य सरकार है वह राज्य का शासन चलाती है और इस विधान सभा द्वारा ही पंचायतों को अधिकार दिए जाते हैं ! यह पंचायत एक्ट जो हम पास करने जा रहे हैं और जो पहले पास कर चुके हैं वह इसी राज्य की विधान सभा ने किया है, न कि पार्लियामेंट ने किया है । इसलिए यह सोचना कि विधान सभा के सदस्य क्यों नहीं हटा दिए जाते और विधान सभा के सदस्यों के ऊपर ऐसा नियम क्यों नहीं लागू किया, तो यह तो संविधान के तरमीम का प्रश्न था, उस समय कुछ हो सकता था । हम जो पॉवर्स पंचायतों को देने जा रहे हैं, हमें जो अधिकार संविधान ने दिये हैं हम राज्य की सफलता व हित में पंचायतों का कितना कितना सहयोग ले सकते हैं, उनको कितने अधिकार देने चाहिए, यह हमारे देखने का फर्ज है। यह नहीं है कि हम सोच लें कि पंचायतों को हम हटाना चाहते हैं और प्रजातन्त्र का खून करना चाहते हैं। हम तो प्रजातन्त्र को अपनाना चाहते हैं और कायम रखना चाहते हैं। माननीय सदस्य द्वारा यह भी कहा गया कि हम यहां की विधान सभा को जेल में बैठे हुए मिटाना चाहते थे; लेकिन वह हमने नहीं मिटाई । मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर ऐसा प्रस्ताव पास भी कर देते तो उससे विधान सभा भंग नहीं होती । यह निश्चित बात है विधान सभा तो जब ही भंग होती जब कि प्रेसीडेन्ट ऑफ इन्डिया या राज्यपाल यह सोचते कि विधान सभा पूरी तरह से संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है और सरकार भी ठीक तरह से काम नहीं करती है, तब हो हो सकता था । केवल किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह विशेष के सोचने से सरकार नहीं हट सकती । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संविधान के अनुसार काम हो रहा है । जो श्री लड्ढा ने प्रस्ताव पेश किया है कि जिला परिषद् की सलाह लेना आवश्यक है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब पंचायत समितियों का निर्माण किया और पंचायत समितियों के ऊपर जिला परिषद् को रखा है और जिला परिषद् इसलिए ही रखी गई हैं कि वे पंचायतों के काम को देखती रहें । जब कि पंचायतों के काम की देखरेख के लिए जिला परिषदें रखी हैं तो जिला परिषदों के रहने हुए जिला परिषद् की राय नहीं लें और सरकार बिना जिला परिषद् की राय के पंचायत को सुपरसीड करती है तो यह उपयुक्त नहीं हो सकता । या तो हमें जिला परिषद् को हटा देना चाहिए या नहीं हटाते हैं तो फिर उसको कुछ अधिकार देने चाहिए। इसलिए सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्योंकि जिले की स्थिति से जिला परिषद् जितनी वाकिफ हो सकती है उतनी सरकार नहीं हो सकती क्योंकि सरकार तो एक व्यक्ति विशेष से जो कि अधिकारी है उसी से गाइड होती है और उसी से पूछताछ करती है लेकिन जिला परिषद् में तो वहीं की

(श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा)

पंचायत के सदस्य होते हैं और उनके कार्यों को वे देखते हैं और उनका समन्वय भी करती है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो मिस्टर लड्ढा का प्रस्ताव है यह बिल्कुल उपयुक्त है । अब यह कहा गया कि म्युनिसिपल एक्ट के तहत एक बहुत बड़ी कमेटी बनाई गई ; सरकार को ये अधिकार नहीं होने चाहिए थे । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान में म्युनिसिपैलिटीज़ २०० के आसपास हैं और पंचायतें....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : पंचायतें २०० भी नहीं हैं....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : बहुत अच्छे । पंचायतें तो हजार से भी ज्यादा की तादाद में जायेंगी । एक–एक हजार की आबादी पर पंचायत चुनी जायेगी तो वहां देखिये कि क्या तादाद हो जायेगी ? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक कमेटी जो सारे राजस्थान का फैसला करेगी म्युनिसिपैलिटीज़ का, अगर इसके लिए भी एक कमेटी बना दी तो यही हालत होगी कि जिस पंचायत ने खराब काम किया है वह कमेटी उसकी जांच करते करते ही पंचायत का पीरियड खतम हो जायेगा ; इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह उपयुक्त नहीं है और सरकार को अधिकार होना चाहिए कि वह सुपरसीड कर सके । इसके बाद यह कहा गया कि जिस पंचायत को सुपरसीड किया जाये उनके पंचों को दुबारा इलेक्ट नहीं होना चाहिए । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब पंचायत कोई प्रस्ताव पास करती है तो बहुमत के आधार पर करती है और अगर सारी पंचायत के मेम्बरों को कहा जाये कि वह खड़े नहीं हो सकते तो यह क्या है ? किसी आदमी ने कानून के मुताबिक वोट दिया तो उसको भी चुनाव में खड़े होने का हक नहीं देना चाहते हैं ? अगर पंचायत के पंच ठीक काम नहीं करते हैं तो आप उनके लिए प्रचार कीजिए और इससे नतीजा यह होगा कि उनको वोट ही नहीं मिलेंगे । पर आप यह कहें कि दुबारा चुनावों में ये नहीं आ सकते तो यह उपयुक्त नहीं है । इसलिए यह बिल्कुल उपयुक्त नहीं है । मैं यह समझता हूं कि मिस्टर लड्ढा का जो प्रस्ताव है कि जिला परिषद् की सलाह से सुपरसीड करना चाहिए और उसके बारे में मैं उसका समर्थन करता हूं, बाकी का मैं विरोध करता हूं ।

श्री सभापति : श्री सम्पतराज जैन ।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : सभापति महोदय, राजस्थान पंचायत अधिनियम, १६५३ की धारा ७२ के अनुसार अयोग्यता, त्रुटि अथवा शक्ति के दुरुपयोग की दशा में किसी भी पंचायत को समाप्त करने की शक्ति राज्य सरकार को थी । उसके साथ ही साथ धारा ७७ में किसी भी पंचायत को भंग करने का अधिकार राज्य सरकार को था । मगर इस ६–७ साल के अर्से में इस सदन में जब जब भी पंचायतों का प्रश्न आया हमेशा सरकार की इन्हीं बातों से आलोचना हुई और आलोचना की गई कि राज्य सरकार पंचायतों में चल रहे भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं करती; वहां गैर कानूनी काम होते हैं और वहां पर जो पंच और सरपंच हैं सारे के सारे शक्ति का दुरुपयोग करते हैं । ऐसी शिकायत इस सदन में वक्तन फ–वक्तन आती रही है और मैं समझता हूं

(श्री सम्पतराज जैन)

कि जब यह अधिकार सरकार को थे धारा ७३ के अनुसार और धारा ७७ के अनुसार पंचायत अधिनियम, १९५३ के अनुसार, तो मैं नहीं समझता कि राज्य सरकार ने इन चीजों के होते हुए भी इन अधिकारों को क्यों नहीं इस्तेमाल किया ? ऐसी सूरत में यदि आज सरकार पंचायत (संशोधन) अधिनियम, १९६० की धारा ५६ के द्वारा पुरानी ७३ धारा को जोड़ा गया है तो मैं नहीं समझता कि राज्य सरकार पर दोषारोपण क्यों किया जाता है कि धारा का उपयोग ठीक तरह से नहीं करेगी ? पंचायत को भंग कर देगी, पंचायत को विघटित कर देगी, यह आरोप सरकार पर क्यों लगाया जाता है ? सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने पंचायत अधिनियम, १९५३ में धारा ७३ और धारा ७७ के होते हुए भी इन अधिकारों का दुरुपयोग तो क्या उपयोग भी सही तरीके से नहीं किया। इसीलिये तो पंचायतों की शिकायतें चलती रहीं। कहीं पर भ्रष्टाचार होता रहा, जल बोर्ड में गबन होता रहा, कहीं पर शक्तियों का दुरुपयोग होता रहा, कई दफा कहा गया और ऐसी बातें होती रहीं जो कि अनुचित थीं, जो कि शोभनीय नहीं थी। इसके बावजूद भी सरकार ने इन अधिकारों का उपयोग नहीं किया। उस समय अधिकारों के होते हुए भी अधिकारों का उपयोग नहीं किया। तब धारा ७३ के स्थान पर थोड़े से फेर बदल के साथ यह धारा ७३ रखते हैं तो क्यों आपत्ति होती है ? इस धारा में प्रावधान बढ़ाया है उस पर सदन को आपत्ति है, माननीय सदस्यों को आपत्ति है, वह क्या है ? माननीय सभापति महोदय, जो धारा ७३ थी पुरानी उसके अनुसार उसमें यह प्रावधान था :

"यदि कोई पंचायत अथवा तहसील पंचायत इस अधिनियम द्वारा या इसके अन्तर्गत अथवा तत्समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा या उसके अन्तर्गत उसके सौंपे गये कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिये अयोग्य है या बार २ त्रुटि करती है या अपनी शक्ति का अतिक्रमण अथवा दुरुपयोग करती है तो राज्य सरकार ऐसी पंचायत अथवा तहसील पंचायत को, जैसी भी स्थिति हो, सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात्, एक आज्ञा द्वारा जो राजस्थान राजपत्र में उसके जारी किये जाने के कारणों सहित प्रकाशित की जायगी, समाप्त कर सकती है।" इसमें केवल यह बढ़ा दिया गया है; पंचायत (संशोधन) अधिनियम, १९६०, में तीन लाइन बढ़ा दी है, इस पर अधिक आपत्ति है।

"राज्य सरकार या पंचायत समितियां, पंचायतों के प्रभारी अधिकारी द्वारा दिये गये आदेशों की निरन्तर अवहेलना करती है...."

तो राज्य सरकार ऐसी पंचायत का विघटन कर सकती है या अधिक्रमण कर सकती है यानि इस पंचायत की सत्ता को समाप्त कर सकती है। तो, सभापति महोदय, जहां तक इस अधिनियम का सवाल है, १९५३ का और शायद संशोधित विधेयक जो पारित होगा यहां पर उसके प्रावधान का सवाल है तो जब कोई पंचायत इन प्रावधानों का दुरुपयोग करती है या उस समय पंचायत पर जो लागू कानून है उनका ठीक तरह से उपयोग नहीं करती है तो ऐसी अवस्था में माननीय सदस्यों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए उसकी सत्ता समाप्त किये जाने के मामलों। पर आपत्ति

Page No.91

(श्री सम्पतराज जैन)

अगर करते हैं तो इस विषय में आपत्ति कर सकते हैं कि राज्य सरकार के आदेशों की या पंचायत समितियों के आदेशों की या पंचायतों के प्रभारी अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करती है। उस अवस्था में भी सत्ता समाप्त करने के अधिकार सरकार को दिये गये हैं तो राज्य सरकार की मन्शा क्या है ? राज्य सरकार की मंशा यह है कि कानून जो पंचायतों पर लागू हों, पंचायतें ठीक तरह से उनकी पाबन्दी करें ; उनका दुरुपयोग नहीं करें ; जो शक्तियां उनको प्रदान की गई हैं उनका गलत तरीके से उपयोग नहीं करें। तो मैं नहीं समझता कि इन तीन लाइनों के बढ़ाने पर क्या आपत्ति हो सकती है ?

३. ५५ म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जब यह प्रश्न आता है कि पंचायतों के प्रभारी अधिकारी की निरन्तर अवहेलना करती है तो राज्य सरकार ऐसी पंचायत को एक सुनवाई का अवसर देगी। उसके बाद सरकार का ख्याल हो कि वह दोषी है तो समाप्त कर सकती है। मैं समझता हूं कि "राज्य सरकार या पंचायत समितियां, पंचायतों के प्रभारी अधिकारी द्वारा दिये गये आदेशों" के बजाय "दिये गये वैधानिक आदेशों" कर दिया जाय, यानी 'वैधानिक' शब्द और बढ़ा दिया जाय तो उसकी पूर्ति हो जाती है।

यहां पर यह कहा गया कि ज़िला परिषद् को पंचायतों को विघटित किये जाने के अधिकार देने चाहिए। जिला परिषद् एक एडवाइज़री बॉडी है और पंचायतों को ही बलवान बनाना चाहते हैं, जिला परिषद् को नहीं। जिला परिषद् के हाथ में जितने भी पॉवर्स हैं काफी हैं। उनके हाथ में यह भी पॉवर हो कि उनकी आज्ञा से या उनकी राय से किसी पंचायत को समाप्त किया जा सके तो यह उचित नहीं होता है। यह अधिकार जिला परिषद् या पंचायत समिति को नहीं दिया जाना चाहिए कि वे पंचायतों को समाप्त कर दें।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर एक तीसरी बात बताई गई है। सदन के सम्मुख एक सुझाव पेश किया है कि इसकी कोई मयाद होनी चाहिए कि कितने समय के लिए विघटन कर सकते हैं। धारा ७३ में २ महीने की और धारा ७७ में ६ महीने की मयाद थी। जो सुझाव दिया गया था कि ६ महीने की मयाद रखदी जाय, वह ठीक है; उससे ज्यादा किसी पंचायत का विघटन नहीं कर सकते हैं।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर यह कहा गया है कि पंचायत को विघटित किया जायगा तो प्रशासक नियुक्त किया जायगा। तो प्रशासक का जैसा अनुभव आया है वैसा ही यहां पर होगा। पंचायतों के पास गांव की सफाई का काम है, रोशनी का काम है, बीमारी को रोकने का काम है, तो अगर जब प्रशासक नहीं होगा और पंचायत विघटित हो जायगी तो ऐसी अवस्था में वहां काम कैसे चलेगा ? ऐसी सूरत में जब पंचायत विघटित की जाती हैं तो प्रशासक का नियुक्त करना आवश्यक हो जाता है।

इसके साथ साथ में निवेदन करना

Page No.92

(श्री सम्पतराज जैन)

चाहूंगा कि यहां पर हमने कहा कि पंचायत का विघटन किया जाता है या उसका अधिक्रमण किया जाता है यानी उसकी सत्ता रोक दी जाती है या वह भंग की जाती है तो उस पंचायत के उन पंचों को फिर से चुनाव में खड़े होने के अधिकार नहीं होने चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि यहां पर इसका विरोध भी किया गया है-इस धारा का कि चुनाव में खड़े होने से किसी सरपंच या पंच को रोक दिया जाता है तो उचित नहीं होगा । मैं निवेदन करूंगा कि कोई सरपंच या पंच पंचायत कानून की अवहेलना करता है तो धारा १७ (४) के तहत हटाया जा सकता है । परन्तु जहां पर पंचायत सामूहिक रूप में गवर्नमेंट के आदेशों की या पंचायत कानून या दूसरे संबंधित कानूनों की अवहेलना करती है या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है, या जो कर्तव्य उन्हें सौंपे गये हैं उनको पूरा नहीं करते हैं तो उस पंचायत के पंच या सरपंच जो भी यहां पर होंगे, इसके अन्दर एक प्रावधान मंत्री महोदय लायेंगे, तो मैं निवेदन करूंगा कि जिस वजह से उनको हटाया गया है और उन्हें वापिस चुनाव के अधिकार दिये जाते हैं और वे चुनाव में किसी तरह से इलेक्ट हो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि उस पंचायत के विघटन करने का कोई मतलब नहीं होता है। ऐसी सूरत में जब हमने पंचायत समिति और ज़िला परिषद् विधेयक में यह व्यवस्था कर दी है कि जब शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं तो उनको धारा १७ (४) के तहत हटाया जाता है तो कम से कम एक पीरियड के लिए पंचायत के चुनाव में खड़े होने के अधिकार नहीं होने चाहिएं। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय यह प्रावधान रखेंगे कि कोई पंचायत धारा ७३ के अनुसार किसी कारण से हटाई जाती है या भंग की जाती है, या उसकी सत्ता को रोक दिया जाता है तो वे पंच और सरपंच कम से कम ६ साल तक पंचायत के चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे; मेरा यही निवेदन है ।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विचारणीय धारा ५६ में जो संशोधन शाहपुरा से आये हुए माननीय सदस्य ने रखे हैं मैं उन संशोधनों के पक्ष में हूं और सरकार से निवेदन करूंगा आपके द्वारा कि इन दोनों संशोधनों को सरकार ध्यान में रखते हुए मन्जूर कर ले ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ के अन्दर जो प्रावधान है किसी पंचायत को डिज़ॉल्व करने या सुपरसीड करने का और जिस परिस्थिति में यह क्लॉज़ रखी गई है वह उचित है। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने इसके विरोध में बोलते हुए बहुत सी बातें कहीं । माननीय सदस्य जो जयपुर से आये हैं उन्होंने सरकार के ऊपर बहुत सी बातें इसके ऊपर चर्चा करते हुए कहीं, और वे ही माननीय सदस्य कल कुछ चर्चा करते हुए कहते थे कि पंचायतों के सेक्शन ठीक नहीं हैं, काम ठीक से करते नहीं हैं और आज इस क्लॉज़ को नहीं रखने के लिए आर्ग्युमेंट किया। मेरी यह समझ में नहीं आता कि समय समय पर अलग अलग भाषा में, अलग अलग आरग्युमेंट से कभी किसी पक्ष में, कभी पंचायतों के पक्ष में, कभी पंचायतों के गठन के विरोध में कहा जाता है और दुहाई भी दी केरल गवर्नमेंट के बारे में। राजस्थान गवर्नमेंट ने राजस्थान

(श्री मोतीलाल)

के हाई कोर्ट के बारे में ऐसे कदम उठाये थे जो अहितकर थे। माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके द्वारा जवाब तो नहीं देना चाहता, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूँ कि यहां की सरकार लोकप्रिय रही है और लोकप्रिय है। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो जो केरला में हुआ है वह कदम भी यहां उठाया जा सकता था, लेकिन वास्तविक रूप से सरकार लोकप्रिय है और सरकार जनता के हित में काम करती रही है और काम करती रहेगी ऐसी उम्मीद करके मैं चलता हूं। उन्होंने यह भी कहा था कि यहां की सरकार यहां की चुनी हुई ....

श्री उपाध्यक्ष : That Portion I do not take as relevant and it should not be refuted at all.

श्री मोतीलाल : मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं जवाब नहीं देना चाहता हूं, लेकिन इतना ही कहना चाहता था कि सरकार विधान के अन्दर जो व्यवस्था है उसके मुताबिक चलती है और विधान में ऐसा है कि सरकार चाहे यहां की हो या और किसी स्टेट की हो उसको गवर्नर या प्रेसिडेन्ट भंग कर सकते हैं और एक नमूना उनको मिला केरल का इसलिये उन्होंने कहा कि पंचायत को सुपरसीड करने के लिये राज्य सरकार को अधिकार नहीं मिलना चाहिये। उनकी चर्चा मेरी समझ में यहां गलत होगी, यह मानकर चलना चाहिये। पंचायत व्यवस्था को शुरू किया है, इसको देख रहे हैं कि किस तरह से चलती है इसलिये सरकार का उस पर कन्ट्रोल रहना चाहिये। कई जगह ऐसी स्थिति भी है कि किसी पंचायत में पंच या सरपंच यदि विशेष पार्टी के हैं वहां पर माइनोरिटी का पंच आता है तो उसको पंचायत में बैठने नहीं देते हैं। मेजोरिटी वालों ने माइनोरिटी वालों को बैठने नहीं दिया। राज्य सरकार की ओर से आदेश दिये गये कि बैठने दिया जाय, लेकिन फिर भी उनके ऑर्डर की अवहेलना की। खुल्लम खुल्ला पार्शियलिटी कर रहे हैं, दल विशेष के होने के कारण बहुत ज्यादा पक्षपात कर रहे हैं और माइनोरिटी वालों को बैठने नहीं देते। ऐसे कई उदाहरण हैं। मैं आपके सामने एक उदाहरण परबतसर की एक पंचायत का देना चाहता हूं, वहां पर विरोधी पक्ष वाले पंचों को बैठने नहीं दिया। दो—तीन बार चिट्ठी सरकार की तरफ से चली गई कि उनको बैठने दो लेकिन बैठने नहीं दिया। ऐसी स्थिति में जो सरकार की अवहेलना करते हैं, पंचायत की नीति के विरूद्ध काम करते हैं ....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या आपकी यह इच्छा है कि ऐसी पंचायतों को अपीलेट पॉवर मिल जाय ?

श्री मोतीलाल : (जारी) मैंने यह कहा था कि इलेक्टेड बॉडी को मिले। मेरा यह कहना था कि फैसले की अपील इलेक्टेड बॉडी सुने, यही बात मैंने कल कही थी और आज भी कहता हूँ कि इलेक्टेड बॉडी के फैसले के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार इलेक्टेड बॉडी को ही मिले। साथ ही मैं यह कह रहा था कि इस क्लॉज़ में कुछ ऐसी बात है कि वह कब तक काम करे। जैसा कि एक अमेंडमेंट शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा कि जिला परिषद् की रिकमन्डेशन पर हो, तो मैं उसके पक्ष में हूं,

Page No.94

(श्री मोतीलाल)

जिला परिषद् की रिकमन्डेशन पर ही निर्णय लेना उचित होगा। उचित है या अनुचित है इस बारे में राय व्यवहारिक रूप से मिल सकती है, लीगल रूप से नहीं मिल सकती। ऐसी परिस्थिति में जिला परिषद् के कार्यकर्ता रिकमन्डेशन करेंगे तो सरकार को सुविधा होगी इसलिये सरकार ऐसा कर सकती है।

साथ ही साथ समय के सम्बन्ध में बात थी; एक साल की व्यवस्था हो, मैं उसके पक्ष में हूँ। मैं तो यह चाहता हूं कि समय कमती रहे तो अच्छा है। इसमें एक बात है एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में। एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति हम कर रहे हैं वह कम समय के लिये करनी चाहिये। जितने कमती समय तक उनके हाथ में शक्ति रहेगी उतना ही अच्छा रहेगा। एक साल के बजाय ६ महीने करें तो मुझे आपत्ति नहीं है, ३ महीना करें तो और भी अच्छा हो। पंचायत की नींव को मजबूत करने के लिये जितने कमती समय तक एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में रखेंगे उतना ही अच्छा होगा। एक संशोधन है कि कमती समय करें। गवर्नमेंट खुद ३ महीनों में या ६ महीनों में चुनाव की व्यवस्था करे यह अच्छा है। मैं मानता हूँ कि चुनी हुई पंचायत को एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में तभी दें जब कि वह कोई काम नहीं करे, लेकिन इतना जरूर ध्यान दें कि कमती से कमती समय के लिये एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में दें। पार्लियामेंट डिज़ॉल्व होती है तो ६ महीनों के अन्दर अन्दर दूसरी चुनी हुई पार्लियामेंट आनी चाहिये। स्टेट्स और पार्लियामेंट के लिये भी जब यह बात है तो पंचायत के लिये ३ महीनों का समय ही काफी है। किसी एम. एल. ए. या एम. पी. की सीट खाली होती है तो ६ महीने में दूसरा चुनाव हो जाता है। इस दृष्टि से किसी पंच या सरपंच या पूरी पंचायत का चुनाव हो तो ६ महीनों की ही मयाद मांगते हैं। यह ऑर्डर पार्लियामेंट के अनुसार ही है तो इससे ऊपर नहीं जाना चाहिये। सरदारसिंहजी का जो संशोधन है ६ महीने का उसमें मुझे आपत्ति नहीं है। जितना कम समय एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में होगा उतना ही अच्छा रहेगा। इसमें भी प्रावधान है जिला परिषद् की रिकमन्डेशन के बारे में और साथ साथ समय की व्यवस्था के बारे में।

साथ ही साथ एक अमेंडमेंट है श्री पी० के० चौधरी का, मैं उसके विरोध में हूँ, डिलीट करने के लिये। मैं समझता हूं इसको डिलीट न करके रखना उचित है, ओरिजिनल बिल के अनुसार ही रहना चाहिये। मैं श्री पी० के० चौधरी के संशोधन का विरोध करता हूं और उनसे निवेदन करूंगा कि वे विथ्ड्रॉ करलें।

श्री पी० के० चौधरी : (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : Shri Mogji Bhai It is indeed difficult task to discriminate between the two.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता(स्वास्थ्य मंत्री) : मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, इस समय ४ बज रहे हैं और बहुत सी क्लॉज़ेज़ बाकी हैं। टाइम का फैसला हो जाय तो बाकी क्लॉज़ेज़ को अभी ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : टाइम का कैसे होगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस क्लॉज़ को डेफर कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : यह सम्मति माननीय सदस्यों की है क्या कि इसको डेफर कर रहे हैं, इसलिये इसमें समय नहीं लिया जाय ?

मेरा ख्याल है, माननीय सदस्य ऐसा ख्याल रखते हैं इसलिये the clause is deferred.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : The Minister in charge never requested for it. The Minister incharge should stand up and request for deferring it.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : It may be deferred.

श्री उपाध्यक्ष : The request is now made and the clause is deferred.

(विराम)

क्लॉजेज़ ५७ और ५८

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ५७ और ५८ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ५७ और ५८ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ ५९

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय उपाध्यक्ष, यह क्लॉज़ भी डेफर किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Clause 59 is hereby deferred,

(विराम)

क्लॉज़ ६०

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ६० विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ६० विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ६१

(विराम)

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

(विराम)

रावराजा श्री सरदारसिंह

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ६१ में मेरा सुझाव यह है :

"Replace the words 'such officer or authority as may be prescribed' by the words 'the panchayat Samiti of the area concerned' occurring in section 78 sougth to be inserted."

उपाध्यक्ष महोदय, एडमिनिस्ट्रेशन की

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

जो रिपोर्ट भेजी जाती है उसके बारे में ६१ (ए) में यह लिखा है :

" Every panchayat shall submit to the Collector, and every Nyaya Panchayat shall submit to the District and Sessions Judge, a report on its administration for each year as soon as may be after the close of such year in such form, with such details and through such officer or authority as may be prescribed. "

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह तो कोई बात नहीं है, ठीक है, बेकार समय व्यर्थ में नष्ट न करें।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : कहीं 'बेकार' शब्द प्रोसिडिंग्ज़ में न आ जावे।

श्री उपाध्यक्ष : किसी ने सुने नहीं है।

रावरजा श्री सरदारसिंह : रिपोर्ट जायगी वह चाहे डेवलपमेंट ऑफिसर हो या ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट हो, प्रधान या चेयरमैन को मालूम ही नहीं होगा और अपनी मर्जी से रिपोर्ट बनाकर भेज देंगे।

तो मैं कहता हूँ कि इसमें बहुत कॉम्प्लीकेशन्स आ सकेंगे और ऐसे कॉम्प्लीकेशन्स उठेंगे कि प्रधान से पूछेंगे कि साहब यह तुम्हारी रिपोर्ट आई, यह गलती की है, तुम्हारी समिति को सुपरसीड किया जाता है, डिज़ॉल्व की जाती है। उसे मालूम नहीं कि क्या रिपोर्ट आई, क्यों भंग कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरा सुझाव है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कि 'ऑथोरिटी' शब्द लिखा है, यह न होकर 'थ्रू पंचायत' आवे। उस परिस्थित में उसकी रिपोर्ट आयेगी, तो प्रधान को या चेयरमैन को यह मालूम रहेगा कि रिपोर्ट क्यों की जाती है ? फिर जो आप विकेन्द्रीकरण, जनतत्र की प्रणाली अपनाना चाहते हैं, उसको सिखलाना चाहते हैं कि क्या बात है। बहुत से आदमी कहते हैं कि सरपंच कुछ नहीं जानता है, फलाना नहीं जानता है। मेरे पढ़ने में आया, उपाध्यक्ष महोदय, नेहरू जी ने कहा था, अगर नहीं जानते हैं, तो काम करते करते सीखेंगे। जब इस तरह की भावना है, उनको सिखाना है, तो वे रिपोर्ट को जानेंगे नहीं कि रिपोर्ट क्या होती है, तो नीचे से अहलकार भेज दें और मान लीजिये, उससे एक्स्प्लेनेशन पूछें कि यह गलत है, यह गलत है, यह क्या बात हो रही है ? यह सरकार ने क्या सोच समझ कर रखा है, इसलिए मेरा निवेदन है कि थ्रू पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आये तो ठीक है। बहुतसी बातों में ऐसा होता है कि आजकल बहुत सी जगह प्रधान, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर में झगड़े चलते हैं, वह उसको नहीं पूछता है, वह उसको नहीं पूछता है, और माननीय कन्सर्निंग मंत्री महोदय हैं, उनके पास बहुत सी शिकायतें आई हैं, अजमेर से आई हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट से आई है। मैं निवेदन करू कि अगर इनको सुचारु रूप से चलाना चाहते हैं तो अमेंडमेंट लाकर इसको कॉम्प्लीकेटेड क्यों बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि थ्रू पंचायत समिति एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आनी चाहिए, ताकि वह रेस्पॉन्सिबल रहे और अगर उसके थ्रू नहीं आये तो उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। मैं निवेदन यह करू कि सरकार इसे इस गर्ज से लाई है कि इधर बैठे हुए हैं, जिनके क्षेत्र में इनके आदमी चुन कर आये

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

हैं, उन पंचायतों को सुपरसीड करने के लिए तरीका निकालना है, तो वैसा करें, जो सरकार की मर्जी है, वर्ना जो ऑथोरिटी प्रेसक्राइब मनना, इससे कोई सेन्स नहीं निकलता है। अगर आप किसी पंचायत समिति या किसी पंचायत की रिपोर्ट मांगते हैं तो कम से कम उनके थ्रू मंगायें तो वे जांच कर भेजेंगे आपके पास, इससे यह सुधार आ जायगा। तो मालूम नहीं कि सरकार की क्या नीति है, वह नीति स्पष्ट करनी चाहिए और जो मैंने सुझाव दिया है उसको मानना चाहिए।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : ओन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, उपाध्यक्ष महोदय, सेक्शन ७८ में ए नया सेक्शन जोड़ रहे हैं, उसमें लिखा है "After section 78 of the principal Act, the following new section shall be inserted."

तो ७८ वैसा रखा है और ७८ के अन्दर "The sarpanch and panch and every officer of the panchayat is a public servant." तो इसके अन्दर न्याय पंचायत का नहीं है, तहसील पंचायत यूं का यूं रह जाता है....

श्री उपाध्यक्ष : आप कौनसे पॉइन्ट पर डिबेट करना चाहते हैं, तीन अमेंडमेंट्स हैं।

श्री शंकरलाल : मैं अमेंडमेंट पर नहीं बोल कर माननीय मंत्री जी से इन्फोर्मेशन चाहता हूं कि ७८ में एक नया सेक्शन ए जोड़ रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : यह इन्फोर्मेशन मैं बाद में एलाउ करूंगा....

श्री शंकरलाल : इसका क्लेरीफिकेशन बहुत जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow at this stage.

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज़ पर मेरा एक संशोधन इस प्रकार है : "Substitute the word 'Pramukh' for the word 'Collector' in section 78 A sought to be inserted." इसमें शब्द 'कलेक्टर' के स्थान पर 'प्रमुख' प्रतिस्थापित किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में हमारे राजस्थान में जो डीसेन्ट्रलाइज़ेशन हुआ है, उसके अनुसार पंचायत समिति और जिला परिषद् के हाथ में हमारी पंचायतों का सुपरविज़न आया है। उनके सुपरविज़न और इन्सपेक्शन की पॉवर हमारी पंचायत समिति और जिला परिषद् के हाथ में हैं और इस तरह डे टू डे वर्किंग की फर्स्ट हैंड नॉलेज जिला परिषद् और पंचायत समिति को जरूर रहती है; इस ख्याल से कि पंचायत का वर्किंग कैसे हो रहा है, एक सालाना रिपोर्ट जो प्रस्तुत होगी पंचायतों की उसमें कलेक्टर के बजाय प्रमुख के पास रिपोर्ट आयेगी। तो मैं समझता हूं कि जिला परिषद् को उन रिपोर्ट्स के बारे में कुछ जानकारी हो सकती है और अलग अलग पंचायतों के बारे में, उनकी क्या व्यवस्था है, उनके वर्किंग का क्या हाल है, इसके बारे में जिला परिषद् के मेम्बर्स को जानकारी हो सकती है और अगर उनमें कुछ कमी है तो वे लोग आइन्दा के लिए मार्ग दर्शन दे सकते हैं और पंचायत के काम में सुधार आ

(श्री भीमसेन)

सकता है। इस ख्याल से 'कलेक्टर' शब्द के स्थान पर 'प्रमुख' रखने का संशोधन पेश किया है। मैं समझता हूं कि कलेक्टर की बहुत वेरियस ड्यूटीज़ रहती हैं और वह ओवर बर्डन्ड है। उसके पास बहुत काम है, इसलिए मैं समझता हूं कि कलेक्टर के पास एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट जायगी, तो जो कुछ रिपोर्ट का महत्व है वह उतना नहीं रहेगा और पंचायत की व्यवस्था में जितना सुधार लाना है, उसको वह रखेगा, उस पर कलेक्टर का ध्यान नहीं जा सकेगा। इसलिए प्रमुख के पास एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आये तो पंचायत व्यवस्था में, कार्य प्रणाली में सुधार की ज्यादा गुंजाइश रहेगी, इस ख्याल से मैंने संशोधन पेश किया है !

श्री उपाध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री शंकरलाल (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था कि ७८ में जो नया सेक्शन ७८ ए जोड़ना चाहते हैं और ७८ के पुराने क्लॉज़ को यूं ही रखना चाहते हैं; ७८ का पुराना जो क्लॉज़ है उसमें यह है कि सरपंच, एवरी पंच एन्ड एवरी आॅफिसर होंगे, वे पब्लिक सर्वेन्ट्स हैं। तो जब तहसील पंचायत अबॉलिश कर दी है और उसकी जगह न्याय पंचायत करना चाहते हैं, जिसके लिए दूसरे सेक्शन में रखा है कि तहसील पंचायत को हटा कर न्याय पंचायत रखा जाय, इस सेक्शन में वह अमेंडमेंट नहीं आया है। मेरी समझ में नहीं आता है कि या तो यह गलती रह गई है या यह इनकरेक्ट है। आॅफ्टर ७८ यह जोड़ा है और ७८ यूं का यूं रह जाता है, उसमें तहसील पंचायत, शब्द रहते हैं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Clause-60 amends section 78.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री): क्लॉज़ ६० में अमेंडमेंट किया है, उसमें आ जाता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री शंकरलाल : नया सेक्शन जोड़ा है, उसमें सब्स्टीट्यूट नहीं किया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : धारा ६० है....

श्री शंकरलाल : न्याय पंचायत का सरपंच होगा वह पब्लिक सर्वेन्ट नहीं होगा....

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Minister will clarify it.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें तहसील पंचायत है, वह ड्रॉप हो गया है, इसलिए सवाल नहीं है, और देख लेंगे बाद में।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट के बारे में जो विचार चल रहा है, वह तो मैं समझता हूँ, बहुत निर्दोष धारा है। एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आॅलरेडी आती है, वह पब्लिश होती है। इसलिए उसकी किसी को जानकारी नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। उसमें प्रोवीज़न रखा हुआ है, " Through

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

such officer as may be prescribed" यह देखने की बात है। वह पंचायत समिति या ऑफिसर के जरिये से आ जाय, और कलेक्टर के पास आकर कम्पाइल होती है और गवर्नमेंट उसको पब्लिश करती है। ऐसा उसमें नहीं है कि रिपोर्ट के आधार पर कोई एक्शन लिया जायगा। सब की जानकारी के लिए इसको पब्लिश करने का विचार किया है, वह ठीक है। इसलिए जैसा यह है इसको इसी तरह पास करना चाहिए और जिन माननीय सदस्य ने संशोधन रखे हैं उनको वापिस लेना चाहिए।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट के अन्दर क्या है, इसकी जानकारी की जाती है तो मेरे ख्याल से वर्किंग में सुधार लाया जा सकता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जानकारी उसकी होती है और उसके आधार पर काम को ठीक कर लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६१ में जो संशोधन रावराजा श्री सरदारसिंह ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भीमसेन ने क्लॉज़ ६१ में प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भीमसेन : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६१ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६१ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्लॉज़ेज़ ६२ और ६३ उससे कनेक्टेड हैं, इसलिए इनको डेफ़र कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Clauses 62 and 63 are deferred.

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज़ेज़ ६४, ६५....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्लॉज़ ६४ ले लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६४ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६४ विधेयक में अंग रूप से

(श्री उपाध्यक्ष)

जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ६५।

श्री शिवचरणदास (माण्डल) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ६५बी के सब क्लॉज़ (२) में लिखा है कि ऐसे आदेश जारी कर सकते हैं पंचायत को कि उसके कार्य-काल की अवधि ऐसी होगी, जो राज्य सरकार लिखित आज्ञा के द्वारा निर्धारित करे। इसमें यह निवेदन है कि किसी भी पंचायत का निर्वाचन होने के बाद आम तौर से ३ साल का पीरियड होता है। यहां सरकार ने यह तय किया है, सरकार यह तय करना चाहती है कि नई पंचायत का निर्वाचन होते ही सरकार जो अवधि निश्चित करे उसका कार्य-काल रहेगा तो इसमें सरकार का इरादा है कि किसी न किसी तरह चुनी हुई बॉडी में सरकार का हस्तक्षेप रहे। यह अनुचित है। जब ३ साल का कार्य काल निश्चित है तो इसमें हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। इसलिये जैसा पहले है वैसा ही रहना चाहिये। यह मैं अपनी तरफ से विचार प्रकट करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ६५ में बी. क्लॉज़ है, उसके द्वारा जो ओरीजिनल सेक्शन ८६ है, जिसकी सब सेक्शन (७) है उसमें संशोधन किया जा रहा है। इस संशोधन के द्वारा, पहले क्लॉज़ था, उसमें लिखा था :

" (7) When an order under sub-section (1) has been or is passed and the State Government order under sub-section (6) the re-election of Panchas to the Panchayat or Tehsil Panchayat for the altered area, it may issue further directions in respect of the number of Panchas which such Panchayat or Tehsil Panchayat shall consist of and in respect of other matters incidental to, or consequential upon, such re-elections. "

इस "कॉन्सिक्वेन्शियल अपोन सच री-इलेक्शन " के बाद जो संशोधन लाया जा रहा है, वह यह है :

" after the words ' consequential upon such re-election ' the words ' and the term of the panchayat thereby reconstitued shall be for such period as the State Government may, by order in writing specify ' shall be inserted. "

तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरी तो समझ में नहीं आता कि जब किसी कारण से डिज़ॉल्व की गई वह पंचायत दुबारा रीकॉन्स्टीट्यूट की है तो रीइलेक्शन होता है और कान्सिक्वेंशियल ऑन रीइलेक्शन, यह पीरियड स्पेसिफाई किया गया है। क्यों यह स्पेसिफाई करेंगे कि इस पंचायत क्षेत्र में जो पंचायत रीकॉन्स्टीट्यूट हुई है वह ३ साल तक काम करेगी और अमुक पंचायत क्षेत्र में जो पंचायत रीकॉन्स्टीट्यूट हुई है वह २ साल के लिये काम करेगी और अमुक पंचायत क्षेत्र में जो पंचायत रीकॉन्स्टीट्यूट होगी वह एक साल के लिये काम करेगी। यह कौनसा फार्मूला है, समझ में नहीं आता। इससे तो यह परिस्थिति

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पैदा हो सकती है कि कहीं पंचायतें ३ साल के लिये काम करेंगी, कहीं २ साल के लिये और कहीं एक साल के लिये। तो इसमें या तो आप यह रख दीजिये रीकान्स्टीट्यूटेड पंचायतों के बारे में डिज़ोल्यूशन के पीरियड के बाद जो डेट स्पेसिफाई कर दें कि जो पंचायतें रीकॉन्स्टीट्यूट होंगी उनका कार्यकाल वही होगा जो किसी पंचायत का होगा, या यह कह दीजिये कि जो उनका बचा हुआ कार्यकाल है वही रहेगा, या ३ साल का, दो साल का कर दें पर स्टेट गवर्नमेंट में स्पेसिफाई यह मत रखिये, इससे तो गवर्नमेंट किसी पंचायत के लिये कोई पीरियड स्पेसिफाई करेगी तो दूसरी के लिये कोई पीरियड स्पेसिफाई करेगी। यह पंचायतों के बारे में करना कोई न्याय की बात नहीं है। हो सकता है कि यह बात ध्यान में नहीं आई हो या भूल से यह चीज़ इसमें रह गई हो। मैं यह नहीं कहता कि मन्त्री महोदय की मंशा हमेशा खराब रहती है, भूल से ऐसा हो गया होगा। जिस प्रकार का प्रावधान डिज़ॉल्यूशन, सुपरसेशन के क्लॉज़ में रखा है, वही कार्यकाल इनका रहेगा। इस प्रकार का प्रावधान इसमें रखना चाहिये पुनर्निर्वाचन के बाद, उनका वही कार्यकाल रहेगा जो नई पंचायतों का होता है। यह नहीं चाहते तो यह अमेंडमेंट ला सकते हैं कि जितना समय बचा हुआ है वही उन पंचायतों का कार्यकाल रहेगा। जो भी आप निश्चित करें वह सबके लिये समान रूप से कीजिये, सबकी अवधि समान हो, यह कीजिये। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो संशोधन इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है उसमें मेरे सुझावों को स्वीकार कर लें और यह सदन के सामने रख दें कि सबका समान रूप से कार्यकाल रहेगा। इस सुझाव के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : मान लीजिये यह तो।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री): अमेंडमेंट है क्या ?

यह क्लॉज़ इस मंशा से रखा गया था, ऐसा विचार था कि अब जनरल इलेक्शन्स सारी पंचायतों के एक साथ हो जाने चाहिये। जनवरी, सन् ६१ से पहले सबके इलेक्शन होंगे। दुबारा इलेक्शन होते हैं तो उसके बारे में ३ साल की मयाद रख दें तो हमारे प्रोग्राम में फर्क आता था। यही मंशा है, और कोई मंशा नहीं थी........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम कब कहते हैं कि बुरी मंशा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जनरल इलेक्शन्स सारी पंचायतों के एक साथ हो जायं, इसलिये यह रखा है। अगर माननीय सदस्य इसको पसंद नहीं करते तो भले ही न रखें। पर जनवरी, सन् ६१ से पहले सब पंचायतों के जनरल इलेक्शन करवाना चाहते हैं; उसमें दिक्कत आयेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें ये शब्द नहीं जोड़ सकते कि इनका कार्यकाल जनरल इलेक्शन तक होगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जनरल इलेक्शन जब कभी होगा पंचायतों का उस समय तक रीकॉन्स्टीट्यूटेड पंचायतों का कार्यकाल रहेगा, यह रखने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : You want to defer it ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Yes, sir.

श्री उपाध्यक्ष : तो Clause 65 is hereby deferred.

(विराम)

क्लॉज़ ६६

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ६६ बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज है। इस समय सदन के अधिकांश सदस्य बैठे तो यहां पर हैं पर इस समय उनका ध्यान अपने क्षेत्र की तरफ है। सब जगह डीलिमिटेशन हो रहा है। कई माननीय सदस्यों को जल्दी होगी कि किस तरह हमारी पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा है। सरकार ने नया तरीका अपनाया है, पर वह इसमें नहीं आने से ऐसा लगता है कि आगे कहीं न कहीं गड़बड़ी हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो तरीका अपनाया गया है वह इस प्रकार से है कि पंचायतों के क्षेत्र में पुनः गठन के सम्बन्ध में पंचायतें प्रस्ताव पास करती हैं। उसके बाद वह पंचायत समिति के पास जाता है और पंचायत समिति उस पर विचार करती है और फिर जिला परिषद् के पास भेजा जाता है और वहां पर जिला परिषद् में उस पर विचार होने के बाद वह कलेक्टर के पास आता है और कलेक्टर फिर अपनी राय के साथ राज्य सरकार को भेजता है और सरकार उस पर आज्ञा देती है। यह तरीका कानून में नहीं होते हुए भी सरकार ने अपनाया है। इसमें कई प्रकार की आपत्तियें हैं। इस प्रकार के कई प्रस्ताव पंचायतों ने पास किये और उन प्रस्तावों पर पंचायत समितियों और जिला परिषदों ने विचार किये और जब राज्य सरकार के पास भेजे गये। राज्य सरकार ने उसके बाद आदेश दिया कि हमने पटवार सर्कल को स्टेन्डर्ड इसके लिये माना है। इसलिये वे वापिस तहसीलों में आये। मैं यह निवेदन करूंगा कि जब एक दफा पंचायतों ने प्रस्ताव पास कर दिया और उसको जिला परिषद और पंचायत समितियों ने देख लिया और अब आप यह आदेश देते हैं कि हमने पटवार सर्कल को स्टेन्डर्ड माना है ? मैं यह कहूंगा कि इसमें सरकार को कई प्रकार की अड़चने आवेंगी। राज्य सरकार ने जो प्रावधान रखा है उसमें लिखा है : "सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा, आज्ञा दे सकेगी कि कोई से भी दो या अधिक पंचायत क्षेत्र"....आगे चल कर कहा है कि ऐसी तारीख से जो उसमें निर्देशित किये जावें। तो इसमें कोई कारण नहीं दिया गया है। परन्तु वर्तमान में पंचायतों के गठन का जो आधार माना है वह पटवार सर्कल को स्टेन्डर्ड माना है। उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि पटवार सर्कल बने हैं वे गलत तरीके से बने हुए हैं। अगर पंचायतों को पुनः गठन करने की आवश्यकता हो तो वह कर सकती थी और उसके लिये यह भी एक तरीका था कि तहसीलदार ने पंचायत समिति को भेजा और उन्होंने अपनी राय दी और उसके बाद उन्होंने जिला परिषद् को भेजा। वहां पर चुने हुए लोगों ने अपनी राय दी। सरकार ने उनका पुनः गठन किस तरह करना चाहिये इसमें किसी प्रकार का प्रावधान नहीं रखा। सरकार को यह उचित होता कि पुनः गठन करते समय कानून की शक्ल देते और उस कानून के अनुसार उनका पुनः गठन होता लेकिन सरकार ने मनमाने ढंग से पटवार सर्कल को

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

एक स्टेन्डर्ड माना है। अगर जिला परिषद् और पंचायत समिति उसको उपयुक्त नहीं समझती तो उसको चेन्ज नहीं कर सकती है। पटवार सर्कल में कई बार ऐसा होता है कि वे गलत बने हुए होते हैं। वे रेवेन्यू की सहूलियत के कारण बनाये जाते हैं और कई गांव पटवार सर्कल में होने के कारण पंचायतों में कठिनाइयें पड़ती हैं। तहसीलदार इस बात पर बैठे हैं कि सरकार की तरफ से आदेश आया हुआ है कि पटवार सर्कल पर पंचायतों का गठन हो, इसलिये दूसरा कोई आधार नहीं लेंगे। तो इससे पंचायत को इस आधार के कारण डिफिकल्टी महसूस हो रही है। इसमें राज्य सरकार ने केवल अपने ऊपर ले लिया है कि पंचायत सर्कल का गठन पटवार सर्कल पर हो। आज जब हम इस क्लॉज पर विचार कर रहे हैं तो इस पर सोचना होगा कि पहले किस प्रकार पंचायतों ने प्रस्ताव पास किया और उन प्रस्तावों को पंचायत समितियों और जिला परिषदों के पास भेजा और उन्होंने उनको कलेक्टर के पास भेजे और अब वे वापिस सरकार के पास से लौट कर आये हैं कि पंचायतों के गठन का क्षेत्र पटवार सर्कल माना जावे। अगर पटवार सर्कल को ही मान लें तो भी कई पंचायतों के क्षेत्र में चेन्ज करना होगा। तो मेरा यही निवेदन है कि इस क्लॉज में इसके लिये कोई प्रावधान करें; इस प्रकार का सुझाव है।

श्री मोगजीभाई (बांसवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो क्लॉज है पटवार सर्कल का वह इस प्रकार का है कि आजकल कठिनाइयें हमने गांवों में देखी हैं। अब जो नई पंचायतें बनने वाली हैं उनके लिये पंचायत समिति और जिला परिषदों ने सुझाव दिये उस पर सरकार अमल नहीं करती। सरकार दूसरे पंचायत क्षेत्र बनाने जा रही है। ऐसा हमने सुना कि पटवार सर्कल के आधार पर बनाने जा रही है। जब हमने सुना तो जो पटवार सर्कल बने वे पहले राजा-महाराजाओं के जमाने में जब जागीरदार और छोटे जागीरदार थे उस समय बने थे और वे ऐसे बनाये कि रेवेन्यू की सुविधा के अनुसार थे और उन्हीं के आधार पर सरकार ने पटवार सर्कल के रूप में उन गांवों को मान लिया। लेकिन जब नई पंचायतें बनेगी तो पटवार सर्कल का होना उचित नहीं होगा। इसलिये ऐसा सुझाव रखा है कि अगर किसी पंचायत को तोड़ मरोड़ कर उसको अच्छी पंचायत बनाते हैं और वह सर्कल में नहीं आ सकती है तो वह सर्कल पंचायत नहीं बना सकेगा। इसलिये इसका सरल उपाय यही है कि पंचायत समितियें और जिला परिषद् की राय हो उसको मानना चाहिये। अगर सरकार उनकी राय मानेगी तो सरकार को उसमें कोई असुविधा नहीं होगी और वहां की जनता को भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसके लिये नये सर्कल बनाएंगे उसमें बहुत-सी पंचायतों और पंचायत समितियों ने सुझाव भी दिये हैं कि वहां की पंचायत को हमेशा के लिये दिक्कत रहती है और जनता को असुविधा रहती है, इस प्रश्न को सुलझाना जरूरी है। राज्य सरकार अपना आदेश देकर एक ही आधार पर मान ले, तो यह उचित नहीं है। इसलिये इसमें जरूर परिवर्तन करना चाहिये। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसमें अवश्य संशोधन करेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री):

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण कर दूं कि हमने पंचायतों के सम्बन्धी जो आज्ञा प्रसारित की है उसके अनुसार पटवार सर्कल और पंचायत सर्कल के अनुसार बनाने के लिये, हिदायत की है और यह हिदायत की है कि अगर पंचायत क्षेत्र बनावें तो उसमें कोई गल्ती हो तो वह ठीक कर दी जावे या पटवार सर्कल में ठीक नहीं बैठती है तो उसको ठीक कर लिया जावे। इसमें ऐसी बात नहीं है कि पटवार सर्कल के अनुसार ही पंचायत बनाई जावेगी और मैं समझता हूं कि इस आज्ञा के अनुसार अमल हो रहा है और उसके अनुसार पंचायत समितियों और जिला परिषदों से राय ली जाती है। मैं समझता हूं कि यह क्लॉज जैसा है वैसा ही पास कर दिया जावे। एक पंचायत में दो पटवार सर्कल आ सकते हैं और एक पटवार सर्कल में दो पंचायतें बन सकती हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): हमने यह देखा है कि एक एक पंचायत में चार चार पटवार सर्कल आ जाते हैं, इस प्रकार की कई पंचायतें आपको मिलेंगी।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): ये तो स्टेन्डिंग आॅर्डर्स हैं। इनका कानून में कोई प्रावधान नहीं है गवर्नमेंट स्टेन्डिंग आॅर्डर को कभी बदल सकती है। इसलिये जब तक एक्ट में इसका प्रावधान नहीं आता है तब तक स्टेन्डिंग आॅर्डर तो कभी भी बदले जा सकते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह नया सेक्शन एड किया है। हमने आॅलरेडी इस सम्बन्ध में हिदायतें दे दी है और उनके अनुसार पंचायतों का रीकन्सट्रक्शन हो जाएगा। इसमें हमने यह रखा है कि कोई भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट इस सम्बन्ध में इश्यू करेगी यह उसमें रहेगा। यह आॅब्लीगेटरी है। यह ६६ नया एड किया है इसमें यह किया गया है। इसलिये मैं समझता हूं कि कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ६६ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज ६६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ६७

श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री रामप्रसाद लडढ (शाहपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है:

"Delete sub-sections (2) and (3) of section 88 sought to be substituted and add the following clauses to sub-section (1) of this section:—

"(vi) all Government lands lying within the abadi area of the Panchayat circle;

(vii) all properties, works, materials or things belonging to the State Government, which the State Government may vest in the Panchayat:"

इस क्लॉज ६७ के जरिये मूल एक्ट की

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

धारा ८८ तरमीम की जा रही है। इसमें पंचायत प्रोपर्टी का वर्णन किया है। इसकी सब क्लॉज़ (१) में उस प्रोपर्टी को बताया गया है कि जो पंचायत में वेस्ट होती है, "shall vest in and belong to a panchayat"

इसका वर्णन किया है वह "(iii) all public gates, markets, buildings, tanks reservoirs, wells, bridges, culverts tunnel, gutters, water-works" आदि जायदादें या वे जायदादें जो सरकार ने ग्राम पंचायतों को ट्रान्सफर की गई हो। और इसके सब क्लॉज (२) में उस जायदाद का वर्णन है जो पंचायत के क्रिएशन होने के बाद गवर्नमेंट चाहे तो subject to such restrictions उसमें वेस्ट कर सकती है। सब क्लाज (१) में जिनका वर्णन किया गया है वे इस तरह की हैं कि वे पंचायतों पर लाएबिलिटीज हैं। पंचायतों को मेन्टेन करना होगा। ऐसी जायदाद के लिये लिखा है, "shall vest in and belong to a panchayat." लेकिन सवाल आता है पंचायत सर्किल के अन्दर जो आबादी की जमीन है उसको पंचायत में वेस्ट करने का ? उसके लिए प्रावधान किया गया है कि "subject to such conditions and restrictions as it may think fit to impose, the Government may place at the disposal of the panchayat all or any of the Government lands lying within the area of its panchayat circle." तो मेरा यह सुझाव है कि आबादी की जमीन जो पंचायत के क्षेत्र में हो वह पंचायत के स्टेबल होते ही उसी में वेस्ट होनी चाहिये और जो इन्कम की चीजें हैं उन पर गवर्नमेंट ने कन्डीशन्स और रेस्ट्रिक्शन्स रखी हैं कि जिस पंचायत को चाहे जितनी जमीन वह उसमें वेस्ट कर दे। किसी पंचायत में सरकार जमीन वेस्ट नहीं करना चाहती है और उस आबादी की जमीन में कमी करना चाहती है। यद्यपि ज्यादा जमीन उपलब्ध हो तब भी सरकार ऐसा कर सकती है। ऐसे डिस्क्रिश्नरी, पॉवर्स सरकार ने अपने हाथ में रखे हैं। मैंने सब क्लॉज (२) में यह अमेंडमेंट रखा है कि उसको मन्सूख कर दिया जाय और सब-क्लॉज (१) है उसके अन्त में यह जोड़ दिया जाय कि "(vi) all Government lands lying within the abadi area of the panchapat circle.,

(vii) all properties, works, materials or thing belonging to the State Government, which the State Government may vest in the panchayat."

यह क्लॉज सब-क्लॉज (१) के अन्त में जोड़ देने से आबादी की जमीन 'shall vest' की केटेगरी में आ जावेगी। जितनी पंचायत सर्किल में जमीन है वह उसमें वेस्ट हो जावेगी।

सरकार एक खतरा महसूस कर सकती है कि 'शैल वेस्ट' की केटेगरी में जमीन शुमार कर लेते हैं और पंचायत बनते ही ऐसी जमीन उनकी मिल्कियत की हो जावेगी तो हो सकता है कि उसका पंचायत मिसमेनेज करे, हो सकता है कि उससे जो आमदनी हो वह ठीक ढंग से खर्च न करे। लेकिन पूरे क्लॉज को पढ़ने से यह खतरा नहीं रहता है। चूंकि सब-क्लॉज (३)(४)व(७)में बता दिया गया है जो प्रोपर्टी पंचायत में वेस्ट की जावेगी उसका मेनेजमेंट पंचायत ट्रस्ट की हैसियत से करेगी। उसको बेचने के लिए खर्चे का तरीका भी

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

बताया गया है। पंचायत नियमानुसार और जो तरीका बताया गया है उस तरीके से जमीन न बेचे, उस जमीन का दुरुपयोग करे तो उस पंचायत से वापिस सरकार पूरी या जितनी ठीक समझे रिज्यूम कर सकती है, दिये गये पॉवर्स को विथ्ड्रा कर सकती है। जब सरकार ने सेफगार्ड्स ले लिए है, मिस मेनेजमेंट होने पर पूरी प्रोपर्टी वापिस ले ले, कानून के अन्तर्गत, नियमों के अनुसार प्रोपर्टी को बेचे और यदि इन्क्वायरी होने पर यह साबित हो जाय कि गलत तौर पर किया है तो उस सारी को रिज्यूम कर ले, सरकारी काम के लिए चाहे तो सरकार जितनी चाहे उतनी जमीन ले ले, यह प्रावधान रखा गया है तो फिर खतरा कहां है ? खतरा नहीं है सरकार के सामने और उस हालत में सरकार के पास क्यों डिस्क्रिमिनेशन छोड़े कि जितनी पंचायतों को चाहे उनमें वेस्ट करें, नहीं चाहें तो नहीं करें, पूरी चाहें तो पूरी वेस्ट करें और थोड़ी चाहें तो थोड़ी वेस्ट करें ? यह डिस्क्रिमिनेशन का सवाल आता है। सरकार चाहे किसी अच्छे कारणों से करे, लेकिन जितनी पंचायतों में आबादी की लैंड किसी पंचायत में सारी करे, किसी में कम करे और किसी में न करे तो वहां पर तो डिस्क्रिमिनेशन का सवाल आएगा और पंचायतों में असंतोष रह जायगा। इसलिए इस क्लॉज़ में यह संशोधन रखा गया है कि इसको सब-क्लॉज (१) में जोड़ दिया जाय और यदि नियमों का उल्लघंन हो तो उस जमीन को सरकार में वापिस की जा सकती है वर्ना लायबिलिटी वाली सारी जायदाद तो उन पंचायतों को सुपुर्द कर दें और जो इन्कमवाली जमीन है उस पर सरकार डिस्क्रिमिनेशन करे कि चाहे तो वह पूरी दे, चाहे तो कम दे और नहीं चाहे तो नहीं दे, जिसको चाहे उसको दे और जिसको न चाहे उसको न दे, यह डिस्क्रिमिनेशन होगा। हम ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देना चाहते हैं इसलिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहना चाहिये। इस दृष्टि से यह अत्युत्तम रहेगा कि सब-क्लॉज (१) में मेरे सुझाव के मुताबिक इबारत जोड़ दी जाय पंचायतें नियमों के अनुसार जमीन बेचेंगी। यदि कोई पंचायत इर्रेगुलेरिटी करेगी तो उस जमीन को इस धारा में लेने का अधिकार है ही।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और इस आधार पर करता हूं कि सब-क्लॉज (१) में निर्धारण किया है कि प्रोपर्टीज़ जो पंचायत में वेस्ट करेगी, और सब क्लॉज (२) में लिखा है,

"The State Government may, subject to such conditions and restrictions as it may think fit to impose :-

(i) vest in the panchayat any properties, works, materials, or things belonging to the State Government,

(ii) place at the disposal of the panchayat all or any of the Government lands lying within the abadi area of its panchyat circle."

उन्होंने जो संशोधन रखा है जिसके द्वारा इन दोनों ही चीजों को पहली केटेगरी में जोड़ दिया जाय। आपकी मन्शा यह है कि गवर्नमेंट की लैंड पंचायत के आबादी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

क्षेत्र में है वह पंचायतों को ट्रान्सफर कर दी जाय और टाइम्स और कन्डीशन्स पर कर दिया जाय। टाइम्स, कन्डीशन्स का सवाल जनरल लिख दिया गया है कि किस प्रकार मेनेज किया जायगा। मुझे इसमें आपत्ति नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो प्रोपर्टी का मिस यूज़ न हो, इस दृष्टि से गवर्नमेन्ट उसको रेगुलेट कर सकती है और करना भी चाहिये। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि सरकार ने कहा है कि कुछ तो ट्रान्सफर कर दी जाय और कुछ नहीं की जावेगी। यह डिस्क्रिमिनेशन कैसे करेंगे ? पंचायत क्षेत्र के अन्दर आबादी लैंड है तो किसी में तो गवर्नमेन्ट चाहेगी तो उस लैंड को पंचायत को ट्रान्सफर कर सकेगी और किसी में गवर्नमेन्ट नहीं चाहेंगी तो नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने जो संशोधन रखा है वह सही है। इन जनरल गवर्नमेन्ट को आबादी लैंड को पंचायतों को ट्रान्सफर कर देना चाहिये, बाई वन वे कर देना चाहिये। गवर्नमेन्ट कन्ट्रोल रखे कि उस प्रोपर्टी का मिस यूज़ न हो। सब क्लॉज़ (७) में यह प्रावधान कर दिया गया है कि गवर्नमेन्ट चाहे तो जिला परिषद् के परामर्श से उस प्रोपर्टी को वापिस ले सकती है। रेगुलेशन के बारे में आपत्ति नहीं है, कन्ट्रोल रहे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन राजस्थान में कुछ पंचायतों को तो ट्रान्सफर कर दे और कुछ को न करे इसका नतीजा यह होगा कि जिन पंचायतों को ट्रान्सफर कर दी गई है उनकी अवस्था तो ठीक होगी और जिन पंचायतों को ट्रान्सफर नहीं की गई है उनकी अवस्था ठीक नहीं होगी। कुछ पंचायतें इन्कम की दृष्टि से अच्छी रहेंगी और कुछ पंचायतों की हालत सोचनीय रहेगी।

सब क्लॉज़ (७) में आपने यह लिखा है :

"(7) The State Government may from time to time by notification in the Official Gazette, resume, in consultation with the Zila Parishad concerned any property or land mentioned in sub-section (2) :-

(i) If the panchayat is found upon inquiry to have mismanaged the same." यह मिस मेनेजमेन्ट शब्द लिखा है mismanaged the same", and "found upon inquiry." उनके बारे में मैं क्लेरिफिकेशन चाहूंगा कि इसकी कौन इन्क्वायरी करेगा ? तहसीलदार, नायब तहसीलदार से करायेंगे ? किस प्रकार होगी ? दूसरा लिखा है 'मिस मेनेज्ड'। इसके बजाय 'मिस यूज्ड' रखते तो अच्छा होता। किसी प्रोपर्टी की सफेदी का सवाल है, व्हाइट वाशिंग का सवाल है, पंचायत फन्ड्स अलाऊ नहीं करते हैं, गवर्नमेंट उस हालत में इस दृष्टि से कह सकती है कि सफेदी नहीं कराई इसलिए गवर्नमेंट प्रोपर्टी को मिस मेनेज किया, इसलिए इसको गवर्नमेंट रिज्यूम करती है। इसलिए 'मिस मेनेज्ड' के बजाय 'मिस यूज्ड' रखेंगे तो अच्छा होगा। मिस मेनेजमेंट कई हो सकते हैं। बसका दायरा सीमित नहीं है। गवर्नमेंट जिसको गलत समझती है वहां मिस मेनेज्ड रहेगी। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि गवर्नमेंट का कन्ट्रोल होना चाहिये। जनरल ऑर्डर से आबादी लैंड सारी पंचायतों को दे दी जाय। इसमें यह नहीं होना चाहिये कि इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन रखें कि गवर्नमेंट चाहे जिस पंचायत को दे और जिसको न चाहे उसको न दे। इन्क्वायरी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

और डिसिन्ज़न्स के लिए स्पष्टीकरण कर दें और सदन को आश्वासन दे दें कि इसके लिए अच्छे ऑफिसर्स रखे जावेंगे। यदि तहसीलदार को मुकर्रर करेंगे तो सदन को यह बात स्मरण होगी कि वृक्ष काटने के अधिकार तहसीलदार से लेकर एस. डी ओ. और असिस्टेन्ट कलेक्टर्स को दिये गये हैं और इस आधार दिये गये हैं कि तहसीलदार ने मिसयूज़ किया अपने पॉवर्स का। एस. डी. ओ. के लेवल से आगे किसी भी ऑफिसर से इन्क्वायरी कराइये, यह आश्वासन दे सकते हैं। इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे इस प्रकार का आश्वासन दें दें कि इन्क्वायरी किसी तहसीलदार या नायब तहसीलदार से करायेंगे और उससे ऊंचे अधिकारी से ही करायेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो लैंड के बारे में बात है उसके बारे में दर असल में गवर्नमेंट ने क्लिअर ऑर्डर दे दिया है, "Abadi Land lying within a Panchayat Circle will vest in the Panchayat." इसलिये यह जो अमेंडमेंट है इसका जो पहला पार्ट है, Part (vi) इस दृष्टि से आवश्यक है। इसको स्वीकार करता हूं।

इन्क्वायरी के बारे में जो कहा गया है उसके बारे में गवर्नमेंट के पहले से ऑर्डर है कि पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, पंचायत इन्क्वायरी करता था अब बहुत सीनियर ऑफिसर-आर० ए० एस० ऑफिसर को यह काम सौंपा गया है। जहां. पंचायतों में, पंचायत समितियों में बी. डी ओज़. वगैरह उनके अन्दर में रहते हैं, बहुत सी जगह शैडो ब्लॉक्स के अन्दर तहसीलदार वगैरह भी रहते हैं वैसी हालत में सीनियर ऑफिसर को इन्क्वायरी करने के लिये इन्स्ट्रेक्शन इश्यू कर दिये हैं एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट इन्क्वायरी करेंगे।

'मिस मेनेज' की जगह 'मिस यूज़' शब्द के लिये कहा गया; मैं समझता हूं दोनों के अर्थ समान ही हैं; इसलिये 'मिस मेनेज' शब्द ही ठीक है।

एक माननीय सदस्य : जिला परिषद् का सेक्रेटरी तो कोई सीनियर ऑफिसर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: आप श्री रामप्रसाद लड्ढा के अमेंडमेंट को स्वीकार करते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक हिस्से को।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामप्रसाद लड्ढा ने पार्ट ६ में रखा है धारा ६७ के सम्बन्ध में उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा): I beg leave of the House to withdraw the rest of my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संशोधन का दूसरा भाग, जो श्री रामप्रसाद लड्ढा ने रखा है, उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६७, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६७, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

कार्य सलाहकार समिति के १३ वें प्रतिवेदन का उपस्थानपन एवं उस पर सहमति

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के १३वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं ।

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य सलाहकार समिति के १३वें प्रतिवेदन पर सदन अपनी सहमति प्रदान करे ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति के १३वें प्रतिवेदन को सदन सहमति प्रदान करे ।

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई ।

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १६६०

(अग्रेतर खण्डश: विचार-विमर्श)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ६८ को डेफर कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष: Clause 68 is deferred

(विराम)

Clause 69. Shri P. K. Chaudhary.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : My amendment is on 68 and not on 69.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ६६ जो इस बिल में रखा है इसके अन्दर ६२ ए और बी न्यू सेक्शन जोड़ने के बारे में है। उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ ६६ पर थोड़ा गंभीरता से विचार किया जाय तो इसमें बहुत गंभीर बातें हैं । ६२ ए में लिखा है :

" 92 (A). Power to amend schedules :-

The State Government may by notification in the Official Gazette, amend, add to or vary any of the Schedules to this Act in such manner as it thinks proper. "

उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं समझता हूँ कि यह जो शिड्यूल इस एक्ट में दिया हुआ है सदन इस कानून को पारित करेगा उसके शिड्यूल को भी पारित करेगा । जब इसके शिड्यूल को भी पारित करेगा तो मैं नहीं समझता कि किस आधार पर कौनसी व्यवस्था के कारण राजस्थान सरकार को यह अधिकार दिये जा सकते हैं ? जिस शिड्यूल को सदन ने पारित किया है; उस शिड्यूल में मनमानी ढंग से राज्य सरकार जब चाहे परिवर्तन कर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सके। यह एक प्रकार से सदन का अधिकार है सदन का जो कानून बनाने का अधिकार है वह अधिकार राज्य सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है। ऐसे अधिकार राज्य सरकार को नहीं दिये जा सकते। इसलिये मेरा निवेदन है कि ये अधिकार न दिये जायं। इस सदन ने जो शिड्यूल पारित किये हैं, आज सदन ने मोहर लगा दी, कल राज्य सरकार चाहेगी तो उसमें परिवर्तन कर सकती है, पर्टिकुलर पॉइन्ट को इनकोर्पोरेट कर सकती है। राज्य सरकार चाहे तो शिड्यूल को निकाल सकती है। इस प्रकार के जो अधिकार सदन के हैं वे राज्य सरकार के पास नहीं रहने चाहिये। इस धारा में राज्य सरकार को जो लम्बे-चौड़े अधिकार दिये हैं :

"Matters for which panchayats may provide

1. In the sphere of Sanitation and Health.

2. In the sphere of Public Works."

इस प्रकार से लम्बा-चौड़ा शिड्यूल सदन में विचारार्थ प्रस्तुत होता है, सदन में संशोधन आ सकता है। इन सबके बावजूद इस प्रकार के अधिकार डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के रख देते है; राज्य सरकार उसका अनुचित उपयोग कर सकती है। ऐसी परिस्थिति में सरकार को अपना संशोधन प्रस्तुत करते समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी है वे आज्ञा जारी करेंगे, आज्ञा प्रस्तुत की जायगी, १४ दिन तक मेज पर रखे जायेंगे, अधिक से अधिक संशोधन मूव करते जायेंगे इस प्रकार का इसमें प्रोवीजन नहीं। इसलिये मैं इस ६२ ए के जोड़ने का विरोध करता हूं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Time is up, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : We now adjourn to meet tomorrow at 11 A. M.

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही दिनांक १५ अप्रेल, १९६० के म० पू० ११ बजे तक के लिये ५.० म. प. पर स्थगित हुई)

संक्षिप्त–विवरण

(गुरुवार, १४ अप्रेल, १६६०)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों शीर्षक ७६७१

ग्राम पंचायत बिदारा, जिला जयपुर के सरपंच का चुनाव।

कोटा जिले की कतिपय तहसीलों में सिंचाई योजना का अभाव।

राजस्थान राज्य की प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी योजना।

सार्वजनिक सम्पर्क विभाग द्वारा दूसरे विभागों से उधार मंगाई गई वस्तुएं।

जोधपुर के निकट बनाड़ गांव में जोजरी नदी के पानी के उपयोगार्थ योजना एवं की उसे कार्यान्वित करना।

बांसवाड़ा जिले में अन्तर–प्रान्तीय अनाज ट्रकों की पकड़।

पाली बांगड़ हॉस्पीटल के लिए विज़िटिंग कमेटी का निर्माण।

सीकर जिले की डिफंक्ट (Defunct) सहकारी समितियां।

तहसील आसिन्द की पंचायत

बदनौर के सरपंच के खिलाफ मामले।

सांगानेर विकास खण्ड में किश्तों पर वितरित सिलाई मशीनों की रकम की वसूली।

सब–तहसील कुम्हेर के हेलक ग्राम के पासवाले बांध की मरम्मत।

श्री माला साकिन गोड़चावास की थानेदार श्रीनगर, जिला अजमेर द्वारा की गई मारपीट व गिरफ्तारी पर जांच।

आदर्श नगर बस्ती के पूर्व में स्थित चूने के भट्टे।

ग्राम उटमान, जिला सिरोही के जग्नेश्वर ब्राह्मण की हत्या।

जनता से अपेक्षित श्रमदान वाली लघु सिंचाई योजना।

गंगानगर जिले के चुनावर हत्या-कांड मामले में अनुसंधान।

जिला जालोर के निम्बलाना

स्कम्भ

गांव से माह फरवरी, १९६० में डाकू द्वारा उड़ाये गये दो व्यक्ति।

जयपुर से गंगापुर तथा दौसा से गंगापुर आनेवाली बसों द्वारा समय की पाबन्दी।

तहसील नीम का थाना में भुदौली ग्राम बांध का निर्माण।

राजस्थान प्रदर्शनी, चौगान में आयुर्वेदिक विभाग द्वारा लगाई गई नुमाइश।

नीम का थाना सब-डिवीजन में दिसम्बर, १९५९ से फरवरी, १९६० तक हुई चोरियां।

गंगापुर व बामनवास तहसीलों में पंचायतें निर्माण करने के प्रस्ताव

स्थगित प्रश्न

पिलानी नगरपालिका के विरुद्ध लगाये अभियोगों में कार्यवाही।

घोषणा

अध्यक्ष महोदय ने सदन को यह सूचित किया कि जनलेखा समिति, १९६०-६१ के लिये श्री हरिदेव जोशी तथा प्राक्कलन समिति, १९६०-६१ के लिये श्री भोलानाथ को सभापति नियुक्त किया गया है।

अध्यक्ष महोदय ने यह भी सूचित किया कि जनलेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति, १९६०-६१ का कार्य काल दिनांक १४ मई, १९६० से प्रारम्भ होगा।

सदन की निम्नांकित समितियां भी अध्यक्ष महोदय द्वारा मनोनीत की गईं जिनके सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :--

आश्वासन समिति (Committee on Government Assurances)

१. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी, सभापति

२. श्रीमती गौरी पूनिया

३. श्री मोहरसिंह

४. श्री जेठमल बरवाड़

५. श्री मोगजी भाई

इस समिति का कार्यकाल दिनांक १८ मई, १९६० से प्रारम्भ होगा।

याचिका समिति (Committee on Petitions)

१. राव श्री नारायणसिंह (मसूदा) सभापति

२. श्री शंकरलाल

३. श्री श्रीनिवास शारदा

४. श्री हरिकिशन

५. श्री अर्जुनदास

६. रावल श्री नरेन्द्रसिंह

७. श्री शिवचरणदास

८. डॉ० चन्द्रकला

९. श्री अब्दुलगफ्फारखां

१०. श्री जयचन्द्र मोहिल

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी **समिति** (Committee on Subordinate Legislation)

१. श्री चन्दनमल वैद, सभापति

२. श्रीमती गंगादेवी डाटा

३. श्री सोहनलाल भटनागर

४. श्री रघुवीरसिंह

५. श्री मोतीलाल

६. श्री महेन्द्रसिंह पंवार

७. कुमारी शन्नोदेवी

८. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

९. श्री तेजाराम गहलोत

१०. श्री आबिदअली

इस समिति का कार्यकाल दिनांक १८ मई, १९६० से प्रारम्भ होगा।

विशेषाधिकार समिति (Committee on Privileges)

१. श्री तेजमल बापना, सभापति

२. श्री भैरोसिंह खेजड़ला

३. श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा

४. श्री तेजपाल

५. श्री नाथूराम भील

६. श्री मनरूपराम परिहार

७. श्री रामचन्द्र

८. मेजर श्री फतेहसिंह

९. श्री अनूपसिंह

१०. श्री शीशराम ओला

प्राक्कलन समिति, १९५९–६० के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री भोलानाथ, सभापति, प्राक्कलन समिति, १९५९–६० ने निम्नांकित विभागों से सम्बन्धित चौदहवें तथा पन्द्रहवें प्रतिवेदनों का उपस्थापन किया :–

१. सहकारिता विभाग,

२. खनिज एवं भूगर्भ विभाग

विधायी कार्य

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९६० ८०३०

उपरोक्त विधेयक पर आज भी

खण्डशः विचार जारी रहा :-

खण्ड ४९, ५० व ५१ :- बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये।

खण्ड ५२ :-आस्थगित किया गया।

खण्ड ५३, ५४ व ५५ :-बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये।

खण्ड ५६ :-इस खण्ड पर सर्व श्री रावराजा सरदारसिंह, रामप्रसाद लड्ढा, पी. के. चौधरी एवं प्रभारी मन्त्री द्वारा संशोधन प्रस्तुत किये गये। इन पर की गई बहस में १० सदस्यों ने भाग लिया। बहस के पश्चात् खण्ड आस्थगित रहा।

खण्ड ५७ व ५८ :-बिना संशोधन के स्वीकार किये गये।

खण्ड ५९ :-आस्थगित किया गया।

खण्ड ६० व ६१ :- स्वीकार किये गये।

खण्ड ६२ व ६३ :- आस्थगित किये गये।

खण्ड ६४ :- स्वीकार किया गया।

खण्ड ६५ :- आस्थगित किया गया।

खण्ड ६६ :-स्वीकार किया गया।

खण्ड ६७ :- संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड ६८ :- आस्थगित किया गया।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने कार्य सलाहकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

तत्पश्चात् श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता के प्रस्ताव पर सदन ने उक्त प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट की।

दिनांक १५ अप्रेल, १९६० की कार्य-सूची :

(१) राजस्थान सिंचन व जल निवास (संशोधन) विधेयक, १९६०

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १०२५ का उत्तर देखिये)

क्रम संख्या १	नाम समिति जो डिफंक्ट है (जिला सीकर) २	कब से डिफंक्ट है ३
१.	खाचरियावास सहकारी भंडार लि०	क्रम संख्या १ से २३ तक सन् १६५२ से स्थिर अवस्था में है।
२.	मुंडरू ,, ,,	
३.	श्रीमाधोपुर ,, ,,	
४.	धाधन ,, ,,	
५.	नीम का थाना सहकारी स्टोर लि०	
६.	ग्राम सेवा सहकारी भंडार लि०	
७.	लक्ष्मणगढ़ सहकारी स्टोर लि०, पलहाणा	
८.	थोई सहकारी भंडार लि०	
९.	हर्ष सहकारी भंडार लि०	
१०.	जेठी सहकारी भंडार लि०	
११.	खाटू सहकारी भंडार लि०	
१२.	सीकर कर्मचारी सहकारी भंडार लि०	
१३.	हांसपुर उन व सूत कतवारी बुनकर सहकारी समिति लि०	
१४.	सिरोही सहकारी भंडार लि०	
१५.	सीकर कोऑपरेटिव स्टोर लि०	
१६.	गजानन्द सहकारी भंडार लि०, लक्ष्मणगढ़	
१७.	रींगस सहकारी भंडार लि०, सीकर	

१	२	३
१८. अजीतगढ़ सहकारी भंडार लि०		
१९. दांतारामगढ़ काऑपरेटिव स्टोर लि०		
२०. अजीतगढ़ बुनकर सहकारी समिति लि०		
२१. दि स्पीनर्स एण्ड वीवर्स सहकारी समिति लि०, मुंडरू.		
२२. पटवारी का बास बुनकर सहकारी समिति लि०		
२३. मोफतपुरा बुनकर सहकारी समिति लि०		
२४. रींगस केलिको प्रिन्टर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लि०		१९४७ से
२५. श्रीमाधोपुर खादी उत्पादक सरकारी समिति लि०		१९५२ से
२६. श्रीमाधोपुर विवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लि०		१९५२ से
२७. डेयरा बुनकर सहकारी समिति लि०		१९५२ से
२८. सीकर ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि०		१९५८ से
२९. पानवाड़ा हाथ करघा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि०		१९५७ से
३०. खादी हाथ करघा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि०		,,
३१. संयुक्त हाथ करघा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि०		

१	२	३
३२. फतेहपुर बुनकर सहकारी समिति लि०		१६५७ से
३३. रामगढ़ ,, ,,		,,
३४. सिरोही ,, ,,		,,
३५. स्वदेशी सहकारी समिति लि०		,,
३६. नेतड़वास बहुधन्धी सहकारी समिति लि०		,,

उपरोक्त समितियों में से निम्नलिखित समितियों में गबन, दुरुपयोग एवं अनियमितताय़ें आदि की सूचना प्राप्त हुई हैं जिनका विवरण इनके समक्ष दे दिया गया है।

१. लक्ष्मणगढ़ को-ऑपरेटिव स्टोर	इस समिति में ११,१८३ रु० के गबन की सूचना मिलने पर तारीख १३-६-५६ को गबन कर्त्ता श्री वैंकटेस पारीक के विरुद्ध मामला पुलिस को दिया गया। पुलिस ने दिनांक १८-६-५७ को अदालत में इसका चालान पेश कर दिया; जहां कार्यवाही जारी है।
२. जेरठी सहकारी भंडार लि०	इस समिति में ४६६ रु० के गबन की सूचना तारीख ६-६-५२ को प्राप्त होने पर गबन कर्त्ता श्री भंवरसिंह, मंत्री के विरुद्ध इस समिति की प्रबन्ध कारिणी समिति ने दिनांक १३-६-५२ को मामला पुलिस में दे दिया और पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया; जहां से दिनांक २२-६-५७ को मुकदमा खारिज कर दिया। अब विभाग ने इस समिति को अवसापन में लाने के आदेश दिनांक ५-२-६० को दे दिये हैं।

१	२	३
३.	सीकर कोआॅपरेटिव स्टोर लि०	इसका रेकॉर्ड पुलिस के पास सन् ५२ से है, इसलिए कितने रुपये का गबन है: यह सूचना उपलब्ध नहीं हुई है। इस में दोषी श्री वैंकटेस पारीक हैं। पुलिस कार्यवाही कर रही है।
४.	नेतड़वास बहुधन्धी सहकारी समिति लि०	इस समिति में ७,७४४ रु० के गबन करने की सूचना दिनांक १०–१–५६को मिली जो सर्व श्री राजकुमार, सभापति व बालकृष्ण मंत्री द्वारा किया गया। रकम की वसूली के लिये राजस्थान सहकारी अधिनियम की धारा ५७ के अन्तर्गत कार्यवाही करने के आदेश दिनांक ३०–७–५६ को दिये जा चुके हैं। मामला तहसीलदार, सीकर के पास चल रहा है और इसको पुलिस में देने के लिए समिति प्रबन्ध कारिणी कमेटी को भी लिख दिया गया है।

३–४ मंत्रि-मंडल की बैठक सीकर में दिनांक ३–२–५६ को नहीं हुई बल्कि ३–२–६० को हुई थी तब से समितियां क्रम संख्या १ से १८ तक को दिनांक ५–२–६० को अवसायन में लाने के आदेश दिये गये हैं; जिनके अनुसार कार्यवाही तीव्र गति से की जा रही है। शेष समितियां करीब करीब आर्थिक संकट के कारण स्थिर अवस्था में हैं जिनको पुनर्जीवित कराये जाने के प्रयास करने के लिए विभागीय कर्मचारियों को समझा दिया गया है। यदि ये पुनर्जीवित नहीं हो सकीं तो इनको भी अवसायन में लाने की कार्यवाही की जायेगी।

———

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १०३० का उत्तर देखिये)

Notification.

MUNICIPAL COUNCIL, JAIPUR.

Whereas lot of complaints by the inhabitants of newly developed Adarshnagar and authorities of T. B. Sanatorium about the nuisance caused by the Lime Kilns existing on the sites between Agra Road and Adarshnagar and between Trenching Ground and T. B. Sanatorium have been received by the Municipal Council and whereas the Health Officer of the Municipal Council, after being satisfied has declared the said Lime Kilns as a source of nuisance and degenrous to the health of the inhabitants of the newly developed Adarshnagar, other neighbourers, and the T. B. patients of the sanatorium, I. S. N. Misra, Administrator, Municipal Council, Jaipur, am satisfied that the working of the Lime Kilns on the aforesaid sites is a source of nuisanceeat and dangerous to the health of the inhabitants of Adarshnagar, nearby locality, and the patients of the T. B. Sanatorium and therefore it is notified for general information of the persons running the Lime Kilns on the Caforesaid sites that the working of these Lime Kilns be stopped with affact from 1st September 1956, otheriwise the working of the said Lime Kilns shall be got stopped Departmentally and expenses incurred thereby shall be recovered from the persons rosponsible for the working of the said Lime Kilns.

Looking to the business difficulties of the said Lime Kiln holders, the Municipal Council has set apart the following sites as per plan approved for such use:—

No. 1. Site on the west of Amagarh quarry.

2. ,, between the Railway lines near 22 Godowns.

3. ,, One mile away on the South from the Compound wall of the University.

Persons desirous to run Lime Kilns on these sites may apply to the Municipal Council for requisite Licence.

Sd/—S. N. Misra.
ADMINISTRATOR, 8. 5. 56
Municipal Council, Jaipur.

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक १४ अप्रेल, १९६०)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
७९७१	३	११ मिनट	१० मिनट
,,	१०	सहकरिता	सहकारिता
७९७३	१६	निर्वाचानाधिकारी	निर्वाचनाधिकारी
७९७८	१४	पर बध	पर बांध
,,	अन्तिम से २	स्बन्धी योजना	सम्बन्धी योजना
७९८०	,, ,, ३	न्युउट्रिम को	न्युट्रिज्म को
७९८२	१९	क्य ायह	क्या यह
,,	अन्तिमसे ४	श्रमदाम देने	श्रमदान देने
,,	,, ,, २	उम-मंत्री	उप-मंत्री
७९९०	५	गतलब	मतलब
,,	६	श्री रिभाऊ उपाध्याय	श्री हरिभाऊ उपाध्याय
,,	१७	१·२८	१०२८
७९९३	२२	क्य ायह	क्या यह
७९९९	१५	मत्री निम्न	मंत्री निम्न
८००९	अन्तिमसे ३	थोड़े दिन	थोड़े दिन
८०१३	९	आबपासी	आबपाशी
,,	१२	यहा	यहां
,,	१५	सवक समाज	सेवक समाज
,,	१६	हुइ	हुई
,,	१९	चुका हू	चुका हूं
,,	२२-२३	दा ......तयार हुइ	दो ....तैयार हुई
,,	अन्तिम	उपजाआ	उपजाओ
८०१४	९	श्रमदान और ७५ परसेंन्ट मांगा जाता है ।	मांगा जाता है ।
८०१५	२१	पर उसको	पर उनको
८०१७	शीर्ष	श्री लक्ष्नीचन्द	श्री लक्ष्मीचन्द
,,	८	पुखराजां व	पुखराज व
८०२२	२	ऑफिसर रने	ऑफिसर ने
८०२५	१९	निर्वाचन	नाम निर्देशन
८०२७	९	वखड़	बरवाड
,,	अन्तिम से २	ब्रोर्डिनटे	सबोर्डिनेट
८०२८	१८	श्री मरुपराम	श्री मनरूपराम
८०३०	शीर्षक	प्रतिवेदनों का उपस्थापन	पंचायत विधेयक
८०३४	३०	विकेन्द्रीयकरण	विकेन्द्रीकरण

(२)

१	२	३	४
८०३५	७	सरकार खुदा	सरकार खुद
८०३६	११	अधिकार ले रहे हैं और ले रही है।	अधिकार ले रही है।
८०४०	१८	बनायें ऐसे,	बनायें, ऐसे
८०४५	७	टैक्निकोलिटी	टैक्नीकेलिटी
८०४६	६	पी पार्टी	भी पार्टी
८०४६	११	विकेन्द्रीयकरण	विकेन्द्रीकरण
८०५७	४–५	जिस नहीं,	जिस पर नहीं
८०७६	४	हिन्दी मैं है	हिन्दी में है
,,	७	"If I a	"If a
८०८१	२३	so specifled	so specified
,,	अन्तिमसे ३	परिषद दों को	परिषदों को
८०८२	२३	के अगे	के आगे
८०८३	१३	chaas कयास	chaos
,,	अन्तिमसे ३:२	कांग्रेस विरोधी अल्पयामत	कांग्रेस या विरोधी अल्पमत
८०८४	,, ,, २	अमेंडयेंट रखा	अमेंडमेंट रखा
८०८८	१४–१५	: wants	: He wants
,,	१७	moye	move
८०६२	१	orunder	or under
८०६५	अन्तिम से ४	अगर उनने	अगर उसने
८०६६	१८	its opinon	its opinion
८०९९–१००	शीर्षक	–१३ अप्रेल	–१४ अप्रेल
८१०८	२४	रही है	रहा है
८११४	७	म्युनिसिटैलिटी	म्युनिसिपैलिटी
,,	२०	२. ४ म. प.	२. ४५ म. प.
८१२२	५	जिसने बोलने	जिसने मुझे बोलने
,,	अन्तिम	और लीगल	और लीगल
८१२१	शीर्ष	(श्री सम्पतराज जैन)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
,,	१	होती है	और होती है
८१२४	२६	इसलिए इस प्रकार	इसलिए मुझे इस प्रकार
८१२८	१	सकता है	सकता है और
८१४०	३	लिमिड समय	लिमिटेड समय
८१४१	१६	स्पेसिफिका पीरियड	स्पेसिफिक पीरीयड
८१४३	२४	ब्ररर्वास्त	बर्खास्त
८१४६	७	सरकार पंचायत	पंचायत
८१५२	अन्तिम	मैं निवेदन	मैं निवेदन
८१६०	अन्तिम से ३	-occurring—	Occuring
,,	,, ,, २	sough	sought

(३)

१	२	३	४
८१६१	अन्तिम	कि जो	जो कि
८१६२	५	जनतत्र	जनतन्त्र
८१६३	४	क्राइब मनना	क्राइब मानना
८१७३	१	ycu want	you want
,,	४	defer red	deferred
,,	१७	हों सकती	हो सकती
८१७४	१७	निर्देशित	निर्देशित
८१७५	२७	वहां । कौं	वहां की
,,	३१	एक हो आधार	एक ही आधार
८१७८	१७	लड्ढ	लड्ढा
८१८०	१४	Panchapat	Panchayat
,,	१६	or thing	or things
८१८१	अन्तिम से४	लार्यब्रिलिटी	लाएब्रिलिटी
८१८४	२७	बसका दायरा	इसका दायरा
८१९१	१	तारांकित प्रश्नों शीर्षक	तारांकित प्रश्नों के शीर्षक
८१९६	सीरियल ६	लि०	लि० पलसाणा
,,	,, ७	लि० प..हाना	लि०
८२०१	११	degenrous	daengerous
,,	१३	I. S. N.	I, S. N.
,,	१५	nuisanceeat	nuisance